BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT

On behalf of the Respondent No. 4
In Original Application No. 1350 of 2024

IN THE MATTER OF:

Naresh Kumar **...Applicant(s)**

Versus

State of Uttarakhand **...Respondent(s)**

INDEX

S.NO.	Particulars	Pg. No.
1.	Response Affidavit on behalf of R4	
2.	ANNEXURE A (SUPPORTING DOCUMENTS)	
3	ANNEXURE B (PHOTOGRAPHS COLLY)	

Place: New Delhi

Dated: 22.02.2026

Filed by

Deepak Bora

Advocate
Counsel for the State of Uttarakhand
17, New Lawyers Chambers, Setalvad Block,
Supreme Court of India,
New Delhi 110001
9971578987

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT

On behalf of the Respondent No. 4 In
Original Application No. 1350 of 2024

<u>IN THE MATTER OF:</u>

Naresh Kumar ...Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand ...Respondent(s)

Status Report by way of Affidavit of Mr. Tejpal Singh S/o Shri Khushal Lal presently posted as District/ Chief Horticulture Officer, Haridwar, Uttarakhand.

(DEPONENT)

I, the above-named deponent, do hereby solemnly affirm and State:

1. That I, Mr. Tejpal Singh, holding office of Chief Horticulture Officer, Haridwar, Uttarakhand, and acting in the capacity, I am fully conversant with the facts and circumstances of the present matter on the basis of official records maintained in my office and reports received from field offices and departments, and as such, I am competent to depose this affidavit.

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

2. That the following affidavit is being filed in compliance with the orally remarked directions of the Hon'ble Tribunal in the previous hearing dated 09.02.2026 in the present Original Application No. 1350/2024 with Original Application No. 201/2025, Naresh Kumar vs. State. The present affidavit is being submitted to place on record and provide a detailed and factual account regarding the questions remarked by the Hon'ble Tribunal in the original application.

3. That the following aspects have been sought by the Hon'ble Tribunal:
    a. The total number of trees permitted to be cut down in the concerned area?
    b. The number of trees planted pursuant to valid permission of felling granted by the competent authority?
    c. Details of trees which were cut without prior permission, and the corresponding number of trees proposed to be planted against such unauthorised felling, along with timelines for compliance?
    d. The amount of Environmental Compensation imposed in the matter, and the present status of recovery/payment?

4. That the following table is to ascertain the queries raised by the Hon'ble Tribunal: -

Sl. No.	**Information sought in connection with the issue**	**Report on the information sought in the matter**	**Comment**
1.	Total number of trees to be cut in the concerned area	In the concerned area, the number of mango trees that were cut illegally is 88, and the number of trees cut with permission in different Khasra	Violation of section 42 of Indian Forest (Uttarakhand

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

		numbers is 102. Thus, the total number of trees cut in the concerned area is 190. Documentary evidence in this regard is being annexed herewith.	Amendment) Protection Act
2.	The number of trees planted after obtaining valid permission for tree cutting has been approved by the competent authority.	After obtaining valid permission for tree cutting, the applicant has planted 315 fruit-bearing saplings and, in addition, 230 non-fruit-bearing saplings. These have been planted at present / within the stipulated time period. Thus, a total of 545 saplings have been planted. Documentary evidence is annexed herewith.	
3.	Details of the trees cut without prior permission, the number of trees felled without authorization, and the timeline for compliance.	In the year 2022, the orchard owner illegally cut 83 mango trees, and in the year 2024, 5 trees were illegally cut. Thus, a total of 88 mango trees were unlawfully cut. In compliance therewith, a total of 545 saplings of various fruitbearing and non-fruit-bearing species have been planted as per the prescribed norms / exceeding the stipulated standards. (Documentary evidence annexed herewith.)	

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

4.	The amount of environmental compensation imposed in the matter and the current status of its recovery/payment.	In respect of the illegal cutting of 83 mango trees, an amount of ₹5,000 per tree was deposited, totalling ₹4,15,000, vide Receipt No. 074718 dated 06.05.2022 issued by this office. Documentary evidence thereof is annexed herewith. Further, with regard to the illegal felling of 5 mango trees, a penalty amount of ₹25,000	In accordance to Uttarakhand Government Order 927/IX-32012.
		was deposited in compliance with this office letter No. 2266 dated 27.10.2024, vide Cash Receipt No. 184379 dated 28.10.2024 at the Office of the In-charge, Mobile Horticulture Squad Centre, Bahadrabad. Documentary evidence thereof is also annexed herewith. At present, no recovery/payment remains pending.	

5. That the contents of the present affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, based on official records and information received from offices. Nothing material has been concealed therefrom and nothing stated herein is false.

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at on this 22nd day of February, 2026, that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, based on official records maintained by the Chief Horticulture Officer, Government of Uttarakhand.

DEPONENT

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

क्र0 सं0	मुद्दा के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना	मुद्दा में चाही गयी सूचना में आख्या	अभ्युक्ति
1	सम्बन्धित क्षेत्र में काटे जाने वाले कुल पेडों की संख्या	सम्बन्धित क्षेत्र में अवैध रूप से काटे गये पेडों की संख्या 88 आम वृक्ष एवं अलग–अलग खसरो में परमिशन के द्वारा काटे गये पेडों की संख्या 102 है। इस प्रकार सम्बन्धित क्षेत्र में काटे गये पेडों की संख्या 190 है। जिसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है।	
2	पेड काटने की वैलिड परमिशन के बाद लगाये गए पेडों की संख्या सक्षम अधिकारी द्वारा दी गयी।	आवेदक द्वारा पेड काटने की वैलिड परमिशन के बाद लगाये फलदार पौधो की 315 फलदार पौधो के अतरिक्त 230 गैर फलदार पौधो के पेड वर्तमान में/नियत दिये गये समय तक रोपित किये गये है इस प्रकार कुल 545 पौधे रोपित किये गये। साक्ष्य संलग्न	
3	बिना पूर्व अनुमति के काटे गये पेडों का विवरण और बिना इजाजत कटाई के बदले लगाये जाने वाले पेडों की संख्या और पालन करने की टाइम लाईन	बाग स्वामी द्वारा वर्ष 2022 में 83 आम वृक्ष एवं वर्ष 2024 को 05 वृक्ष का अवैध पातन किया गया इस प्रकार कुल 88 आम पेडों का अवैध पातन किया गया है जिसके सापेक्ष विभिन्न फल /गैर फल की प्रजातियों के कुल 545 पौधो का रोपण नियमानुसार/नियत मानको से अधिक रोपित किया गया। (साक्ष्य संलग्न)	
4	**मामले** में लगाया गया एन्वायरमेंटल **कम्पनसेशन** का अमाउन्ट और **रिकवरी/पेमेंट** की अभी की स्थिति	83 आम वृक्षों के अवैध पातन के सम्बन्ध में इस कार्यालय की रसीद संख्या 074718 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा 5000.00 रू0 प्रति पेड की दर से 83 पेडों की धनराशि 415000 जमा की गयी है। जिसका साक्ष्य संलग्न है एवं 05 आम वृक्षों के अवैध पातन का अर्थदण्ड धनराशि 25000.00 रूपये इस कार्यालय के पत्रांक 2266 दिनांक 27.10.2024 के क्रम में प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बहादराबाद के कैश रसीद संख्या 184379 दिनॉक 28.10.2024 को जमा कर दिये गये है। जिसका साक्ष्य संलग्न है। वर्तमान में कोई रिकवरी/पेमेंट वांछित नहीं है।	

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

कार्यालय -- मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार।

पातन अनुज्ञा संख्या 3749 /उ0पा0अ0/2024-25 दिनांक 16/12/2024 हरिद्वार 2024

पातन अनुज्ञा

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 के पत्र संख्या 927/X-3-12/दिनांक 03.12.2012 एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम 45/1976 यथाकृत की धारा-3 की उपधारा(III) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित को निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है।

1-अधोलिखित प्रार्थी श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी गौरीवाला सिरसा हरियाणा मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार ने अधोहस्ताक्षरी से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2024 के द्वारा अपनी निजी भूमि में स्थित बाग से फल वृक्षों के पातन की अनुज्ञा मांगी गई है।

2-अधोहस्ताक्षरी ने प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र, बहादराबाद से बाग/पातन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करा लिया है व स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।

3-अधोलिखित पेड प्रार्थी की व्यक्तिगत भूमि में स्थित बाग में खडे हैं।

4-ये पेड पूर्णतः प्रतिबन्धित प्रजाति के हैं तथा हरे हैं। ये फलदार/मूल्यवान प्रकाष्ठ के हैं, जो पुराने/विभिन्न प्रकार के रोगों से रोगग्रस्त हैं जिनकी फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट आ चुकी है तथा बाग स्वामी के लिये अलाभकारी है।

5-अतः अधोलिखित प्रार्थी को इन वृक्षों के पातन की अनुज्ञा प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर एतद्द्वारा दी जाती है तथा अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के लिये वैध होगी। एवं अनुज्ञा में उल्लेखित संख्या से अधिक पातन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं विधी संगत कार्यवाही अपनायी जायेगी। किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो इस स्थिति में पातन अनुज्ञा निरस्त समझी जायेगी।

6-उस भूमि का विवरण जिस पर पातन हेतु अनुज्ञा दी जाती है(खसरा खतौनी की नवीनतम सत्यापित प्रतिलिपि/शपथ-पत्र व नक्शा) जो इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है का विवरण निम्न प्रकार है:-

जिला	तहसील	थाना	ग्राम	खाता/खतौनी/खसरा नम्बर
हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	बहादराबाद	330

7- वृक्षों का खसरा नम्बरवार विवरण जिनके पातन की अनुज्ञा दी जाती है:-

बाग स्वामी का नाम व पता	खसरा संख्या	खसरे में कुल वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	वृक्षों का विवरण (गोलाई फिट में)								
			0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7 से ऊपर	योग
श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी गौरीवाला सिरसा हरियाणा मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार	330	22 आम बीजू	00 00	00 00	00 00	00 00	00 00	05 00	14 00	03 00	22 00
		योग-	00		00	00	00	05	14	03	22

8-प्रार्थी ने 250/प्रति पेड की दर से कुल 22 आम वृक्षों के सापेक्ष रू0 5500.00 जमानत इस उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी को निक्षेपित कर दी है कि प्रत्येक काटे गये वृक्षों के बदले दो वृक्ष सफलता पूर्वक लगायेगा। यह धनराशि रू0, 5500.00 डाकघर रोशनाबाद, हरिद्वार के खाता संख्या0 020138033056 से दिनांक 10.12.2024 को जमा हो गई है। यह जमानत एक वर्ष पश्चात पौधों की सफलता का निरीक्षण करने के बाद ही वापस की जा सकती है। फल वृक्षों का निरीक्षण सम्बन्धित प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद से कराने के उपरान्त विधिवत निकासी ली जाये।

9-यदि प्रार्थी द्वारा पेड पातन उपरान्त नये वृक्षों का रोपण न करके कालोनी का निर्माण किया जाता है तो आपकी जमानत धनराशि जब्त कर दी जायेगी। एवं विधी संगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

10-पातन अनुज्ञा में दी गयी वृक्षों की संख्या से अधिक पेड काटने पर कृषक एवं आवेदन पत्र में अनुबन्धित ठेकेदार के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 की जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार।

पत्रांक /उक्त दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रार्थी अथवा उनके प्रतिनिधि को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत पातन करना सुनिश्चित करें, निर्धारित समय के पश्चात अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

2- प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद को इस निर्देश के साथ कि चिन्हित वृक्षों के पातन के उपरान्त मौके का स्थलीय निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि करेंगें कि बाग स्वामी द्वारा मौके पर पातन हेतु चिन्हित वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन तो नही किया गया है तथा पातन उपरान्त जी0पी0एस0 टेग फोटो संलग्न करते हुये सम्बन्धित जॉच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- सम्बन्धित थानाध्यक्ष ।

4- उपजिलाधिकारी हरिद्वार

5- प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

6- वन क्षेत्राधिकारी बहादराबाद

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी

Received 1 Copy! K. Tyagi

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

(2)

पत्रांक अनुज्ञा संख्या /फ0वृ0पा0/2024-25 दिनांक हरिद्वार 2024

पातन अनुज्ञा

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 के पत्र संख्या 927/X-3-12/दिनांक 03.12.2012 एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम 45/1976 यथावृत्त की धारा-3 की उपधारा(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अद्योहस्ताक्षरी निम्नलिखित को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है।

1-अधोलिखित प्रार्थी श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी निवासी मयूर विहार आर्यनगर ज्वालापुर, तहसील हरिद्वार, जिला हरिद्वार ने अधोहस्ताक्षरी से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.09.2024 के द्वारा अपनी निजी भूमि में स्थित बाग से फल वृक्षों के पातन की अनुज्ञा मांगी गई है।

2-अधोहस्ताक्षरी ने प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र, बहादराबाद से बाग/पातन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करा लिया है व स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।

3-अधोलिखित पेड़ प्रार्थी की व्यक्तिगत भूमि में स्थित बाग में खडे हैं।

4-ये पेड पूर्णतः प्रतिबन्धित प्रजाति के हैं तथा हरे हैं। ये फलदार/मूल्यवान प्रकाष्ठ के हैं, जो पुराने/विभिन्न प्रकार के रोगों से रोगग्रस्त हैं जिनकी फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट आ चुकी है तथा बाग स्वामी के लिये अलाभकारी है। आम वृक्ष आंधी तुफान के कारण मकान पर गिरकर जानमाल व सम्पत्ति को नुकशान होगा।

5-अतः अधोलिखित प्रार्थी को इन वृक्षों के पातन की अनुज्ञा प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादरावाद/मु0उ0अधिकारी मुख्यालय हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर एतद्द्वारा दी जाती है तथा अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से 20 दिन की अवधि के लिये बैध होगी। एवं अनुज्ञा में उल्लेखित संख्या से अधिक पातन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं विधी संगत कार्यवाही अपनायी जायेगी। किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति में पातन अनुज्ञा निरस्त समझी जायेगी।

6-उस भूमि का विवरण जिस पर पातन हेतु अनुज्ञा दी जानी है(खसरा खतौनी की नवीनतम सत्यापित प्रतिलिपि/शपथ-पत्र व नक्शा) जो इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है का विवरण निम्न प्रकार है:-

जिला	तहसील	थाना	ग्राम	खाता/खतौनी/खसरा नम्बर
हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	बहादरावाद	325/2

7- वृक्षों का खसरा नम्बरवार विवरण जिनके पातन की अनुज्ञा दी जाती है:-

बाग स्वामी का नाम व पता	खसरा संख्या	खसरे में कुल वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	वृक्षों का विवरण व्यास(फुट) में 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7 से ऊपर	योग
श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी निवासी मयूर विहार आर्यनगर ज्वालापुरी, हरिद्वार	325/2	69 आम वृक्ष बीजू	00 00	00 00	00 00	00 00	00 00	09 00	09 00	37 00	55
		योग-	00	00	00	00	00	09	09	37	55

8-प्रार्थी ने 250/-प्रति पेड की दर से कुल रू0 250.00 के सापेक्ष रू0 13750.00 जमानत इस उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी को निरूपित कर दी है कि प्रत्येक काटे गये वृक्षों के बदले दो वृक्ष सफलता पूर्वक लगायेगा। यह धनराशि रू0,13750.00 इडियन बैक सं0 7884323424 दिनांक 08.10.2024 से जमा हो गई है। यह जमानत एक वर्ष पश्चात पौधों की सफलता का निरीक्षण करने के बाद ही वापस की जा सकती है। फल वृक्षों का निरीक्षण सम्बन्धित प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद से कराने के उपरान्त विधिवत निकासी ली जाये।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार
O/C

पत्रांक 2026 /उक्त दिनांक। 10/10/24

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा उनके आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2024 के क्रम में इस आशय से कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत पातन करना सुनिश्चित करें, निर्धारित समय के पश्चात अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

2- प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद को इस निर्देश के साथ कि चिन्हित वृक्षों के पातन के उपरान्त मौके का स्थलीय निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि करेगें कि बाग स्वामी द्वारा मौके पर पातन हेतु चिन्हित वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन तो नही किया गया है तथा पातन उपरान्त जी0ई0औ0 टैग फोटो संलग्न करते हुये सम्बन्धित जॉच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- सम्बन्धित थानाध्यक्ष ।

4- उपजिलाधिकारी लक्सर/हरिद्वार/रूडकी

5- प्रभारी वनाधिकारी,हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

6- वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार
O/

पातन अनुज्ञा संख्या

कार्यालय – मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार।

/फ0वृ0पा0/2024–25

दिनांक16/12/2024 हरिद्वार 2024

पातन अनुज्ञा

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 के पत्र संख्या 927/X-3-12/दिनांक 03.12.2012 एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम 45/1976 यथावृत्त की धारा–3 की उपधारा(III) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है।

1–अधोलिखित प्रार्थी श्रीमति दीपिका त्यागी पत्नी श्री सतीश त्यागी निवासी मयूरविहार, आर्यनगर ज्वालापुर मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार ने अधोहस्ताक्षरी से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2024 के द्वारा अपनी निजी भूमि में स्थित बाग से फल वृक्षों के पातन की अनुज्ञा मांगी गई है।

2–अधोहस्ताक्षरी ने प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र, बहादराबाद से बाग/पातन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करा लिया है व स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।

3–अधोलिखित पेड प्रार्थी की व्यक्तिगत भूमि में स्थित बाग में खडे हैं।

4–ये पेड पूर्णतः प्रतिबन्धित प्रजाति के हैं तथा हरे हैं। ये फलदार/मूल्यवान प्रकाष्ठ के हैं, जो पुराने/विभिन्न प्रकार के रोगों से रोगग्रस्त हैं जिनकी फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट आ चुकी है तथा बाग स्वामी के लिये अलाभकारी है।

5–अतः अधोलिखित प्रार्थी को इन वृक्षों के पातन की अनुज्ञा प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर एतद्द्वारा दी जाती है तथा अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के लिये बैध होगी। एवं अनुज्ञा में उल्लेखित संख्या से अधिक पातन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं विधी संगत कार्यवाही अपनायी जायेगी। किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो इस स्थिति में पातन अनुज्ञा निरस्त समझी जायेगी।

6–उस भूमि का विवरण जिस पर पातन हेतु अनुज्ञा दी जानी है(खसरा खतौनी की नवीनतम सत्यापित प्रतिलिपि/शपथ–पत्र व नक्शा) जो इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है का विवरण निम्न प्रकार हैः–

जिला	तहसील	थाना	ग्राम	खाता/खतौनी/खसरा नम्बर
हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	बहादराबाद	335/1 व 335/2

7– वृक्षों का खसरा नम्बरवार विवरण जिनके पातन की अनुज्ञा दी जाती हैः–

बाग स्वामी का नाम व पता	खसरा संख्या	खसरे में कुल वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	वृक्षों का विवरण (गोलाई फिट में)								
			0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7 से ऊपर	योग
दीपिका त्यागी पत्नी श्री सतीश त्यागी निवासी मयूरविहार, आर्यनगर ज्वालापुर मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार	335/1 व 335/2	25 आम बीजू	00 00	00 00	00 00	00 00	04 00	08 00	10 00	03 00	25 00
		योग–	00	00	00	00	04	08	10	03	25

8–प्रार्थी ने 250/प्रति पेड की दर से कुल 22 आम वृक्षो के सापेक्ष रू0 6250.00 जमानत इस उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी को निरूपित कर दी है कि प्रत्येक काटे गये वृक्षों के बदले दो वृक्ष सफलता पूर्वक लगायेगा। यह धनराशि रू0, 6250.00 इंडियन बैंक हरिद्वार के खाता संख्या0 7929810499 से दिनांक 10.12.2024 को जमा हो गई है। यह जमानत एक वर्ष पश्चात पौधों की सफलता का निरीक्षण करने के बाद ही वापस की जा सकती है। फल वृक्षों का निरीक्षण सम्बन्धित प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद से कराने के उपरान्त विधिवत निकासी ली जाये।

9–यदि प्रार्थी द्वारा पेड पातन उपरान्त नये वृक्षों का रोपण न करके कालोनी का निर्माण किया जाता है तो आपकी जमानत धनराशि जब्त कर दी जायेगी। एवं विधी संगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

10–पातन अनुज्ञा में दी गयी वृक्षों की संख्या से अधिक पेड काटने पर कृषक एवं आवेदन पत्र में अनुबन्धित ठेकेदार के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 की जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

पत्रांक 3478 /उक्त दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रार्थी अथवा उनके प्रतिनिधि को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत पातन करना सुनिश्चित करें, निर्धारित समय के पश्चात अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

2– प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद को इस निर्देश के साथ कि चिन्हित वृक्षों के पातन के उपरान्त मौके का स्थलीय निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि करेगें कि बाग स्वामी द्वारा मौके पर पातन हेतु चिन्हित वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन तो नही किया गया है तथा पातन उपरान्त जी0ई0औ0 टैग फोटो संलग्न करते हुये सम्बन्धित जॉच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सम्बन्धित थानाध्यक्ष ।

4– उपजिलाधिकारी हरिद्वार

5– प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

6– वन क्षेत्राधिकारी बहादराबाद

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।

विषयः— नये पेड़ रोपण के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मेरे ठेकेदार द्वारा मेरी अनुपस्थिति में वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 83 आम के सूखे व रोग ग्रस्त एवं फलहीन वृक्षों का पातन कर दिया गया था, जिसके उपरान्त मेरे द्वारा दिनांक 06/05/2022 को प्रत्येक पेड़ का अर्थदण्ड आपके विभाग में रसीद संख्या 074718 द्वारा जमा करा दिया गया था। साथ ही मेरे द्वारा 83 पेड़ो के दो गुने से अधिक पेड़ो का वृक्षा रोपण कर दिया गया है। जिसकी सूचना सेवा में प्रेषित है।

रोपण किए गये पेड़ो का विवरण :—

क्र0सं0	वृक्ष प्रजाति	संख्या
01	आम	56
02	अमरूद	109
03	जामुन	07
04	लीचि	02
05	सेब	02
	कुल संख्या	176

प्रार्थी:— A.S. Bisht

ए0 एस0 बिष्ट
निवासी — एफ—102, लक्ष्मीपार्क नांगलोई
दिल्ली — 110041
मो0न0. 9412998687

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।

विषयः— नये पेड़ रोपण के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—2025 में पत्रांक संख्या 2026 दिनांक 10/10/2025 को 55 बीजू प्रजाति व रोगग्रस्त एवं फलहीन आम वृक्षों की पातन अनुज्ञा प्राप्त की गई थी। पातन उपरान्त आपके आदेशानुसार उक्त स्थान पर पातन की गई संख्या के दो गुने से अधिक पेड़ रोपण कर दिए गये है, जिसकी सूचना सेवा में प्रेषित की जा रही है।

रोपण किए गये पेड़ो का विवरण :—

क्र0सं0	वृक्ष प्रजाति	संख्या
01	आम	50
02	अमरूद	60
03	जामुन	02
04	लीचि	18
05	ऑवला	10
	कुल संख्या	140

Abhishek Tyagi

प्रार्थीः—

अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी
निवासी — 01, मयूर विहार, आर्यनगर,
ज्वालापुर, हरिद्वार।
मो0न0. 9719760801

...धिकारी
...हरिद्वार

सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।

विषयः— नये पेड़ रोपण के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—2025 में पत्रांक संख्या 3748 दिनांक 16 / 12 / 2024 को 25 बीजू प्रजाति व रोगग्रस्त एवं फलहीन आम वृक्षों की पातन अनुज्ञा प्राप्त की गई थी। पातन उपरान्त आपके आदेशानुसार उक्त स्थान पर पातन की गई संख्या के दो गुने से अधिक पेड़ रोपण कर दिए गये है, जिसकी सूचना सेवा में प्रेषित की जा रही है।

रोपण किए गये पेड़ो का विवरण :—

क्र0सं0	वृक्ष प्रजाति	संख्या
01	आम	13
02	अमरूद	21
03	लीचि	20
	कुल संख्या	54

Dipika Tyagi

प्रार्थीः—

दिपिका त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी
निवासी — मयूर विहार, आर्यनगर,
ज्वालापुर, मौजा बहादराबाद हरिद्वार।
मो0.नं0. 9837100431

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी

हरिद्वार।

विषयः— नये पेड़ रोपण के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—2025 में पत्रांक संख्या 3749 दिनांक 16/12/2024 को 22 रोगग्रस्त एवं फलहीन आम वृक्षों की पातन अनुज्ञा प्राप्त की गई थी। पातन उपरान्त आपके आदेशानुसार उक्त स्थान पर पातन की गई संख्या के दो गुने से अधिक पेड़ रोपण कर दिए गये है, जिसकी सूचना सेवा में प्रेषित की जा रही है।

रोपण किए गये पेड़ो का विवरण :—

क्र0सं0	वृक्ष प्रजाति	संख्या
01	आम	25
02	अमरूद	10
03	जामुन	03
04	ऑवला	12
	कुल संख्या	50

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

Mahaveer

प्रार्थी:—

महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम
निवासी — गौरीवाला, सिरसा, हरियाणा,
मौजा बहादराबाद, हरिद्वार
मो0न0. 9999650293

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वांछित सूचना-4।

Sr. No.	Species	Dia at breast Height	Height of Trees at breast Level	Sampling Price/market Price	Tree Condition Poor/Good/Excellent No of Trees		Site Location Sanctuaries/National Park/Conservation/RF/PF
1.	बीजू आम	7 फीट से अधिक	30 से 35 फीट		15 पेड़	Poor	Location is aprox more than 10 km far away from National park. Haridwar.
2.	बीजू आम	6 से 7 फीट	25 से 30 फीट		42 पेड़	Poor	
3.	बीजू आम	5 से 6 फीट	22 से 25 फीट		20 पेड़	Poor	
4.	बीजू आम	4 से 5 फीट	20 से 25 फीट		6 पेड़	Poor	
				कुल वृक्ष	83 पेड़		

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

प्रभारी
उद्यान सचल दल केन्द्र
बहादराबाद (हरिद्वार)

Scanned with OKEN Scanner

लि.प्र.संलग्न-2

कार्यालय : प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, बहादराबाद
पत्रांक : मेमो / जाँच आख्या /2025-26 दिनांक 20-02-2026

सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

महोदय

आपके निर्देशानुसार आज दिनांक 20-02-2026 को श्री सतीश त्यागी - सहारा ट्रस्ट द्वारा लगाए गए पौधो का निरीक्षण किया गया जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधो की कुल संख्या लगभग 545 है जिसके अन्तर्गत फलदार पौधो की संख्या 315 एवं अन्य प्रजाति के पौधो की संख्या 230 है। अतः कुल पौधो की संख्या लगभग 545 है।

अतः सूचना महोदय जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय
[signature]
(आरिफ अली)
उद्यान पर्यवेक्षक
बहादराबाद

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

अर्थ दण्ड आदेश वि0उ0क0/एव 3,4

श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, ज्वालापुर, [illegible]दराबाद, जिला हरिद्वार द्वारा बिना विभाग की अनुमति के अपने बाग से 05 जीवित आम वृक्षों [illegible] पातन किये जाने पर की गई विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये गये, उक्त जीवित वृक्षों को [illegible]क्षम प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अभाव में पातन किया गया है, जो कि भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) संरक्षण अधिनियम की धारा 42 की उपधार (1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर कृषक के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अच्छी किस्म के फलदार पौधों का रोपण करने के उपरान्त प्रभारी की संस्तुति के आधार पर मै मुख्य उद्यान अधिकारी,हरिद्वार शासनादेश संख्या 927/IX-3-2012 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, ज्वालापुर, बहादराबाद, जिला हरिद्वार के विरूद्ध 05 जीवित आम वृक्षों के पातन पर रू0, 5000.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल धनराशि रू0, 25000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) का अर्थ दण्ड निर्धारित करते हुये उन्हे निर्देशित करता हूँ कि वे तत्काल रू0, 25000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) प्रभारी उ0स0द0केन्द्र, बहदराबाद में जमा करना सुनिश्चित करें।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार

कार्यालय– मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 2266 **/अवैध पातन/2024–25 दिनांक हरिद्वार** 27/10/2024

प्रतिलिपिः–1– श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, ज्वालापुर, बहादराबाद, जिला हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।

2– प्रभारी उ0स0द0केन्द्र, बहादराबाद को इस निर्देश के साथ कि रू0, 25000.00 (रू0 पच्चीस हजार)मात्र श्री फूल सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी/ग्राम–भलस्वागाज, इकबालपुर, जिला हरिद्वार से प्राप्त कर विभागीय कैश रसीद उपलब्ध कराते हुये धनराशि विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करना सुनिश्चित करें

3–प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बहादराबाद।

4–थाना प्रभारी बहादराबाद हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

अवैध 5 आम वृक्ष पातन जुर्माना

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड

कैश रसीद बुक

संख्या .... रसीद संख्या 1843791 दिनांक 28/10/2024

(श्री) अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी मयूर विहार ज्वालापुर से रु0 .... प्राप्त हुई।

बेची गयी वस्तुओं / किये गये काम का वर्णन	परिमाण	मूल्य दर	धनराशि रु0	पै0	प्रपंजी (Ledger) पृष्ठ
(1) आम वृक्ष	5	5000/	25000/-		
योग रु0 (पच्चीस हजार मात्र)		प्राप्त	25000/-		

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभारी / कार्यालयाध्यक्ष

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर मोहर सहित।

प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बहादराबाद (हरिद्वार)

एस0यू0 (आर0ई0) 1 उद्यान / 104–5–7–2011–5,000 बुक्स (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

डी0ए0डी0–2

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड

कैश रसीद बुक

पुस्तक संख्या .... रसीद संख्या 074718 दिनांक 06/05/2022

श्री/मै0 ए0 हरविन्दर निवासी F-102, लक्ष्मीनगर, ... दिल्ली मौजा रसीद बहादराबाद, हरिद्वार से रु0 415000-00

(शब्दो में) .... में प्राप्त हुई।

क्र0 सं0	बेची गयी वस्तुओं / किये गये काम का वर्णन	परिमाण	मूल्य दर	धनराशि रु0	धनराशि पै0	प्रपंजी (Ledger) पृष्ठ
01	श्री ए0 हरविन्द द्वारा फलदार पेड़ों के अवैध पातन के कारण लगाये गये अर्थदण्ड की धनराशि जमा (CHO के आदेश सं0 267 दिनांक 06.05.2022 के क्रम में)		₹	415000.00		
	योग रु0 (चार लाख पन्द्रह हजार मात्र)		₹	415000-00		

प्रतिहस्ताक्षरित
मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार
प्रभारी/कार्यालयाध्यक्ष

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
मुहर सहित।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 1 उद्यान/104–5–7–2011–5,000 बुक्स (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3
संख्याः– /X–3–2012/21(08)/2010
देहरादूनः– दिनांकः– 30 नवम्बर, 2012

DFO

जिलाधिकारी हरिद्वार

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–3 की उपधारा (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि भूमि पर फलदार वृक्षों के पातन हेतु अनुज्ञा जारी करने, एवं धारा–14(1) के अधीन कृषि भूमि पर फलदार वृक्ष, जो इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हों, गिराना, काटना या स्थल से हटाना तथा ऐसे फलदार वृक्ष का लकडी के साथ–साथ ऐसे उल्लंघन में प्रयुक्त नाव, गाडी वाहक या पशु भी यदि कोई हो, को अभिग्रहित करने एवं उक्त अधिनियम की धारा–15 उपधारा–(1) के अधीन कृषि भूमि पर किसी फलदार वृक्षों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों का प्रशमन करने के लिए भी जिला उद्यान अधिकारी को प्राधिकृत करते हैं।

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्याः– 727/X–3–2012, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व/कृषि/उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, उद्यान विभाग, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

10/12/12

कुमाऊँ उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976

[The U.P. Protection of Trees Act, 1976]

(उ. प्र. अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1976)[1]

[दिनांक 22 नवम्बर, 1976]

विषय-सूची

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. अधिनियम का कतिपय क्षेत्र में लागू न होना
3. परिभाषाएं
4. वृक्ष के निपातन और अपनयन पर निर्बन्धन
5. वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए अनुज्ञा की प्रक्रिया
6. सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अभ्यावेदन
7. वृक्षारोपण का दायित्व
8. रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण
9. धारा 7 और 8 के अधीन दिये गये निदेशों का कार्यान्वयन
10. धारा 4 का उल्लंघन करते हुए वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए शास्ति
11. कम्पनियों द्वारा अपराध
12. इमारती लकड़ी का समपहरण
13. बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति
14. अभिग्रहण करने की शक्ति
15. अपराधों का प्रशमन करने की शक्ति

धाराएं

16. अधिनियम के उल्लंघन की रिपोर्ट कतिपय अधिकारियों द्वारा की जायेगी
17. शास्ति देने या अधिहरण से अन्य दण्ड दिये जाने में हस्तक्षेप नहीं होगा
18. अधिकारी लोक सेवक होंगे
19. धनराशि के भुगतान के लिए आदेश का निष्पादन
20. कार्यवाहियों पर रोक
21. छूट
22. इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे
23. वृक्षों के परिरक्षण के लिये राज्य सरकार की शक्ति
24. नियम बनाने की शक्ति

24-क. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976 के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

25. निरसन तथा अपवाद

अनुसूची 1

अनुसूची 2

अनुसूची 3

उत्तर प्रदेश में वृक्षों के निपातन और पुनः आरोपण के विनियम की व्यवस्था हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया गया है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम का कतिपय क्षेत्र में लागू न होना—यह अधिनियम

(क) आरक्षित और संरक्षित वन में स्थित वृक्षों पर;

(ख) किसी वन या वन भूमि में स्थित उन वृक्षों पर जिनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन कोई अधिसूचना प्रवृत्त हो;

(ग) छावनी क्षेत्र में स्थित वृक्षों पर;

लागू न होगा।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

1. उ० प्र० वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2001 संख्या 12 द्वारा संशोधित।

[1][5. वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए अनुज्ञा की प्रक्रिया—(1) कोई व्यक्ति, जो किसी खड़े वृक्ष को गिराने या किसी गिरे हुये वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने के लिये हकदार है, ऐसे अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, ऐसे खड़े वृक्ष को गिराने या ऐसे किसी गिरे हुये वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र देगा और वह अधिकारी, जिसे ऐसा आवेदन-पत्र दिया जाय, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, बीस दिन के भीतर आवेदन-पत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदित अनुज्ञा देगा या उसे देने से इंकार करेगा :

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन दी गयी रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही है तो वह ऐसी अग्रतर जांच कर सकता है जैसी वह उचित समझे :

परन्तु यह और कि आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायगा :

परन्तु यह भी कि यदि उस वृक्ष से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को खतरा है तो ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायगा :

परन्तु यह भी ऐसे क्षेत्र के सिवाय जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, ऐसी अनुज्ञा किसी वृक्ष के निपातन के लिये इस दृष्टि से कि ईधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिये उसकी लकड़ी या पत्ती को हस्तगत करना है, अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसी तात्कालिक कार्यवाही की जा सकती है जो किसी अवरोध या अपदूषण को हटाने के लिये या किसी खतरे को रोकने के लिये आवश्यक हो।

(3) जहाँ समक्ष प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिये विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है वहाँ यह समझा जायगा कि आवेदित अनुज्ञा दे दी गयी है।

(4) इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा ऐसी शर्त के अधीन होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाय, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र में पुनरुत्पादन और वृक्षों के पुनः आरोपण को सुनिश्चित करने के लिये या अन्यथा प्रतिभूति लेना भी है।]

[2][6. सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अभ्यावेदन—धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर पुनरीक्षण प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।]

7. वृक्षारोपण का दायित्व—प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी वृक्ष को गिराने, काटने, हटाने या निस्तारित करने की अनुज्ञा दी गई है, उस क्षेत्र में, जहां ऐसी अनुज्ञा के अधीन उसने ऐसे वृक्ष को गिराया है, काटा है, हटाया है या निस्तारित किया है, प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के आरोपण और परिपोषण के लिए बाध्य होगा :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, कम संख्या में वृक्षारोपण करने या किसी अन्य क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी व्यक्ति को वृक्ष के आरोपण या परिपोषण के दायित्व से मुक्त कर सकता है।

8. रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण—(1) जहाँ परगना अधिकारी से अन्यून श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी से अन्यून श्रेणी के किसी उद्यान अधिकारी या भूमि संरक्षण अधिकारी से अन्यून श्रेणी के किसी भूमि संरक्षण अधिकारी या सहायक अरण्यपाल से अन्यून श्रेणी के किसी वन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्य प्रकार से प्रभागीय वन अधिकारी की यह राय हो कि किसी रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, वहां वह ऐसे क्षेत्र के स्वामी, अध्यासी या खातेदार को (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) यह कारण बताने की नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों न ऐसे क्षेत्र में, जो ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, वृक्षारोपण किया जाये।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस ऐसे प्रपत्र में दी जायेगी और उसमें ऐसे विवरण होंगे और वह ऐसी विधि से तामील की जाएगी जो विहित की जाये।

(3) प्रभागीय वन अधिकारी आवेदक द्वारा बताये गये कारण पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उसे उतनी संख्या में और उस वर्ग के वृक्षों को लगाने का निदेश दे सकता है, जो निदेश में विनिर्दिष्ट हों।

(4) उपधारा (3) के अधीन दिये गये किसी निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश की तिथि के तीस दिनों के भीतर सम्बन्धित अरण्यपाल को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

1. उ० प्र० अधिनियम, 2001 संख्या 12 (दिनांक 24-2-2001 से प्रभावी) की धारा 2 द्वारा धारा 5 प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम, 2001 संख्या 12 (दिनांक 24-2-2001 से प्रभावी) की धारा 2 द्वारा धारा 6 प्रतिस्थापित।

परन्तु यह भी कि ऐसे क्षेत्र के सिवाय जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाये, ऐसी अनुज्ञा किसी वृक्ष के निपातन के लिये इस दृष्टि से ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिए उसकी लकड़ी या पत्ती को हस्तगत करना है, अपेक्षित नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसी तात्कालिक कार्यवाही की जा सकती है जो किसी अवरोध या अपदूषण को हटाने के लिए या किसी खतरे को रोकने के लिए आवश्यक हो।

(3) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिये विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है वहाँ यह समझा जायेगा कि आवेदित अनुज्ञा दे दी गयी है।

(4) इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा ऐसी शर्त के अधीन होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाय, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र में पुनरुत्पादन और वृक्षों के पुनः आरोपण को सुनिश्चित करने के लिये या अन्यथा प्रतिभूत लेना भी है।

[1][**6. सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अभ्यावेदन**— धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर पुनरीक्षण प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

7. वृक्षारोपण का दायित्व—प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी वृक्ष को गिराने, काटने, हटाने या निस्तारित करने की अनुज्ञा दी गई है, उस क्षेत्र में जहाँ ऐसी अनुज्ञा के अधीन उसने ऐसे वृक्ष को गिराया है, काटा है, हटाया है, या निस्तारित किया है, प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के आरोपण और परिपोषण के लिए बाध्य होगा।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, कम संख्या में वृक्षारोपण करने या किसी अन्य क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी व्यक्ति को वृक्ष के आरोपण या परिपोषण के दायित्व से मुक्त कर सकता है।

8. रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण—(1) जहाँ परगना अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी राजस्व-अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी उद्यान अधिकारी, या भूमि संरक्षण अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी भूमि संरक्षण अधिकारी या सहायक अरण्यपाल से अनिम्न श्रेणी के किसी वन अधिकारी की आख्या के आधार पर या अन्य प्रकार से प्रभागीय वन अधिकारी की यह राय हो कि किसी रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए वहाँ वह ऐसे क्षेत्र में स्वामी, अध्यायी या खातेदार को (जिसे आगे अभ्यर्थी कहा गया है) यह कारण बताने का नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों न ऐसे क्षेत्र में जो ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, वृक्षारोपण किया जाये।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस ऐसे प्रपत्र में दी जायेगी और उसमें ऐसे ब्यौरे होंगे और वह ऐसी रीति से तामील की जायेगी जो विहित की जाये।

(3) प्रभागीय वन अधिकारी अभ्यर्थी द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उसे उतनी संख्या में और उस वर्ग के वृक्षों को लगाने का निर्देश दे सकता है, जो निर्देश में विनिर्दिष्ट हो।

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 2001 द्वारा धारा 5 व 6 प्रतिस्थापित जो अधिसूचना संख्या 993/17-वि-1-एक (क)-5-2001, दिनांक 30 अप्रैल, 2001 उ०प्र० असाधारण गजट भाग-1 खण्ड (क), दिनांक 10 अप्रैल, 2001 में प्रकाशित हुआ।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत अभिग्रहीत किये गये प्रत्येक प्रकाष्ठ या वस्तु की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट/ न्यायालय को भेजी जाएगी जिसे उस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा अभिग्रहित समस्त प्रकाष्ठ या सम्पत्ति उस न्यायालय के आदेशानुसार ही निस्तारित की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी जानबूझकर किसी को क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के लिए गलत गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है तो ऐसा अधिकारी 6 माह तक के कारावास अथवा 500 रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा-15- शमन की शक्ति :-

(1) राज्य सरकार नोटिफिकेशन द्वारा किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी कि यदि यह विश्वास करने का कारण विद्यमान है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध किया है या किसी वृक्ष का अवैध पातन किया है तो वह शमन राशि के रूप में प्रत्येक अभियुक्त से अधिकतम 5000 रूपये तक की राशि स्वीकार कर सकेगा।

(2) शमन राशि के भुगतान के बाद यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा और उसके विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही उस वाद के सम्बन्ध में नहीं की जाएगी तथा शमन करने वाला अधिकारी यदि उचित समझता है तो वह अधिकतम 5000 रूपये की राशि लेकर उस वाद में अभिग्रहीत की गई सभी वस्तु, प्रकाष्ट आदि को छोड़ सकेगा।

धारा – 21 राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को अथवा किसी प्रजाति के वृक्ष को इस अधिनियम के दायरे

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

हो, उपस्थित होने का बन्धपत्र (Bond) लिखने पर छोड़ दिया जायेगा। परन्तु यदि अभियुक्त बन्धपत्र देने से इन्कार करता है तो उसे बिना विलम्ब किये मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(च) **अन्तिम रिपोर्टः**-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रमाण एकत्र करने के बाद उन्हें अभिलिखित करते हुए जाँच अधिकारी घटना के तीन माह के अन्दर अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यदि अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करते हुए विभागीय फैसला चाहता है तो अपराध का प्रशमन किया जायेगा अन्यथा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग चलाया जायेगा।

8. अपराध का प्रशमन

भारतीय वन अधिनियम की धारा 68 के अधीन प्रभागीय वनाधिकारी को अधिकतम रु.500/-तक प्रतिकर प्राप्त करने तथा अपराध प्रशमित करने का अधिकार है। परन्तु वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 15 में केवल वन संरक्षक को किसी वन, बाग या सार्वजनिक भूगृहादि में स्थित वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में प्रतिकर प्राप्त करने तथा अपराध प्रशमित करने का अधिकार है। एतद् सम्बन्धी अधिसूचना परिशिष्ट 4 में दी गई है। प्रतिकर की अधिकतम धनराशि भी वृक्ष संरक्षण अधिनियम में रु.5000/-निर्धारित की गई है। प्रायः सभी वृत्तों में इस विषय पर स्थाई आदेश निर्गत किये गये हैं जिनमें अपराध की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में वांछित प्रतिकर की धनराशि निर्धारित की गई है। इनके अनुसार प्रतिकर जमा करवा कर वन अपराध प्रशमित करने की संस्तुति देनी चाहिये। कई वन प्रभागों में प्रभागीय वनाधिकारी ही वृक्ष संरक्षण अधिनियम के वन अपराधों को भी प्रशमित कर रहे हैं जो कि विधि-विरुद्ध है। यह अधिकार केवल वन संरक्षक को है।

फारेस्ट मैनुअल के अनुसार भा.व.अधि. की धारा 68 में की गई प्रशमन की कार्यवाही दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से न्यायालय के बाहर किया गया समझौता है। अतः निर्धारित की गई प्रतिकर की धनराशि भा.व.अधि. की धारा 82 अथवा Public Money, Recovery of Dues Act 1965 के द्वारा भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल नहीं की जा सकेगी। अतः जहाँ पर अपराधी पहले प्रतिकर

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

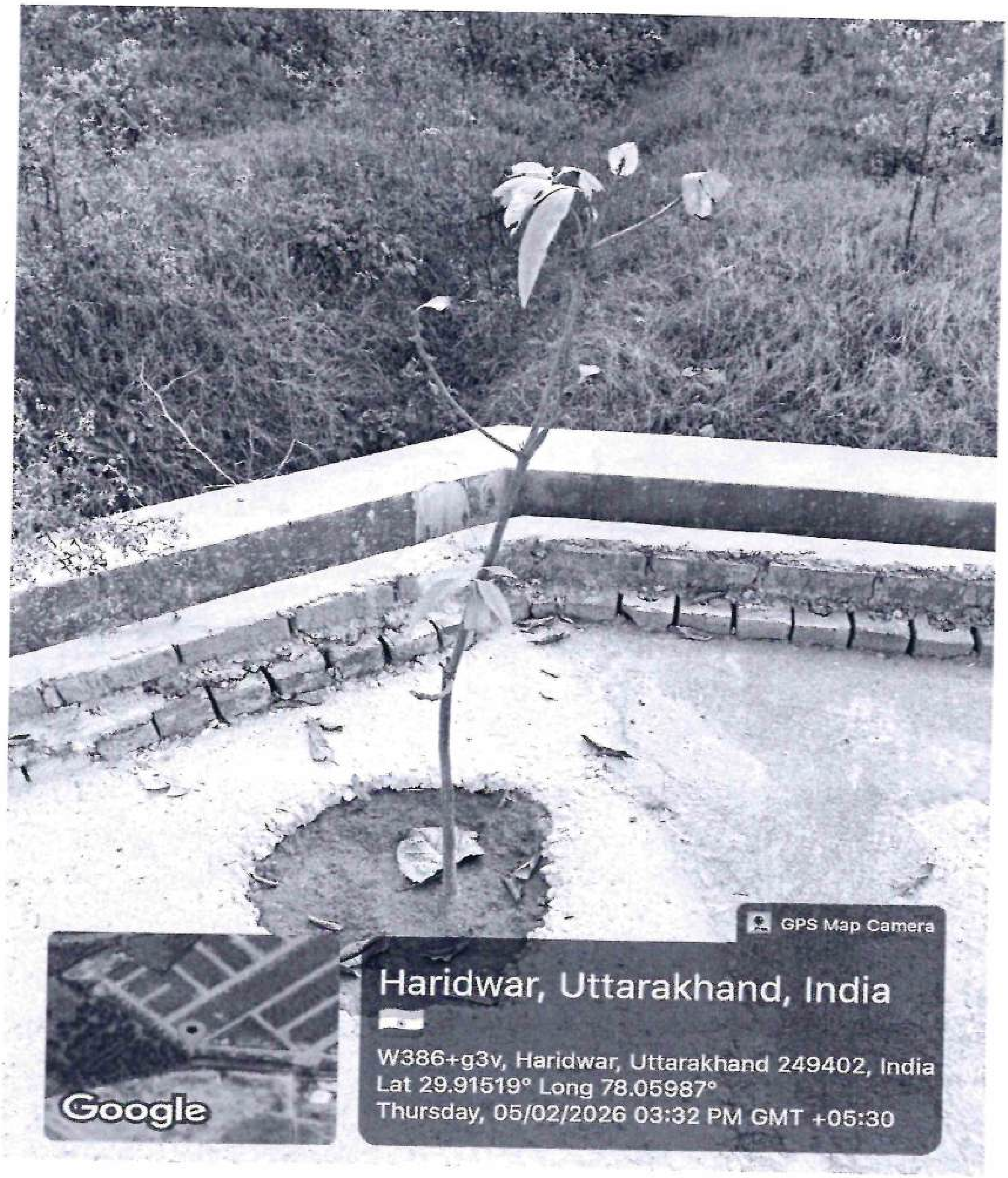

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

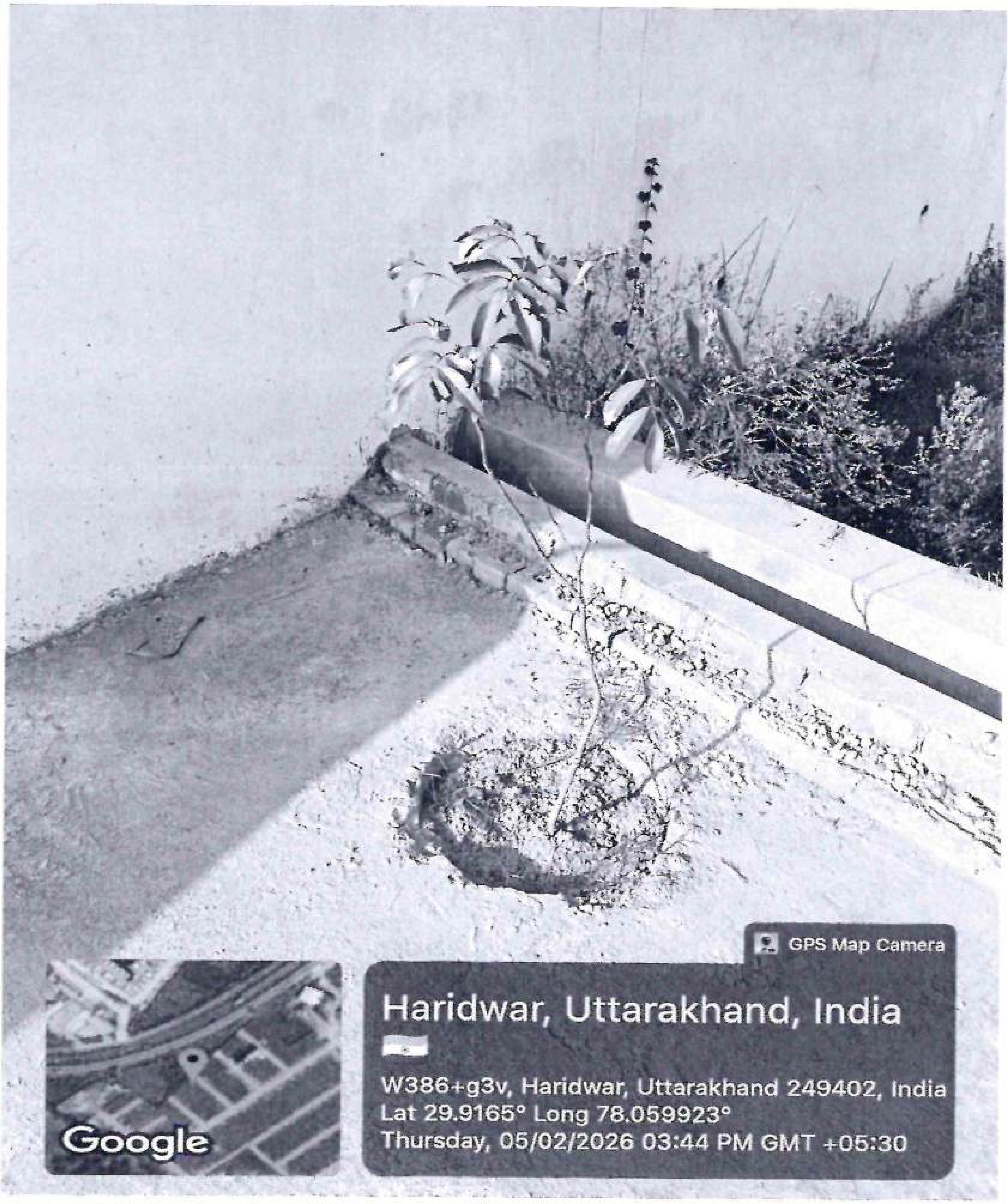

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

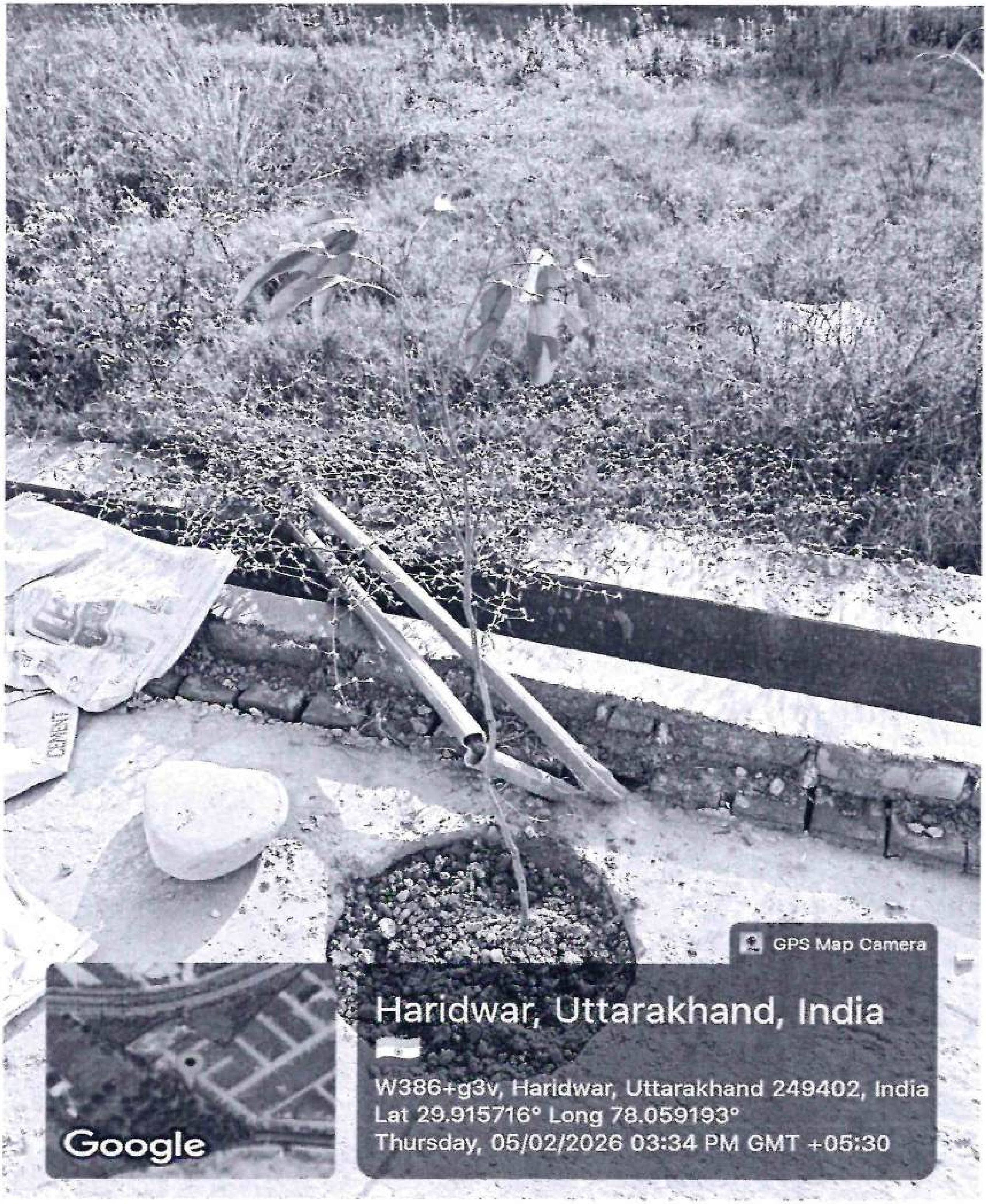

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

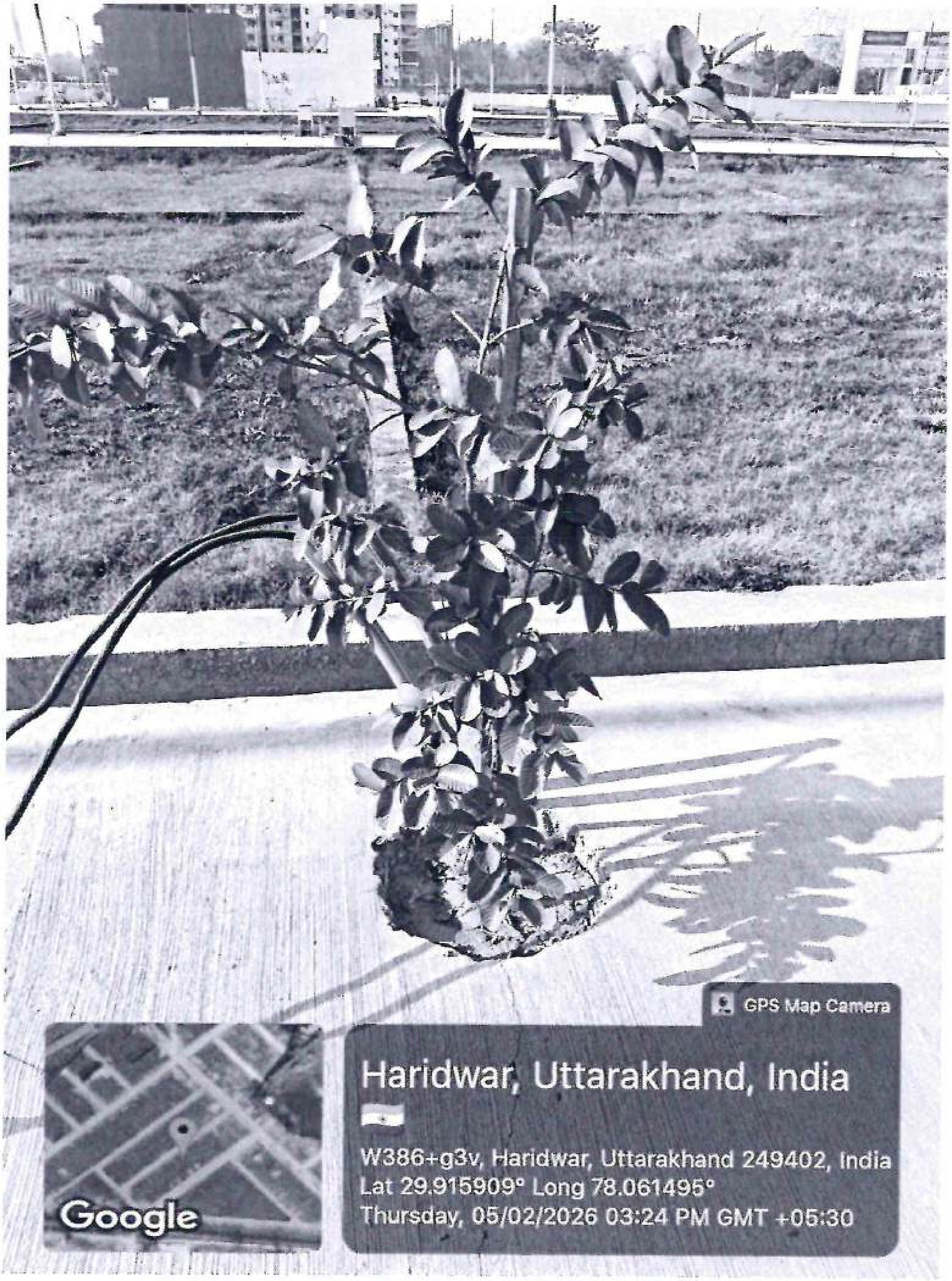

मुख्य [illegible] अधिकारी
हरिद्वार

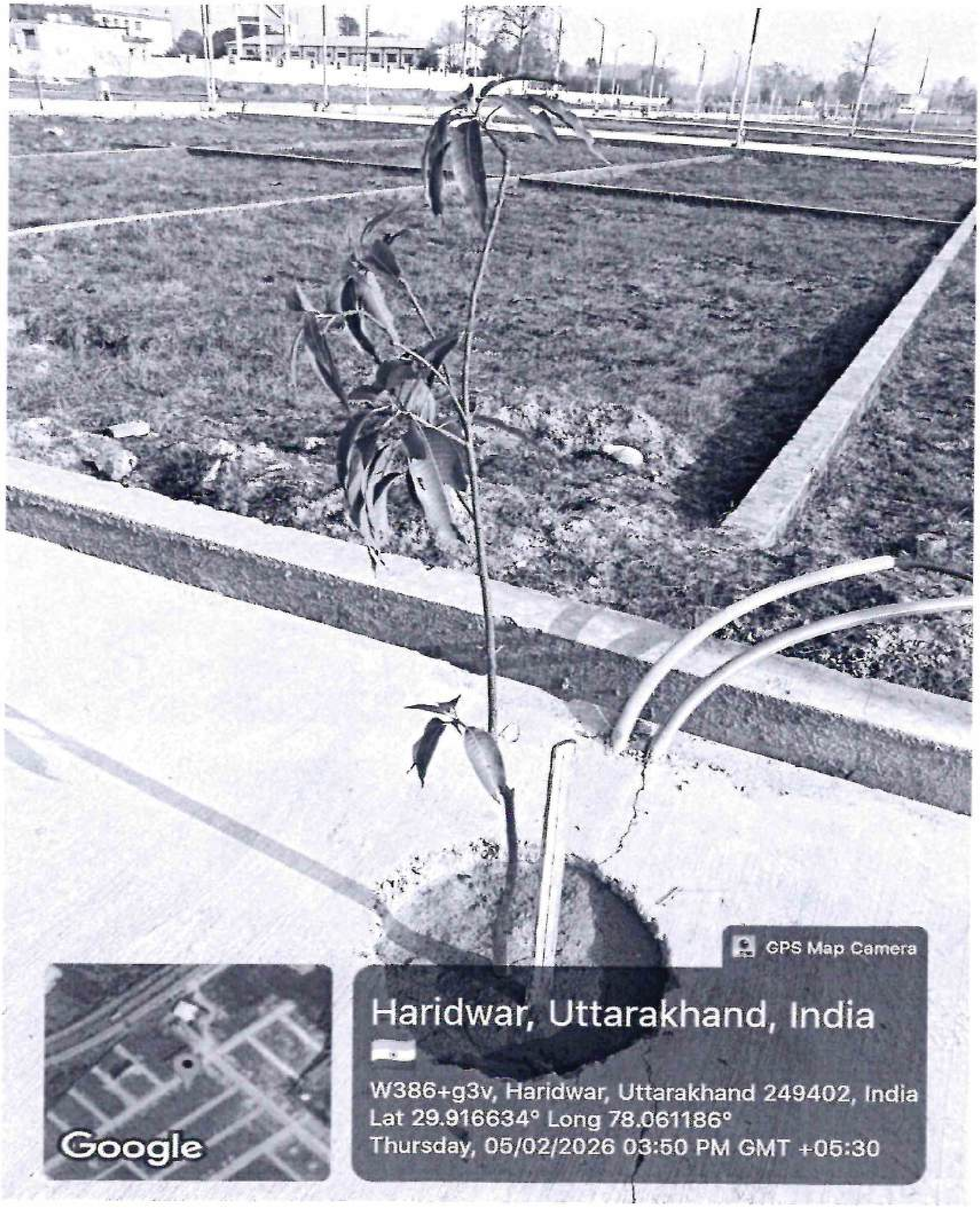

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

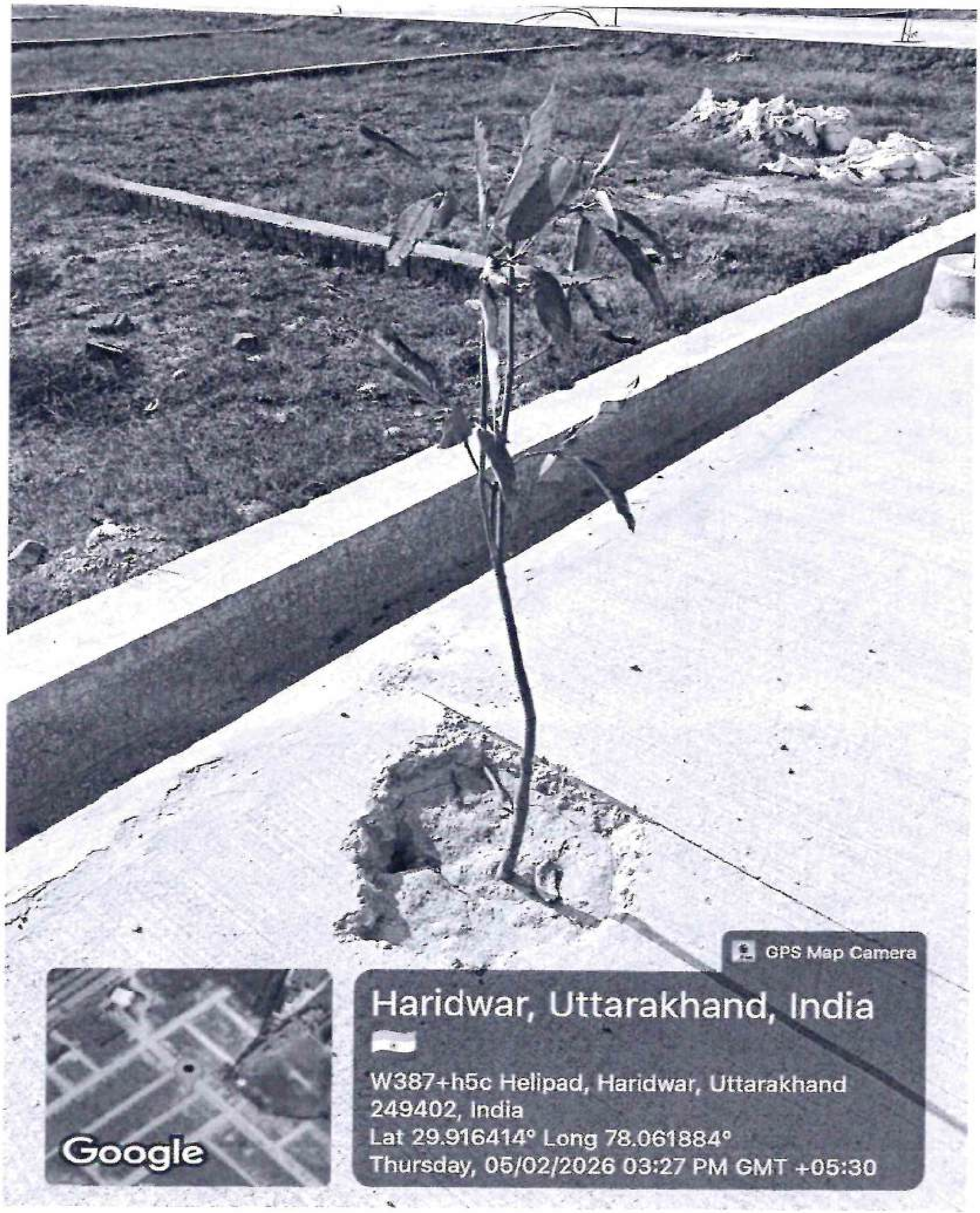

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

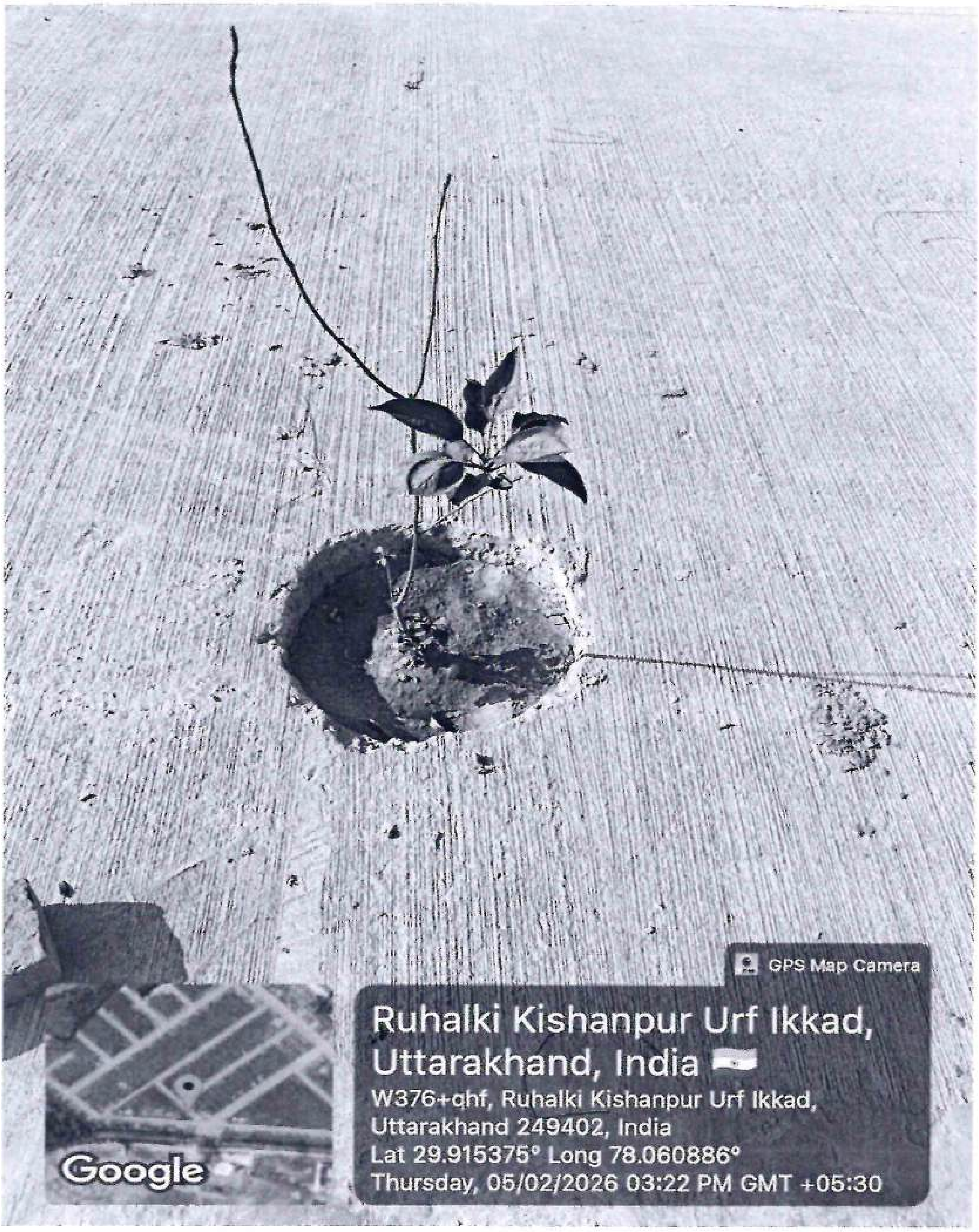

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

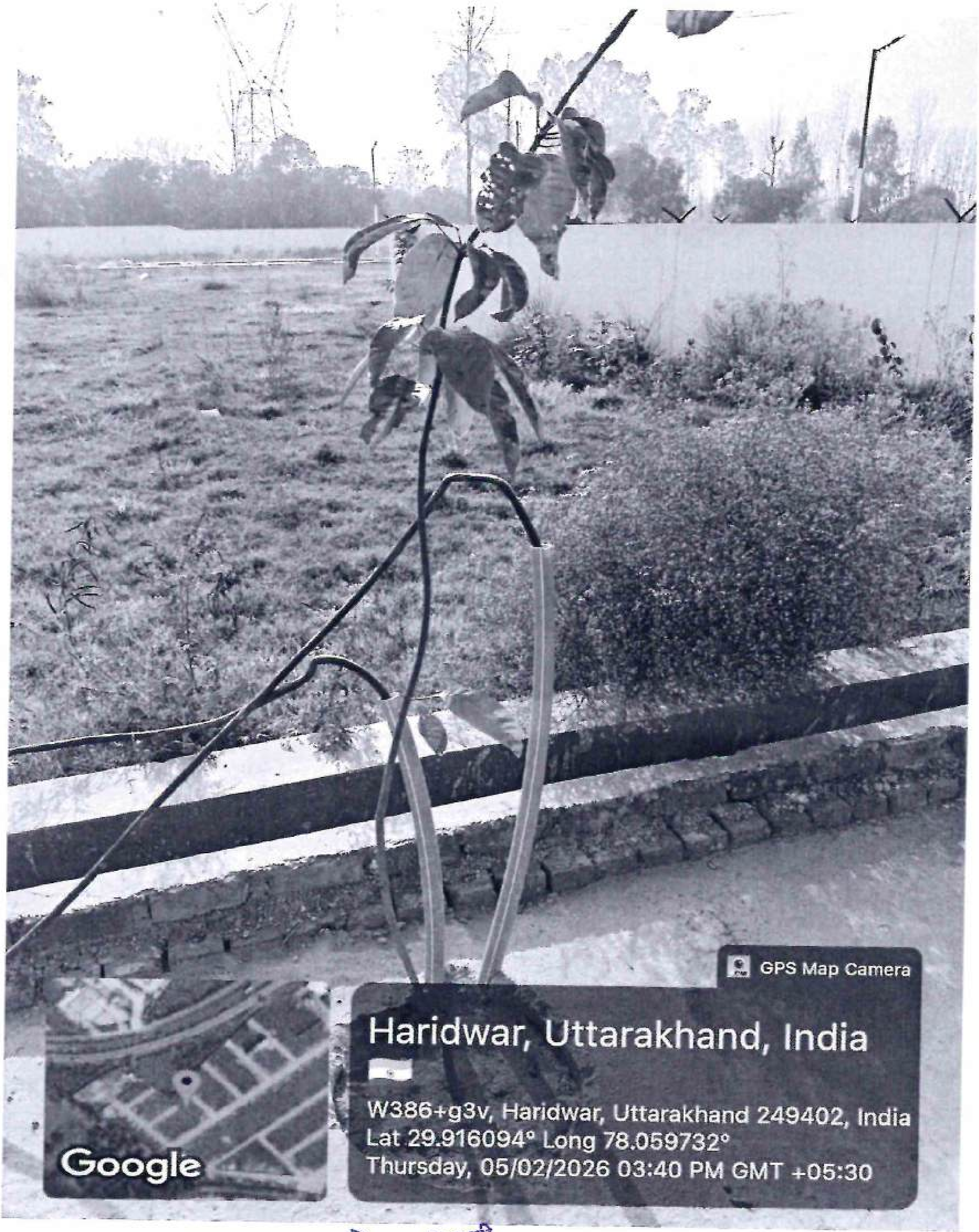

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

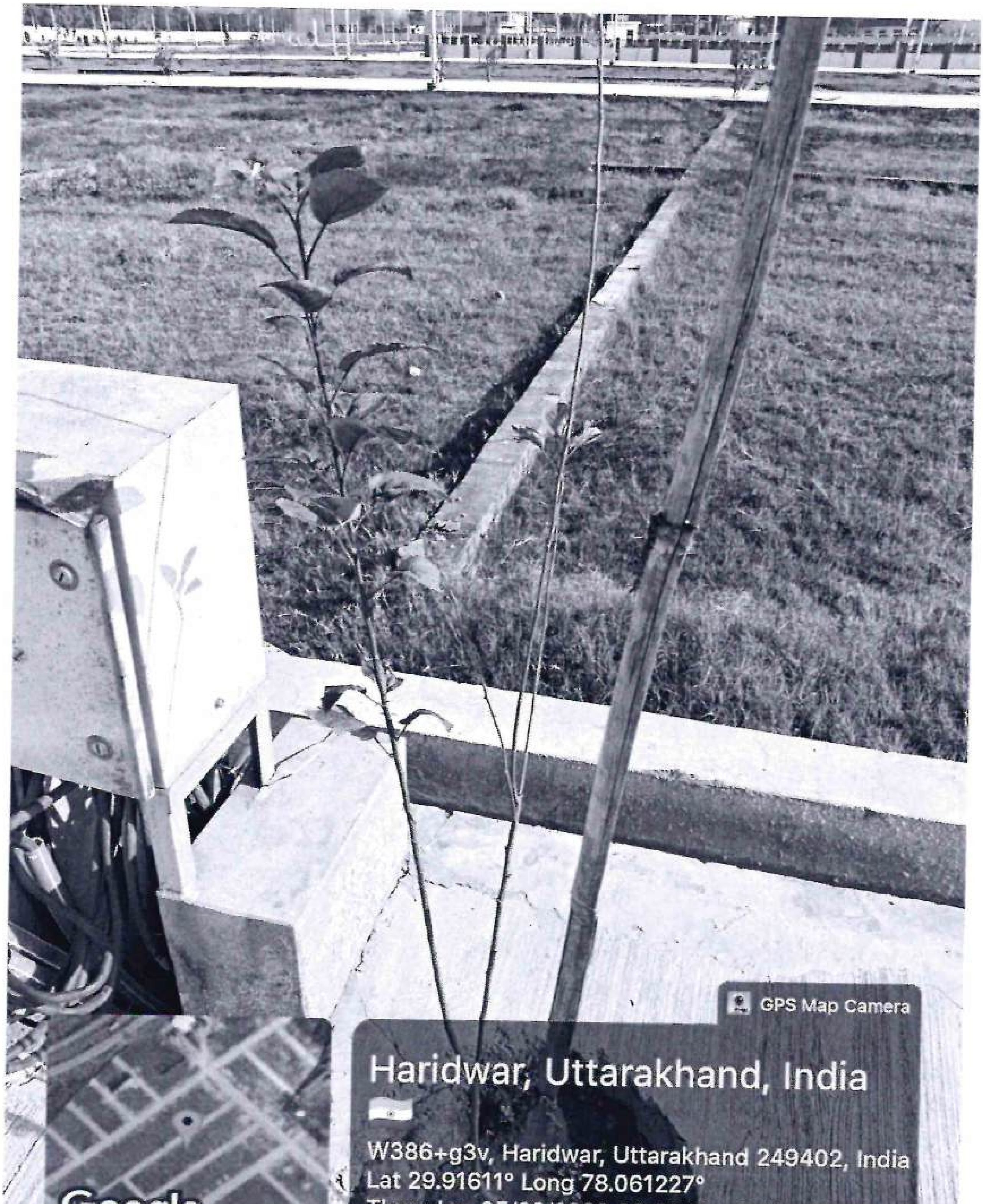

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

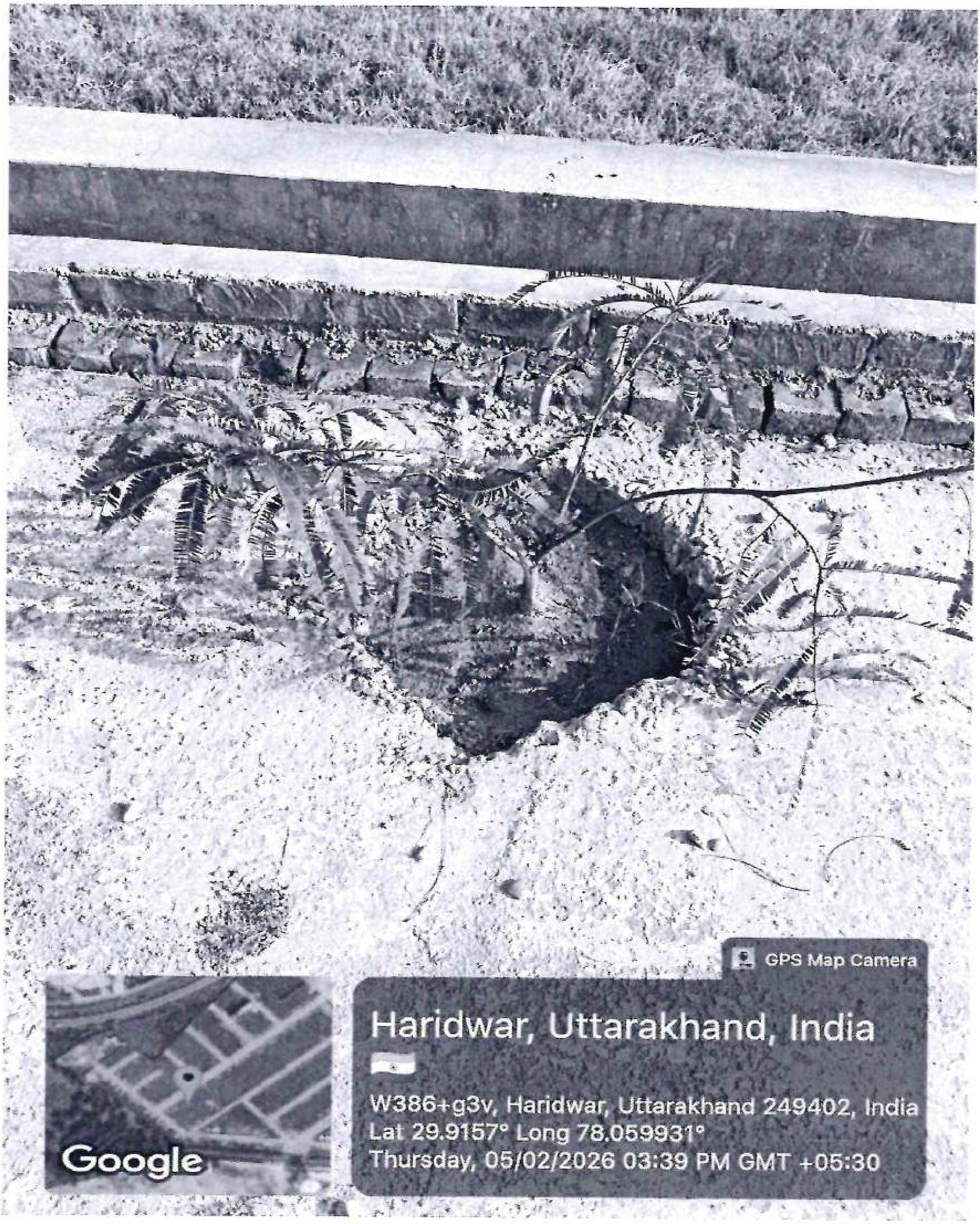

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

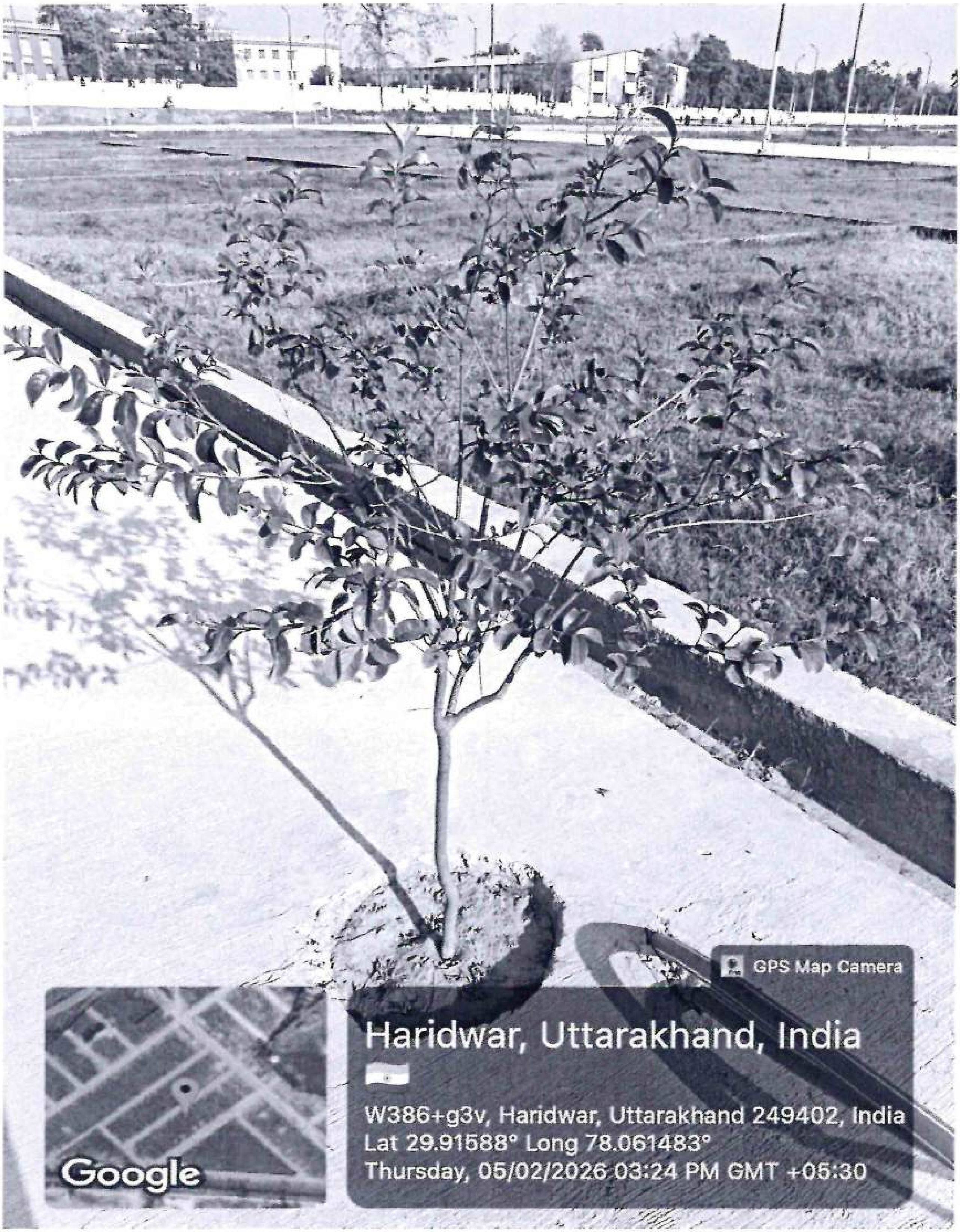

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

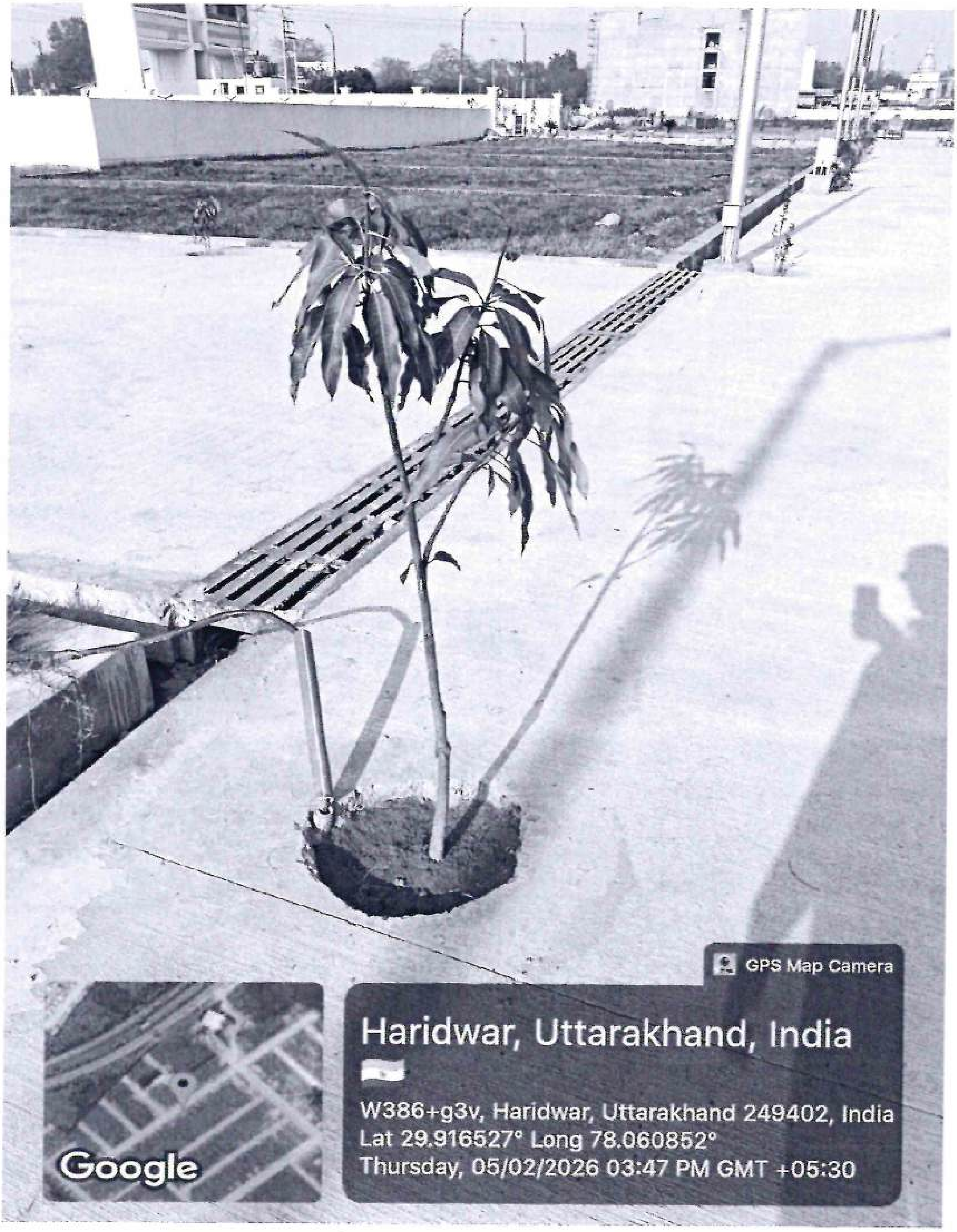

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

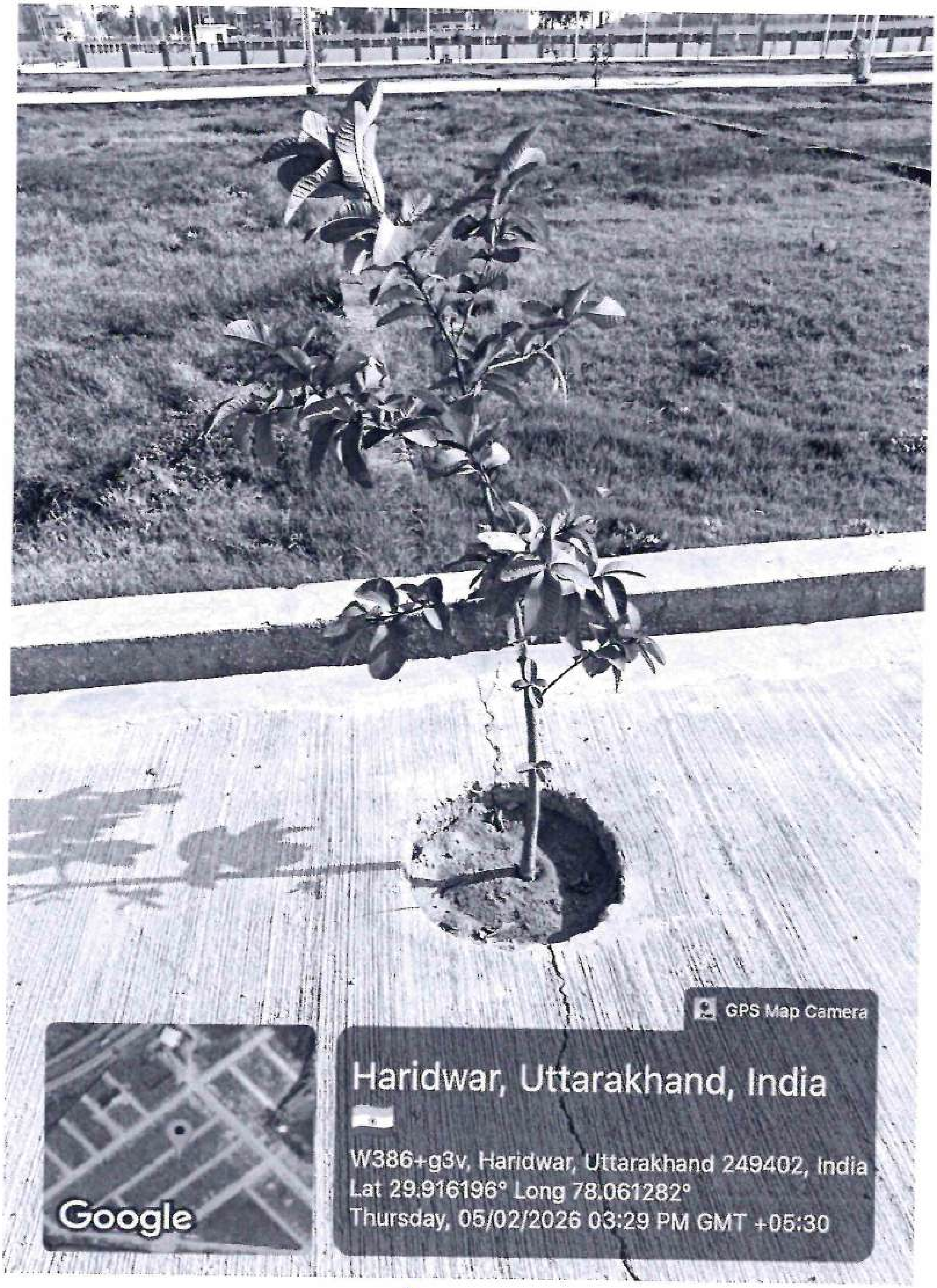

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

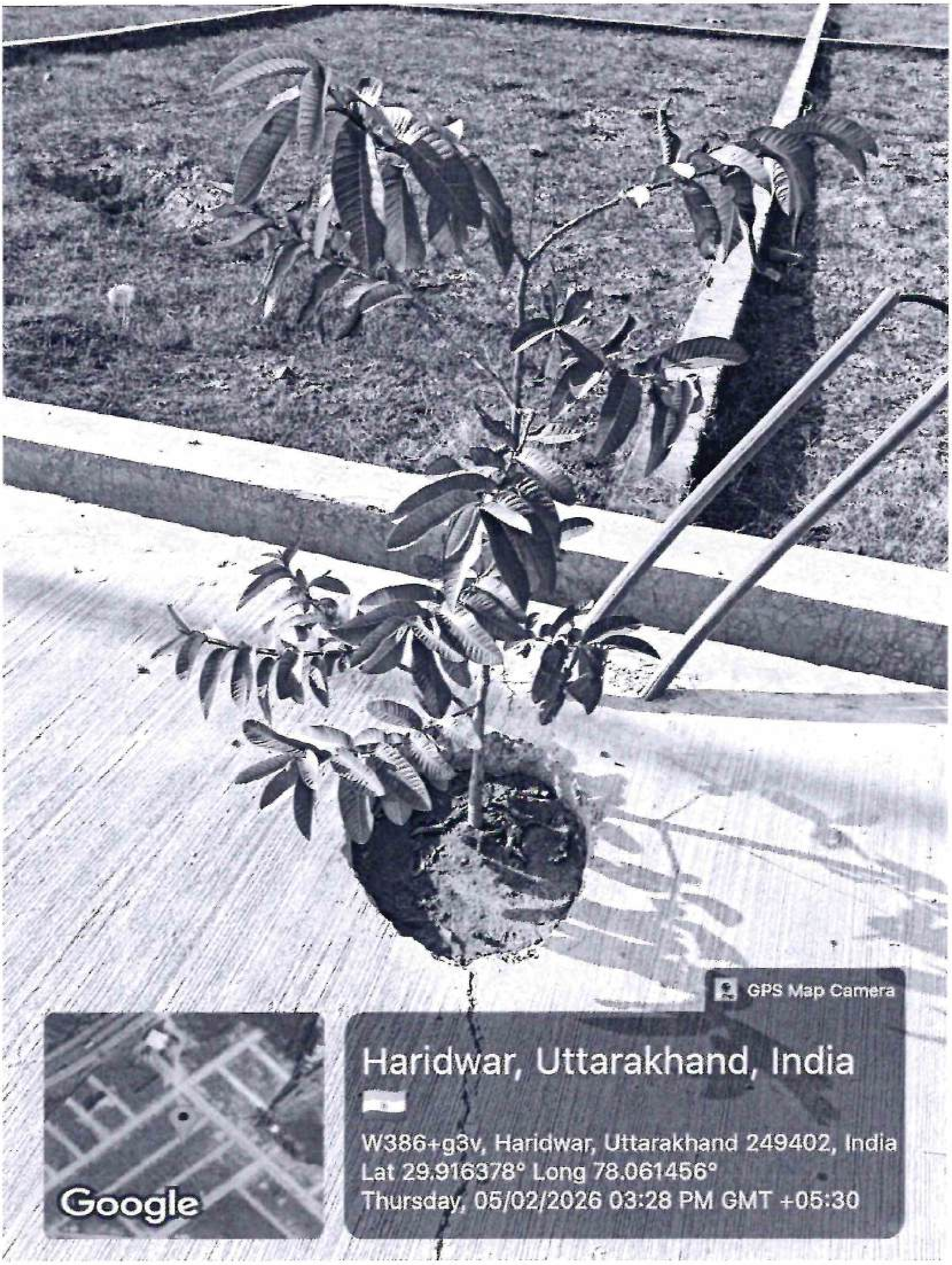

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

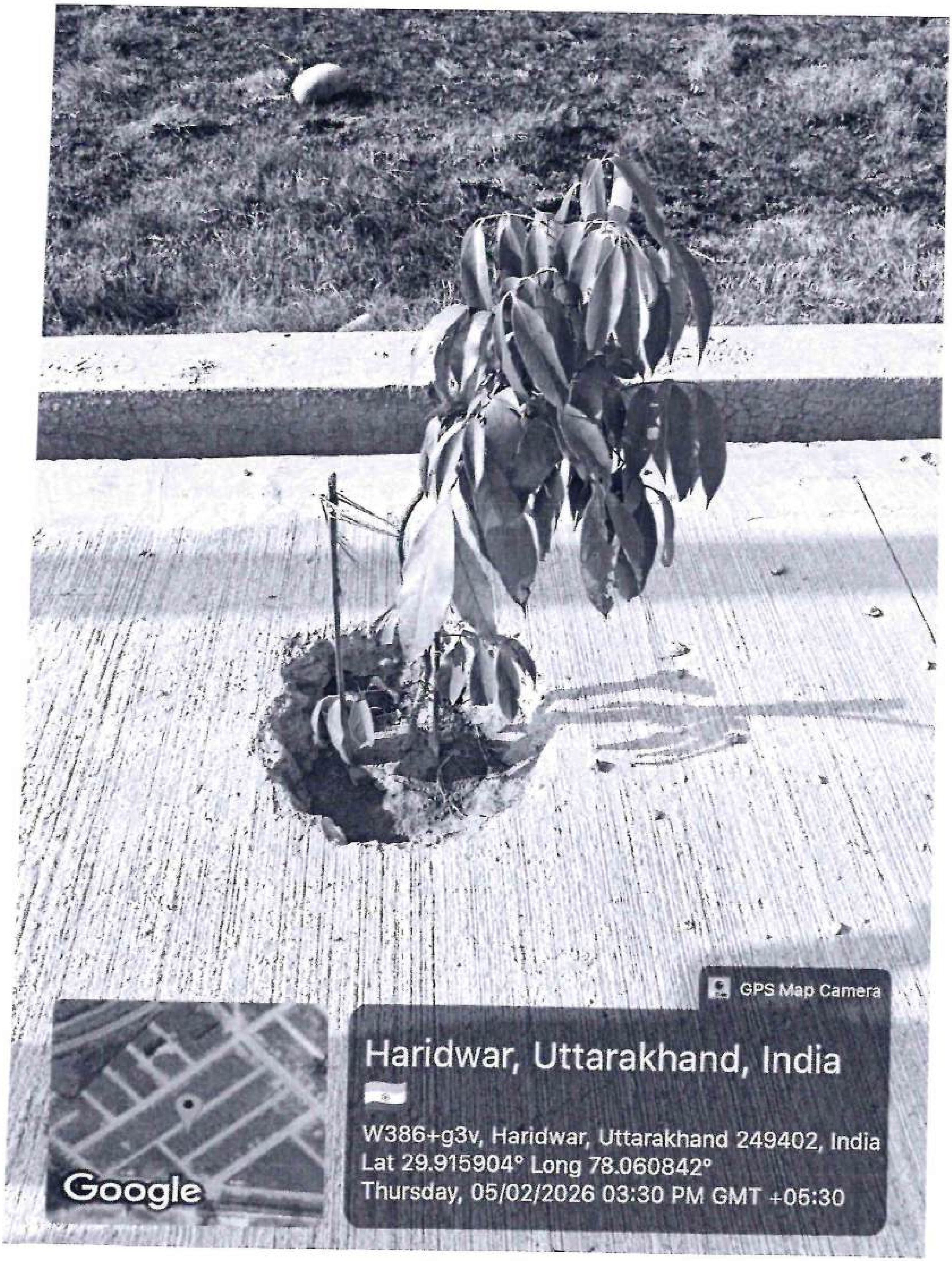

मुख्य नगर अधिकारी
हरिद्वार

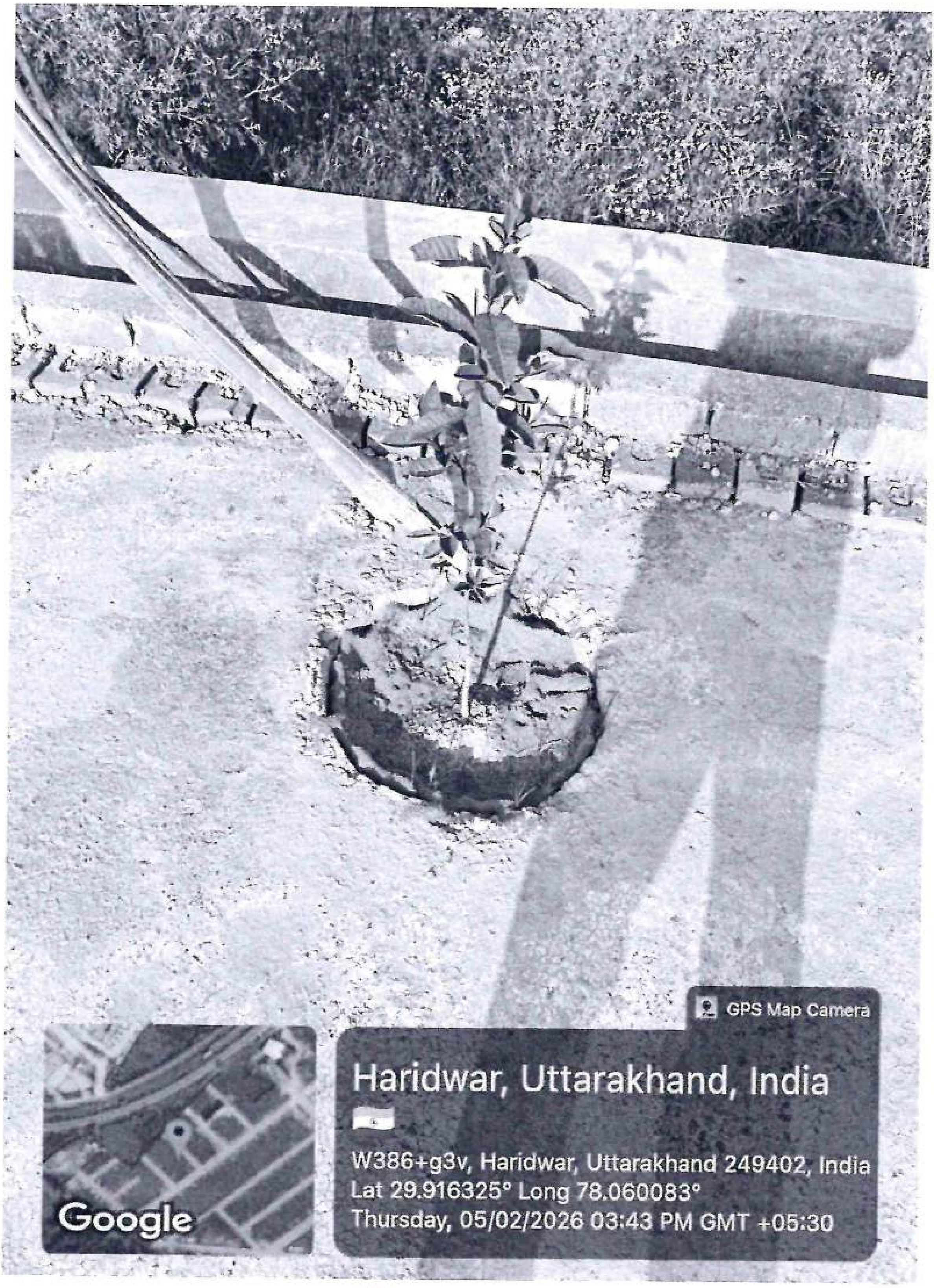

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

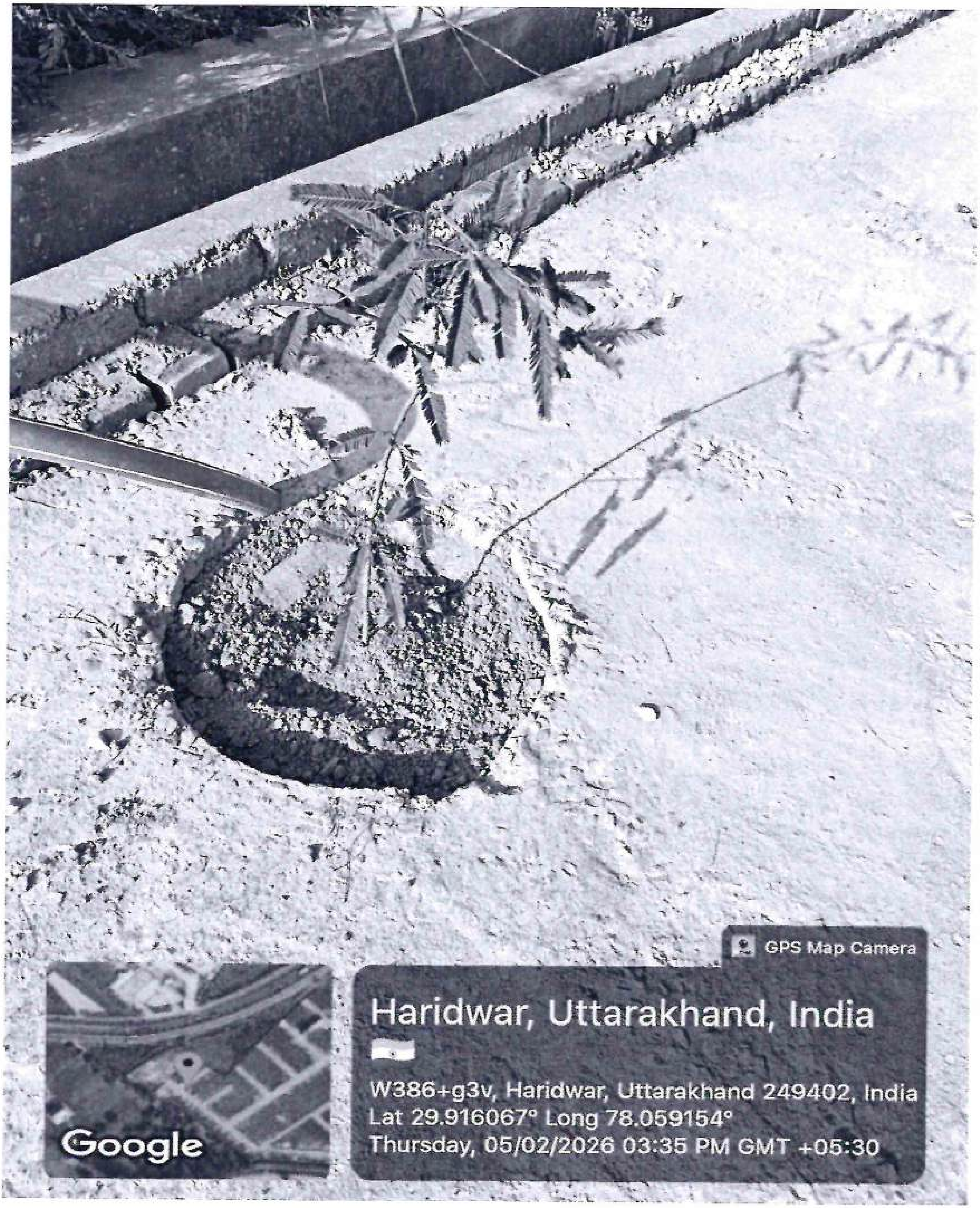
GPS Map Camera
Haridwar, Uttarakhand, India
W386+g3v, Haridwar, Uttarakhand 249402, India
Lat 29.916067° Long 78.059154°
Thursday, 05/02/2026 03:35 PM GMT +05:30
Google

उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

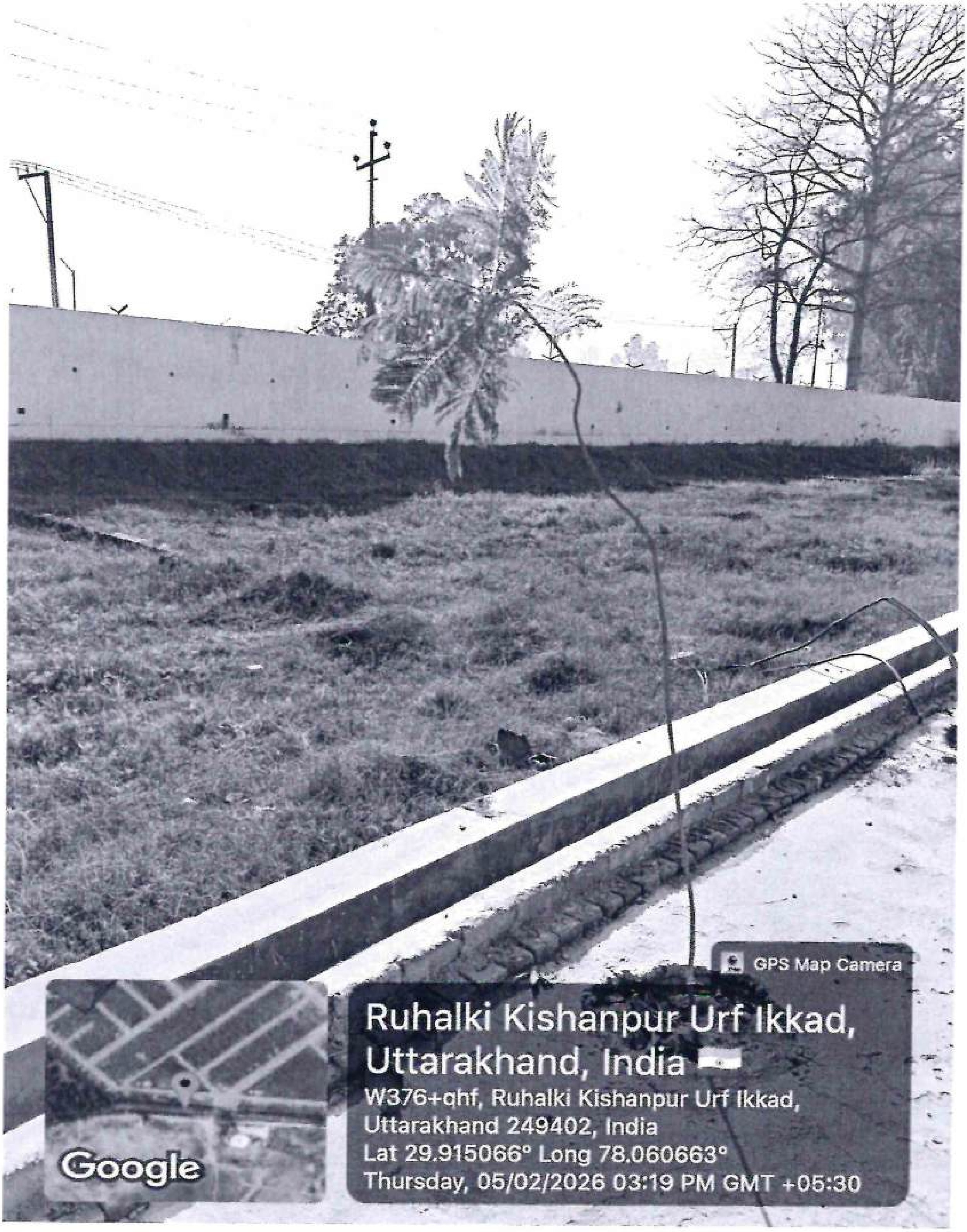

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

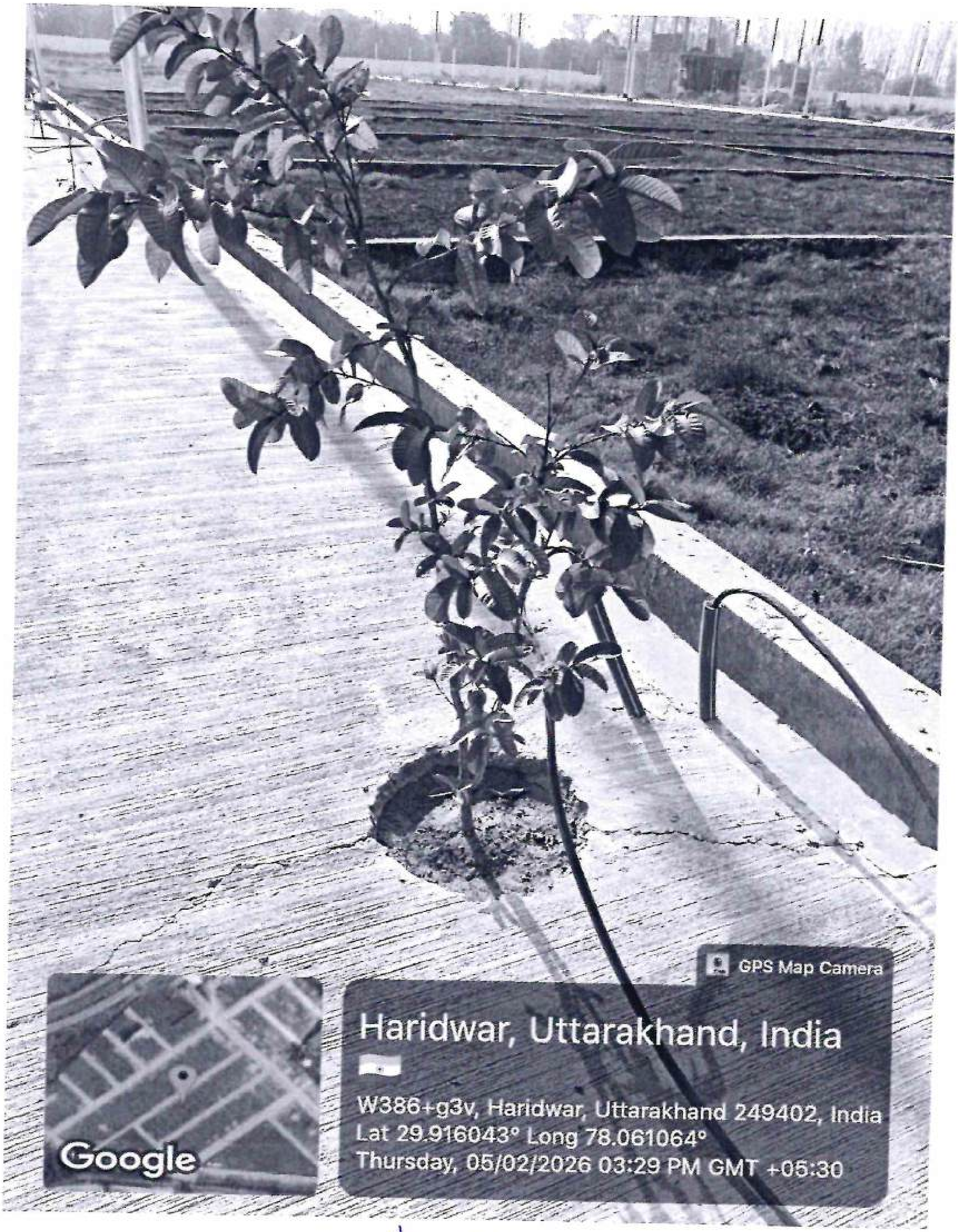
GPS Map Camera
Haridwar, Uttarakhand, India
W386+g3v, Haridwar, Uttarakhand 249402, India
Lat 29.916043° Long 78.061064°
Thursday, 05/02/2026 03:29 PM GMT +05:30
Google

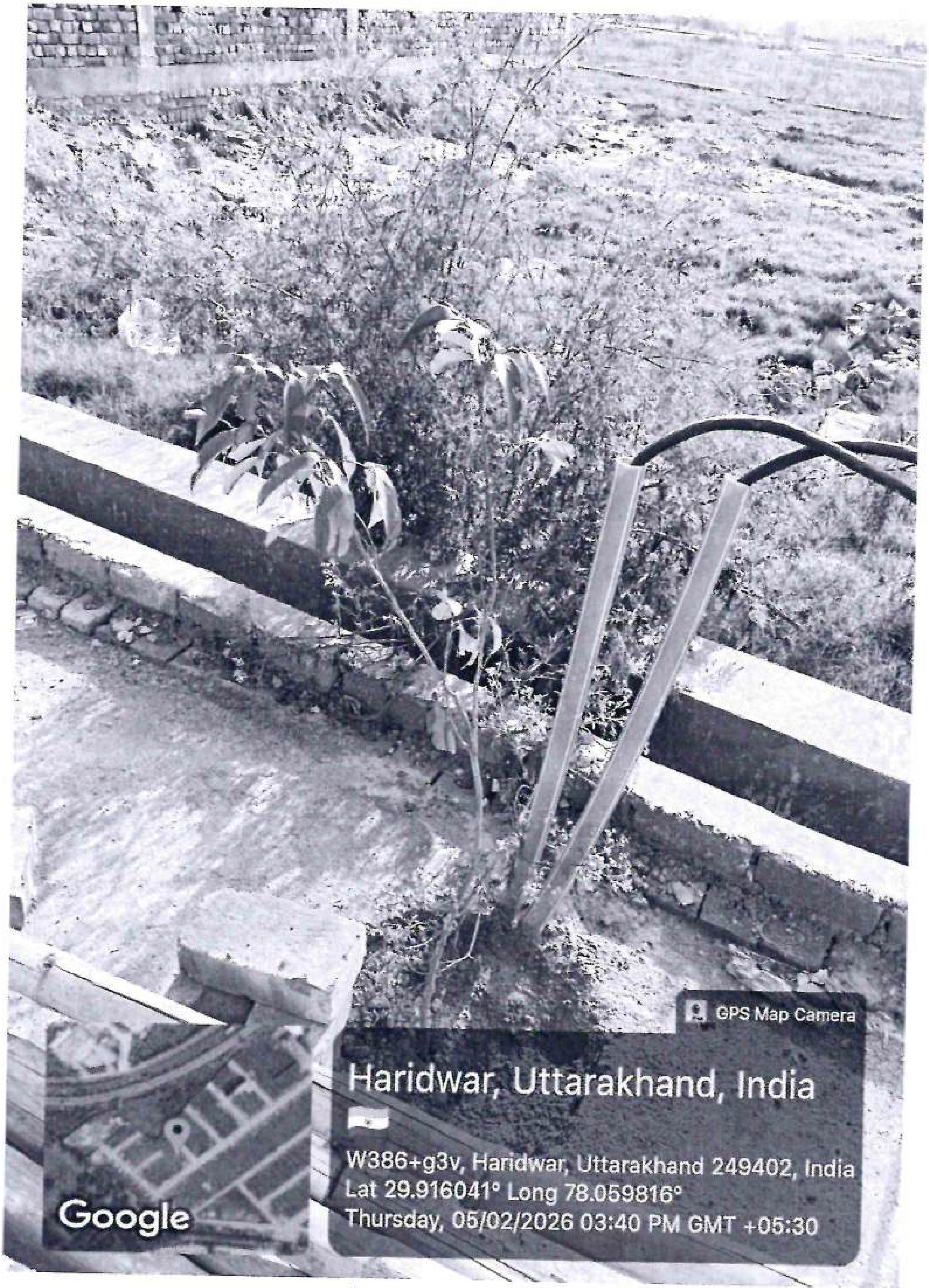

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

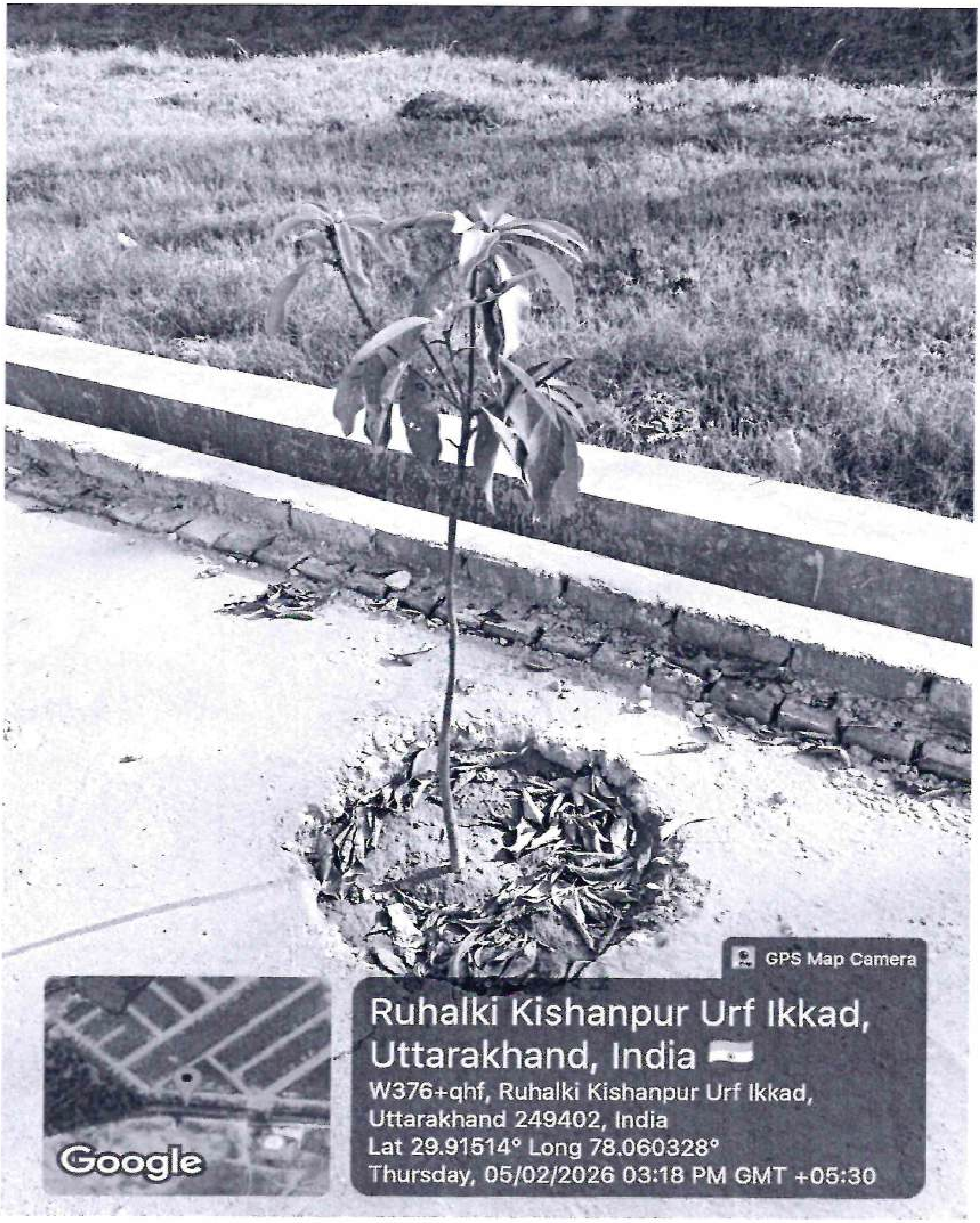

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

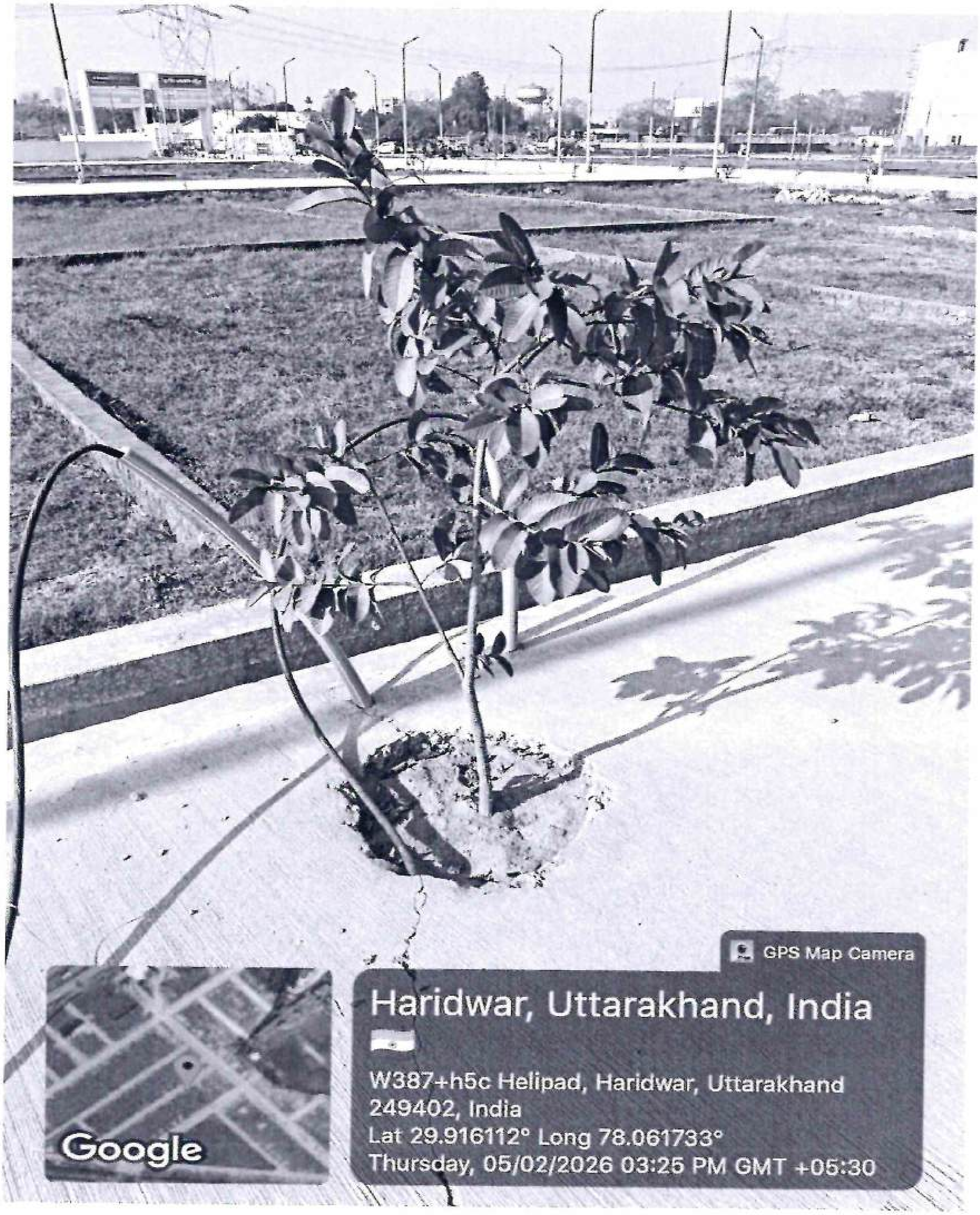

उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

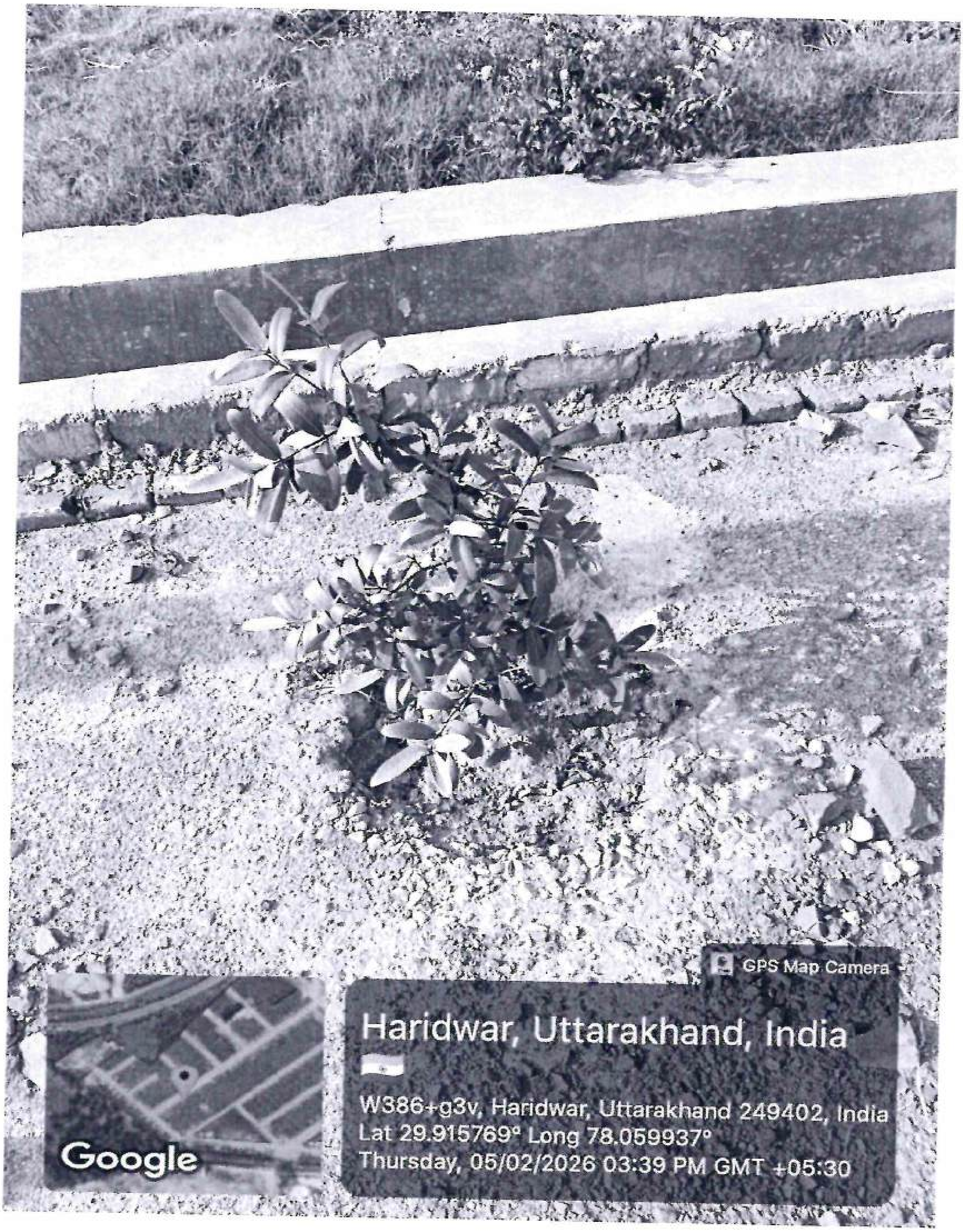

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

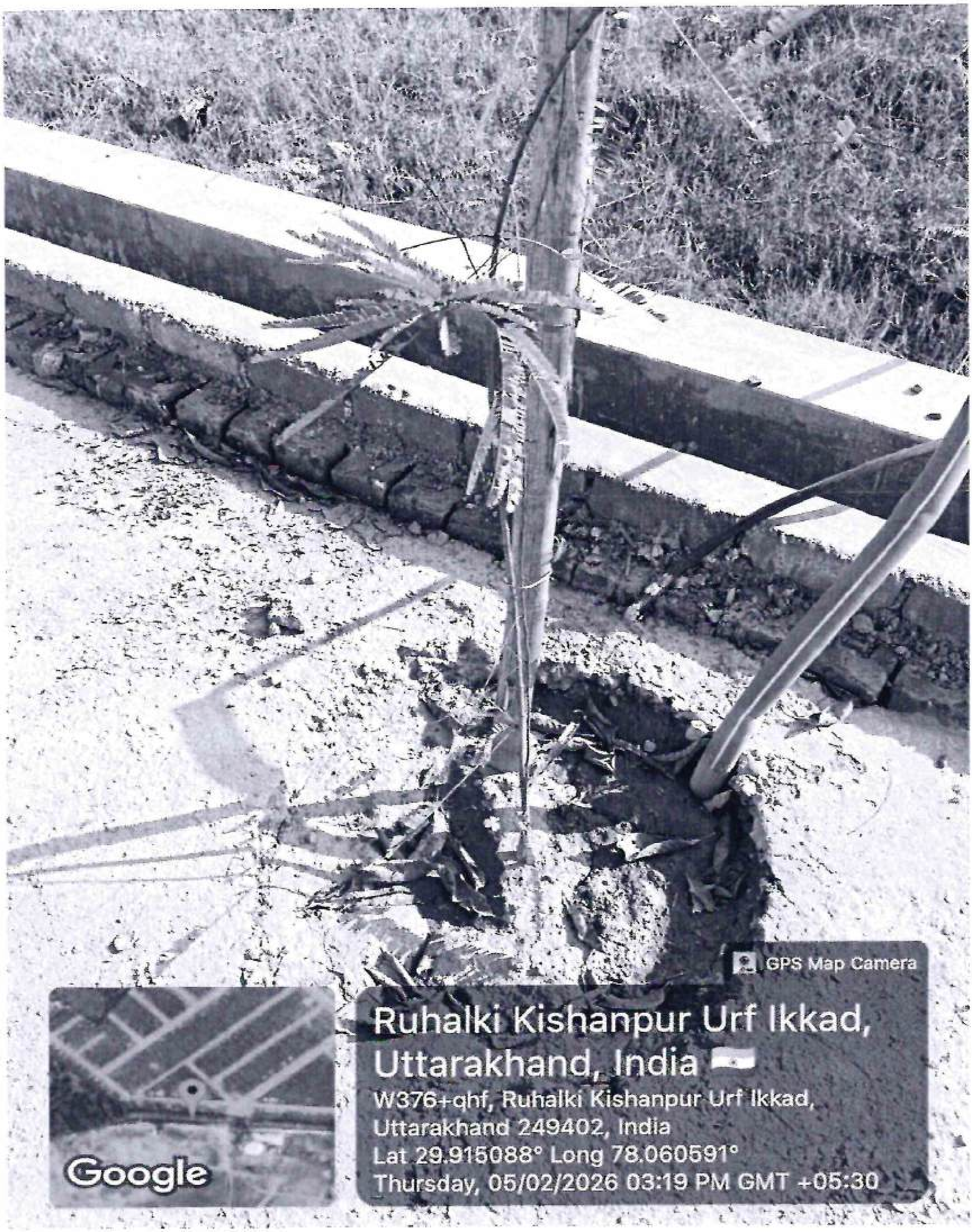

मुख्य उद्यान अधिकारी

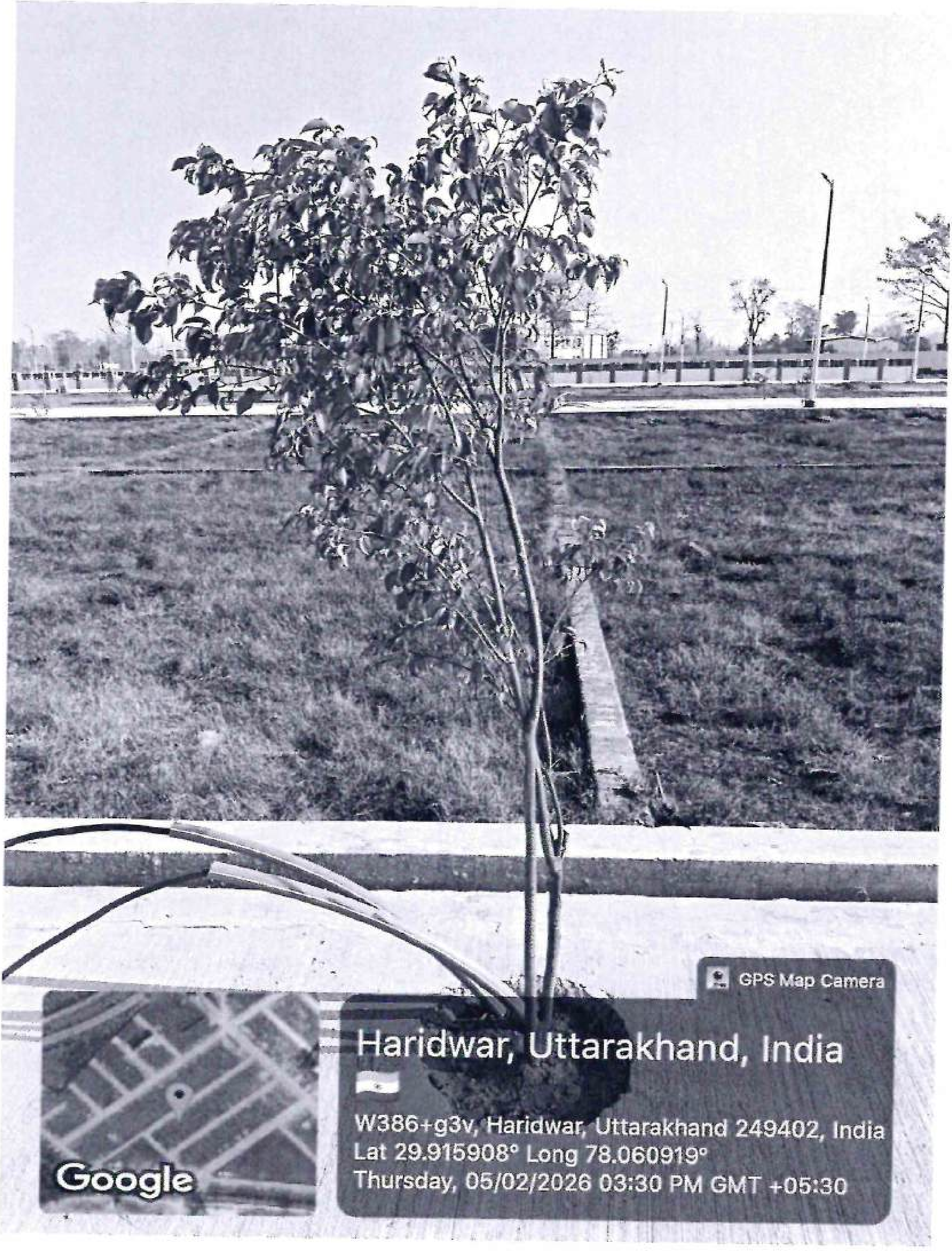

मुख्य उद्यान अधिकारी

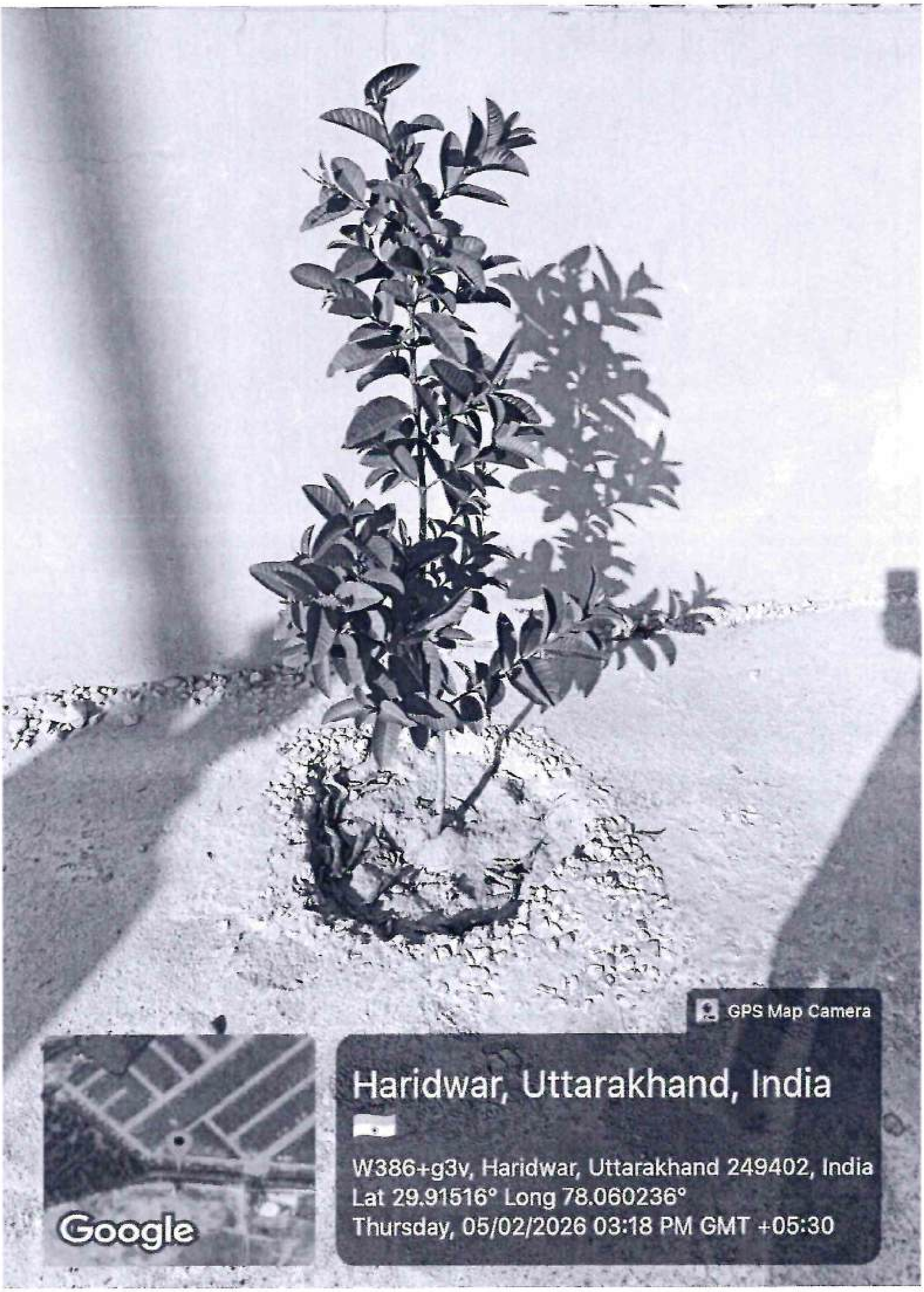

मुख्य उद्यान अधिकारी

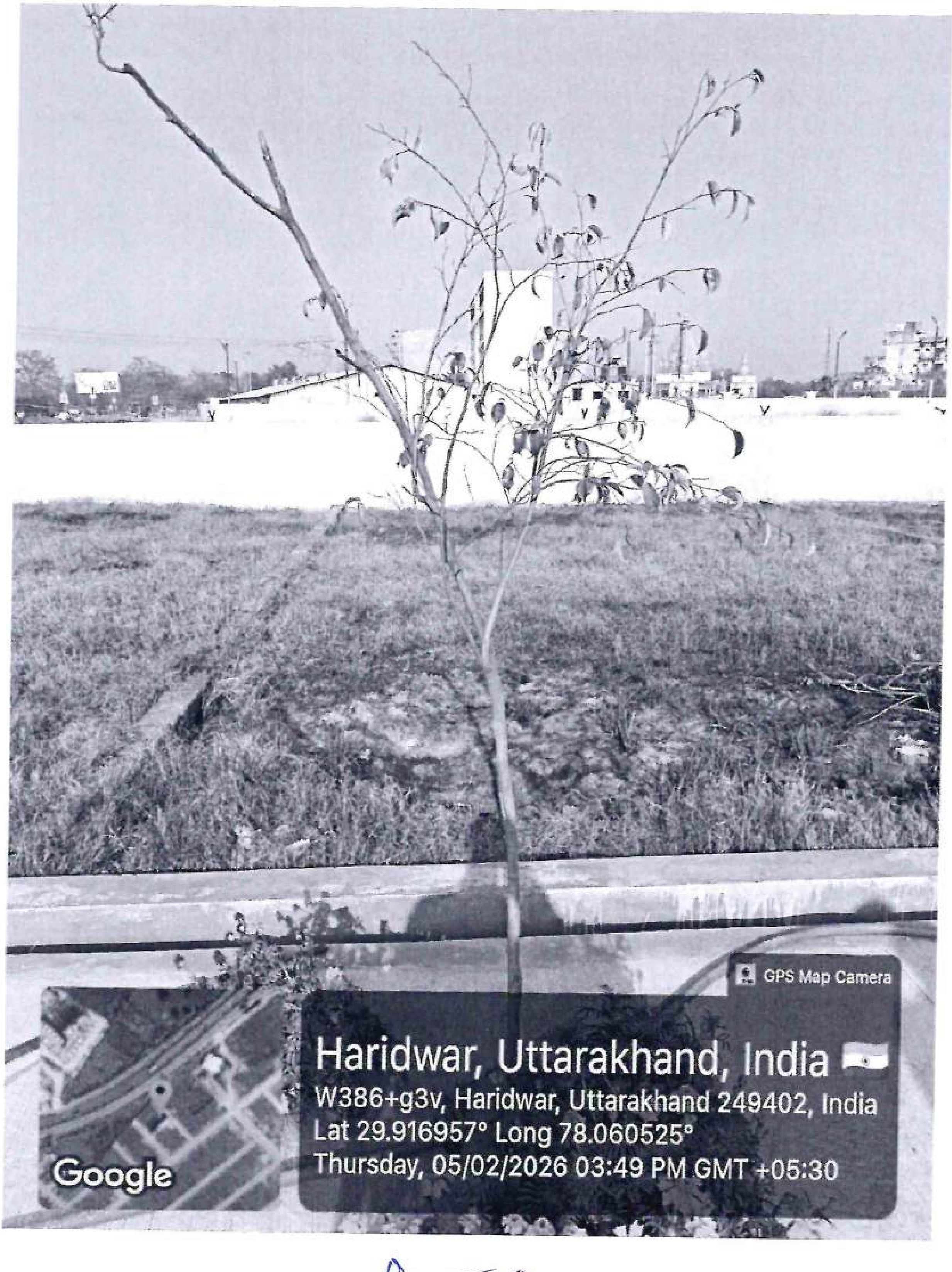

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

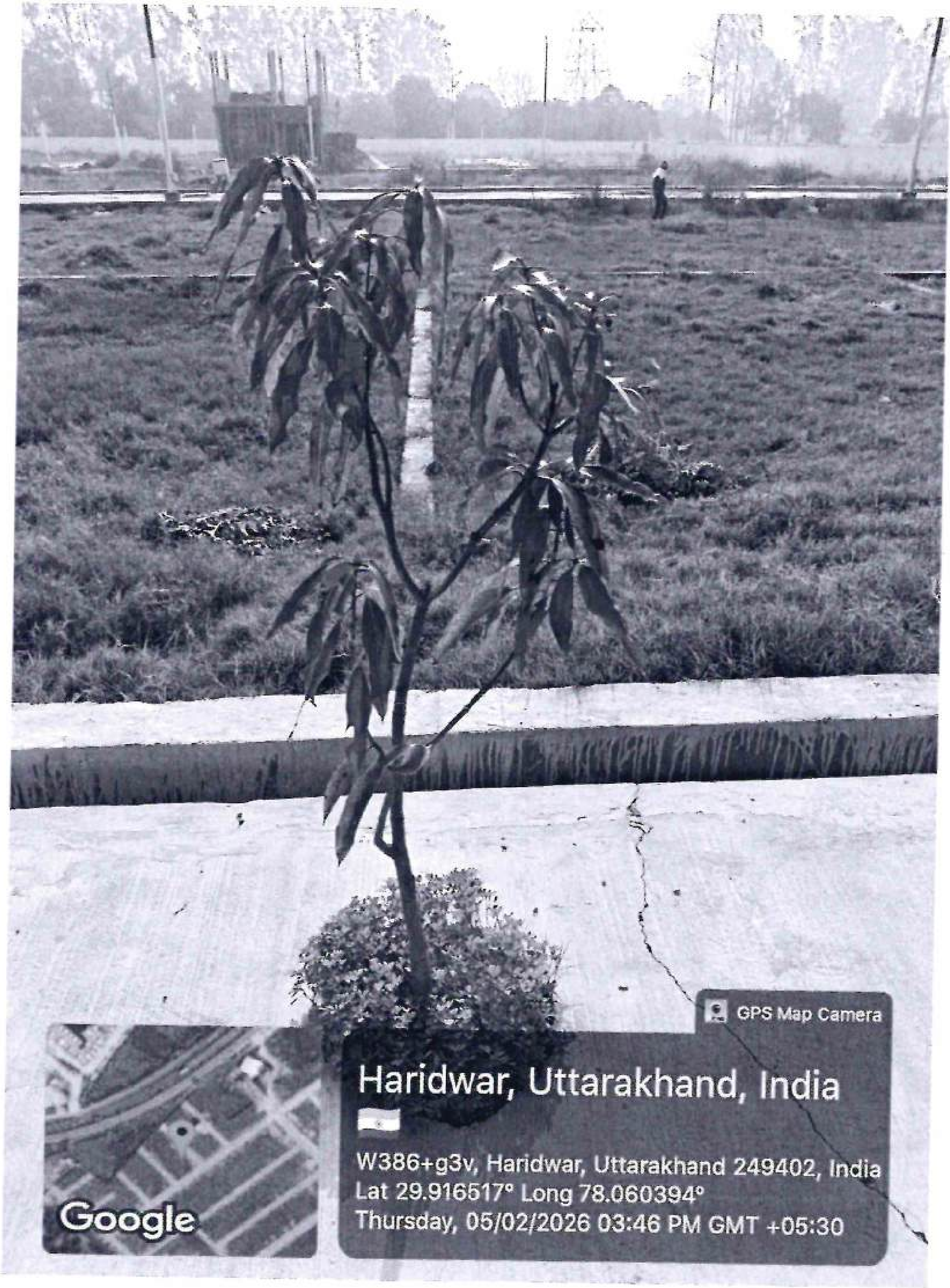

मुख्य अधिकारी
हरिद्वार

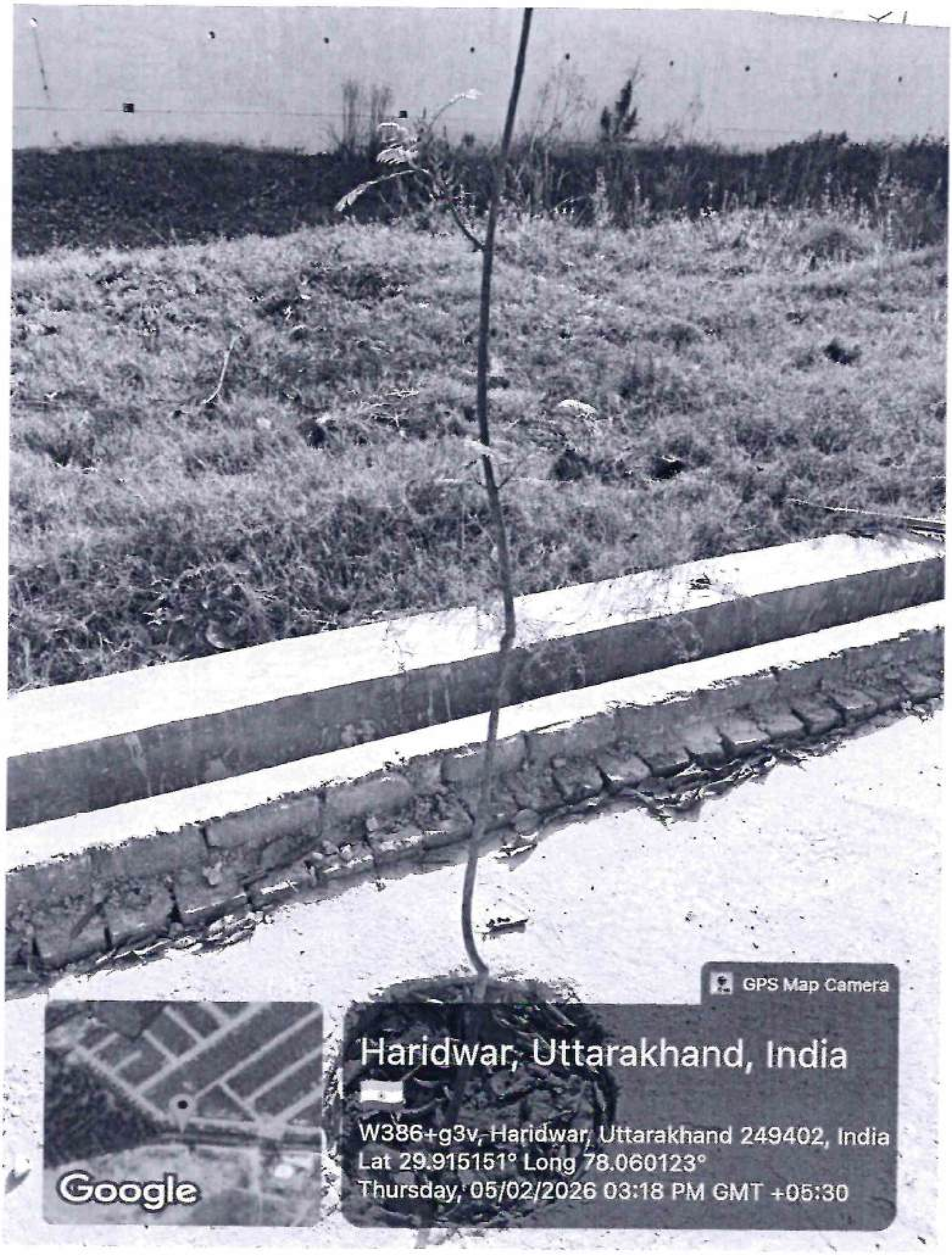

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

GPS Map Camera
Haridwar, Uttarakhand, India
W386+g3v, Haridwar, Uttarakhand 249402, India
Lat 29.91697° Long 78.06042°
Thursday, 05/02/2026 03:49 PM GMT +05:30
Google

अधिकारी
हरिद्वार

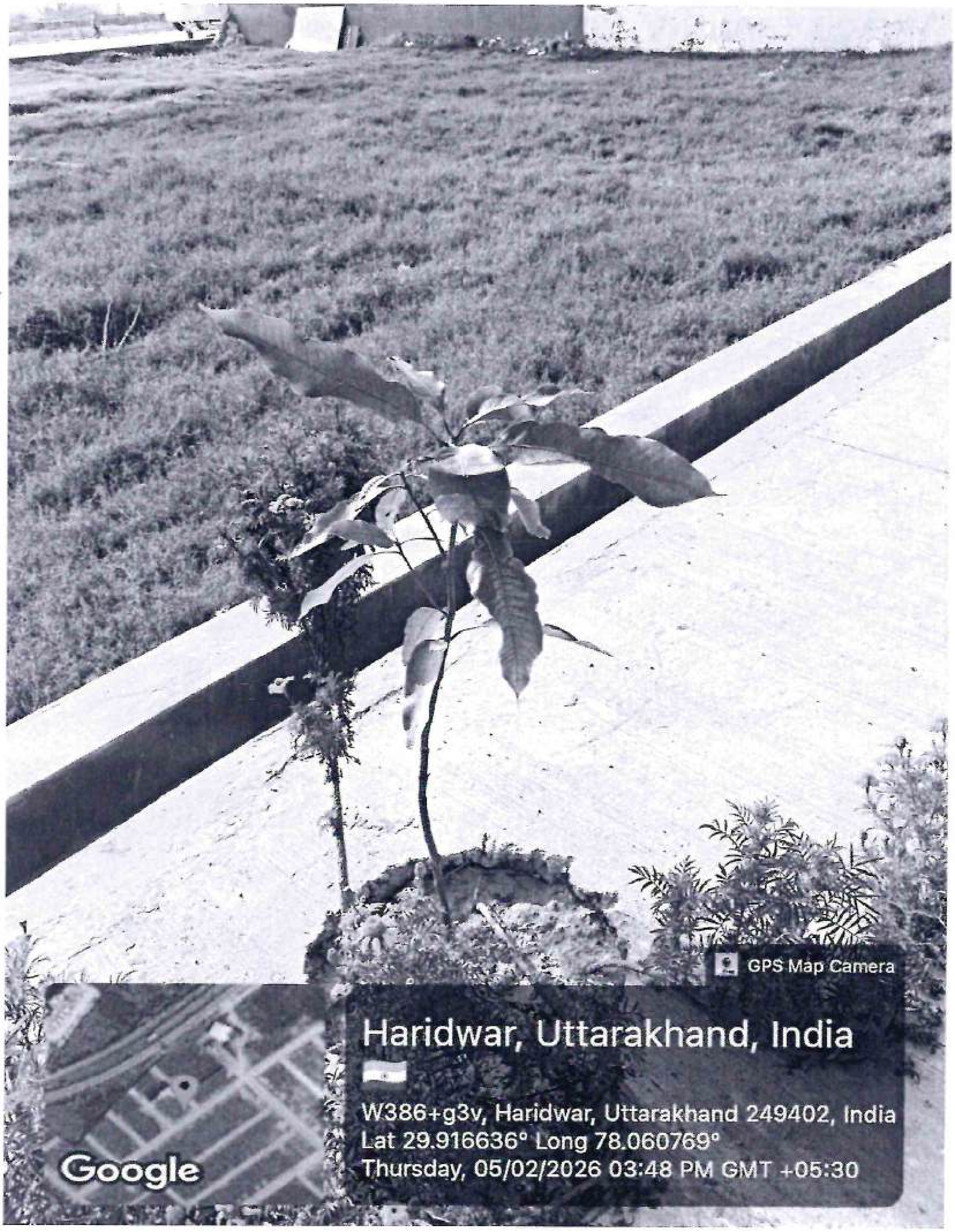
GPS Map Camera
Haridwar, Uttarakhand, India
W386+g3v, Haridwar, Uttarakhand 249402, India
Lat 29.916636° Long 78.060769°
Thursday, 05/02/2026 03:48 PM GMT +05:30
Google

अधिकारी
हरिद्वार

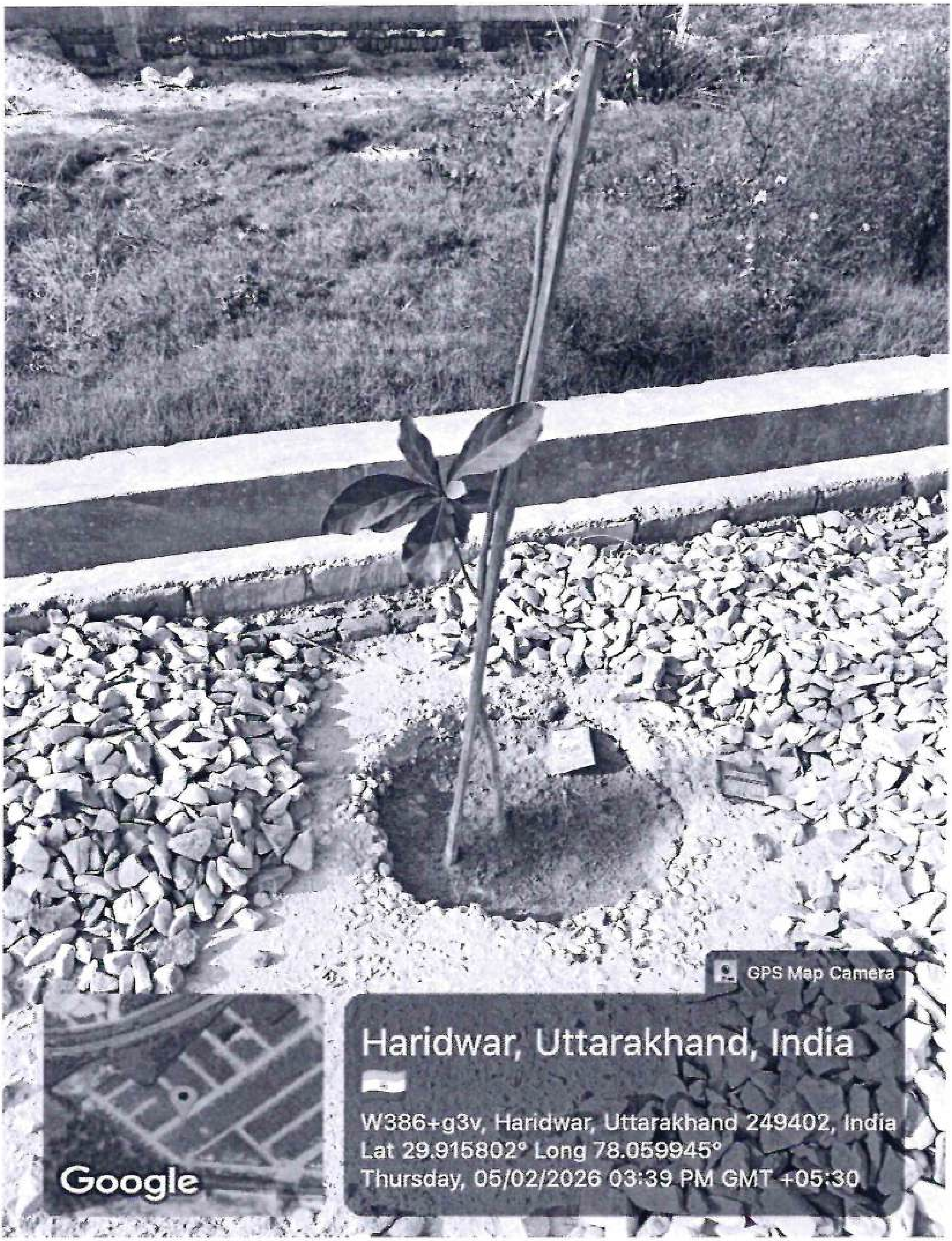

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

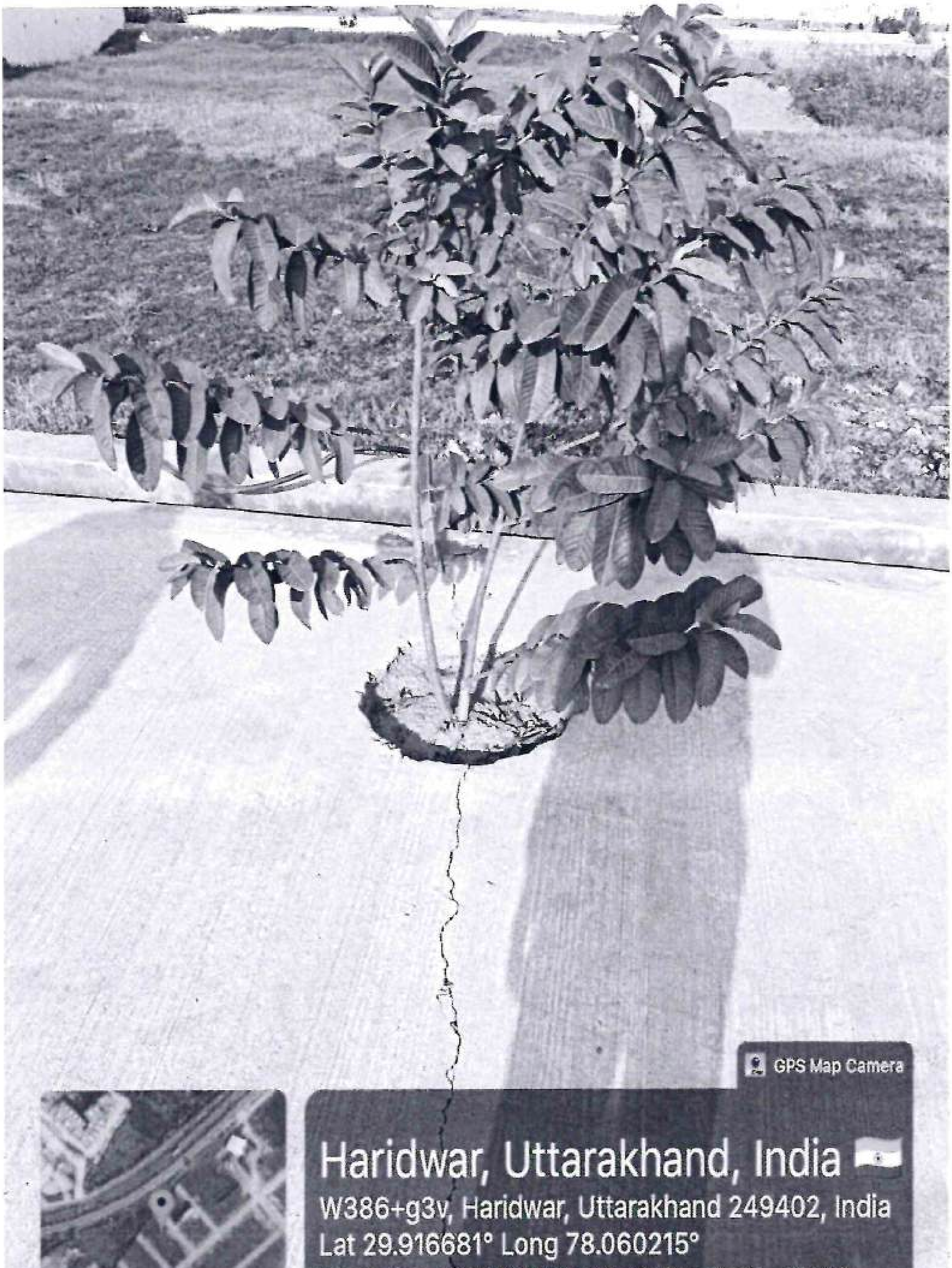

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

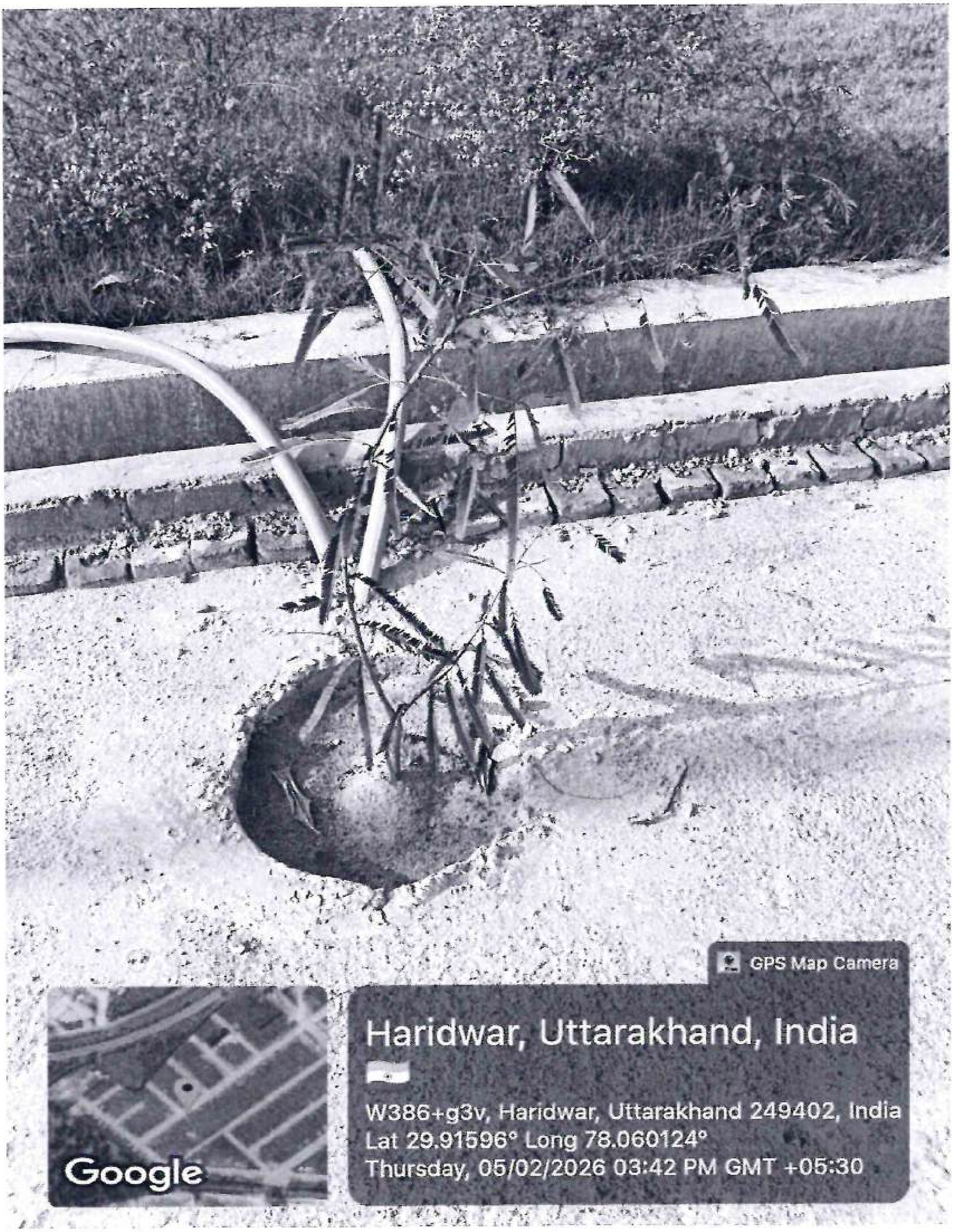

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

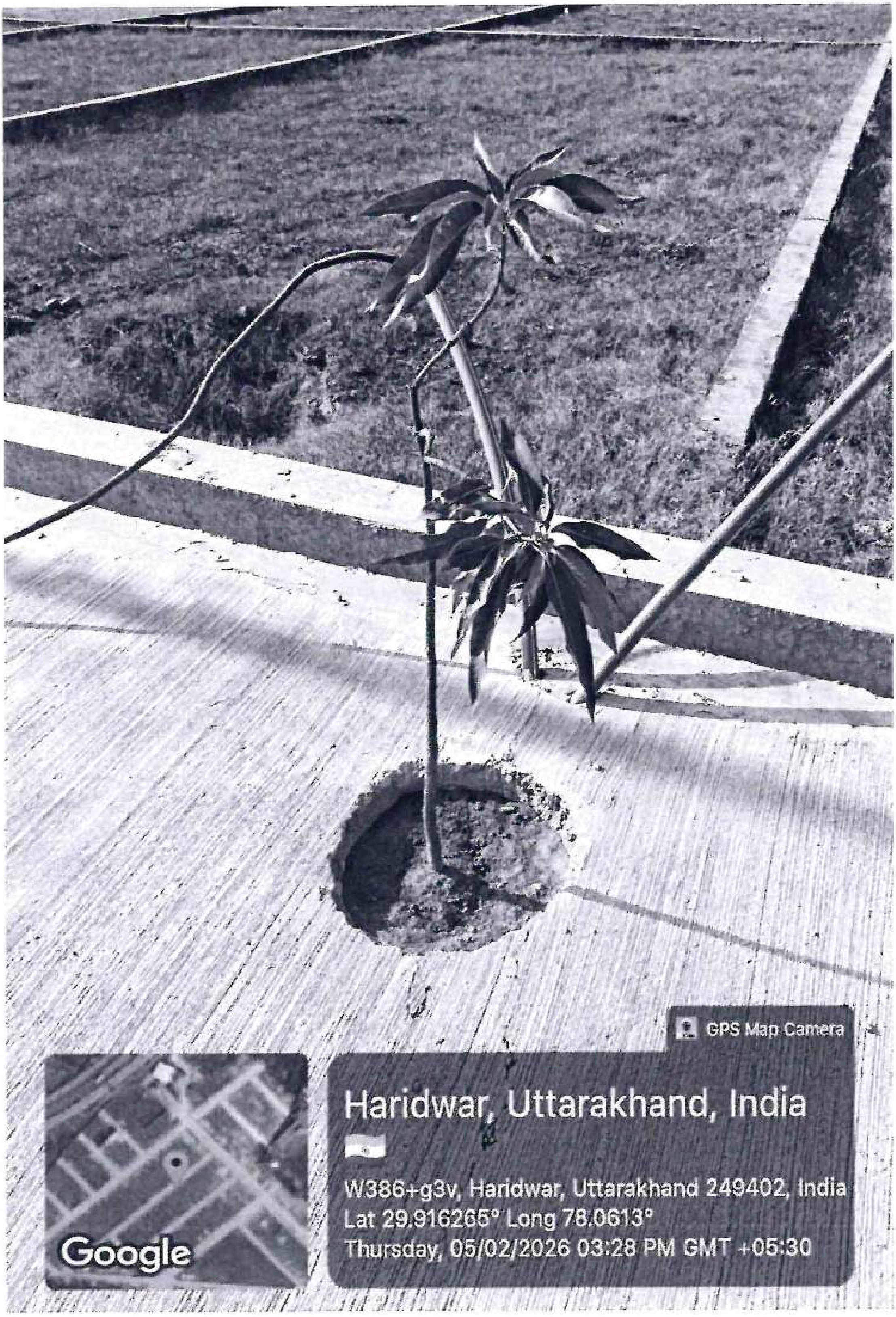

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

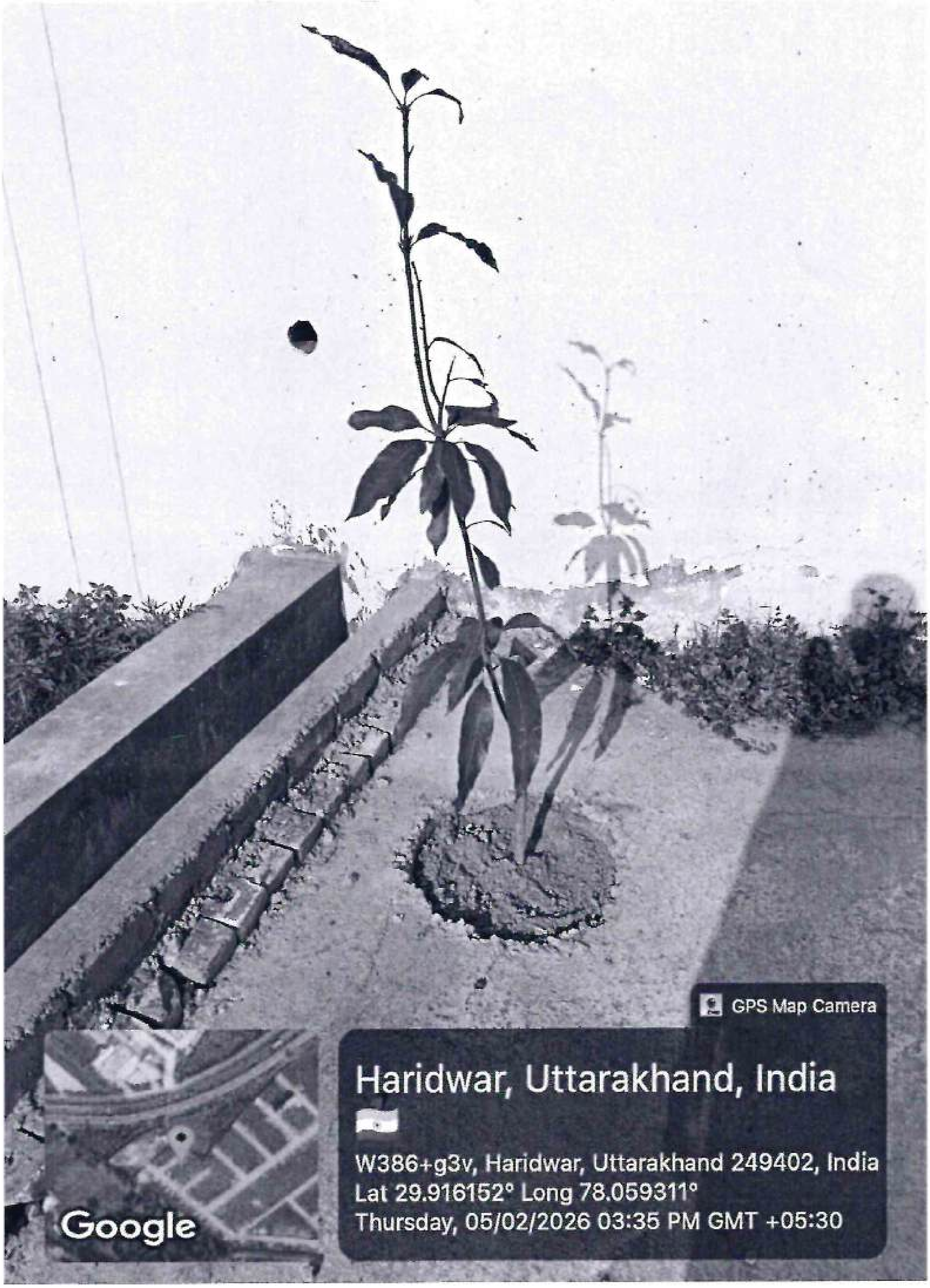

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

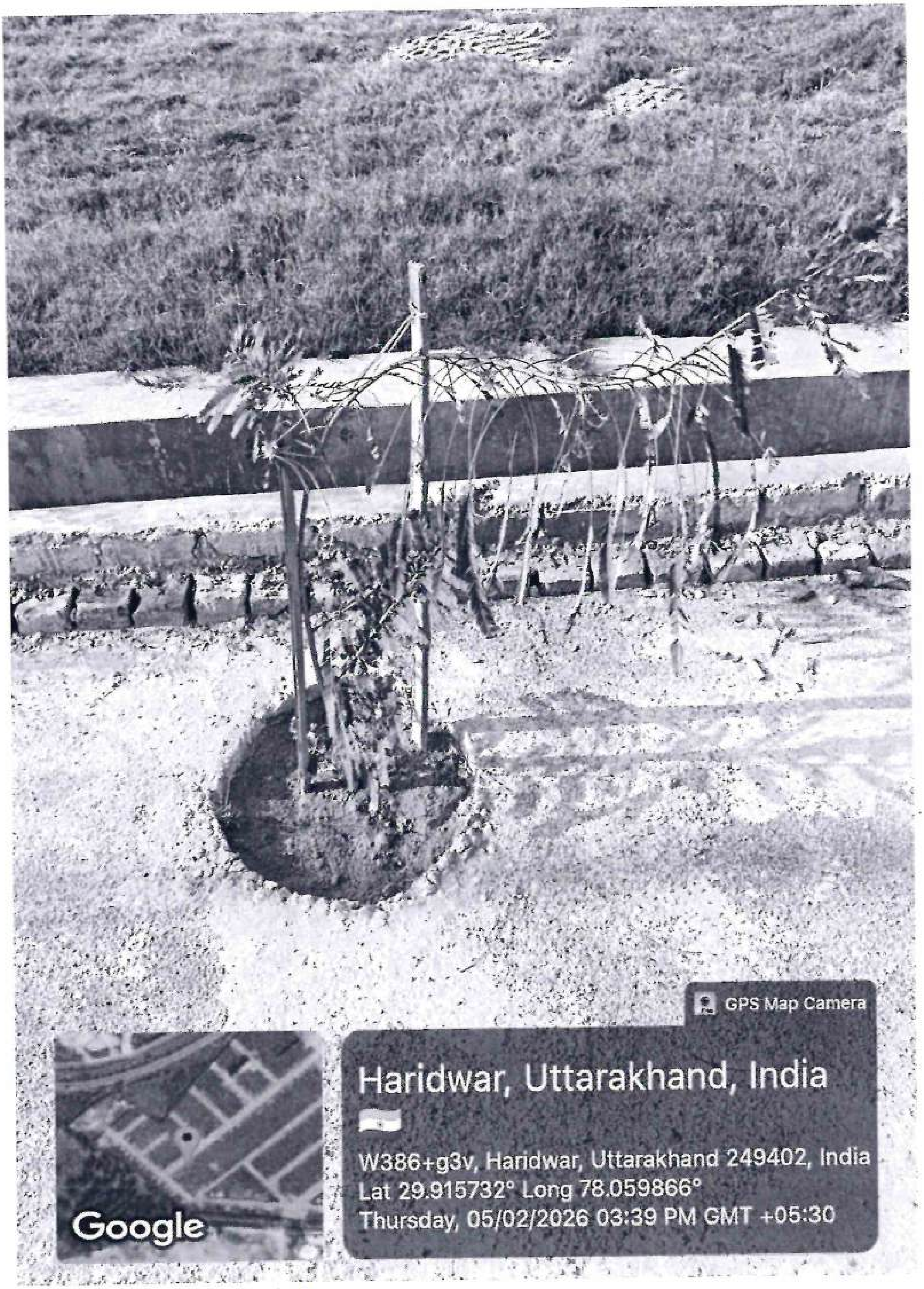

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

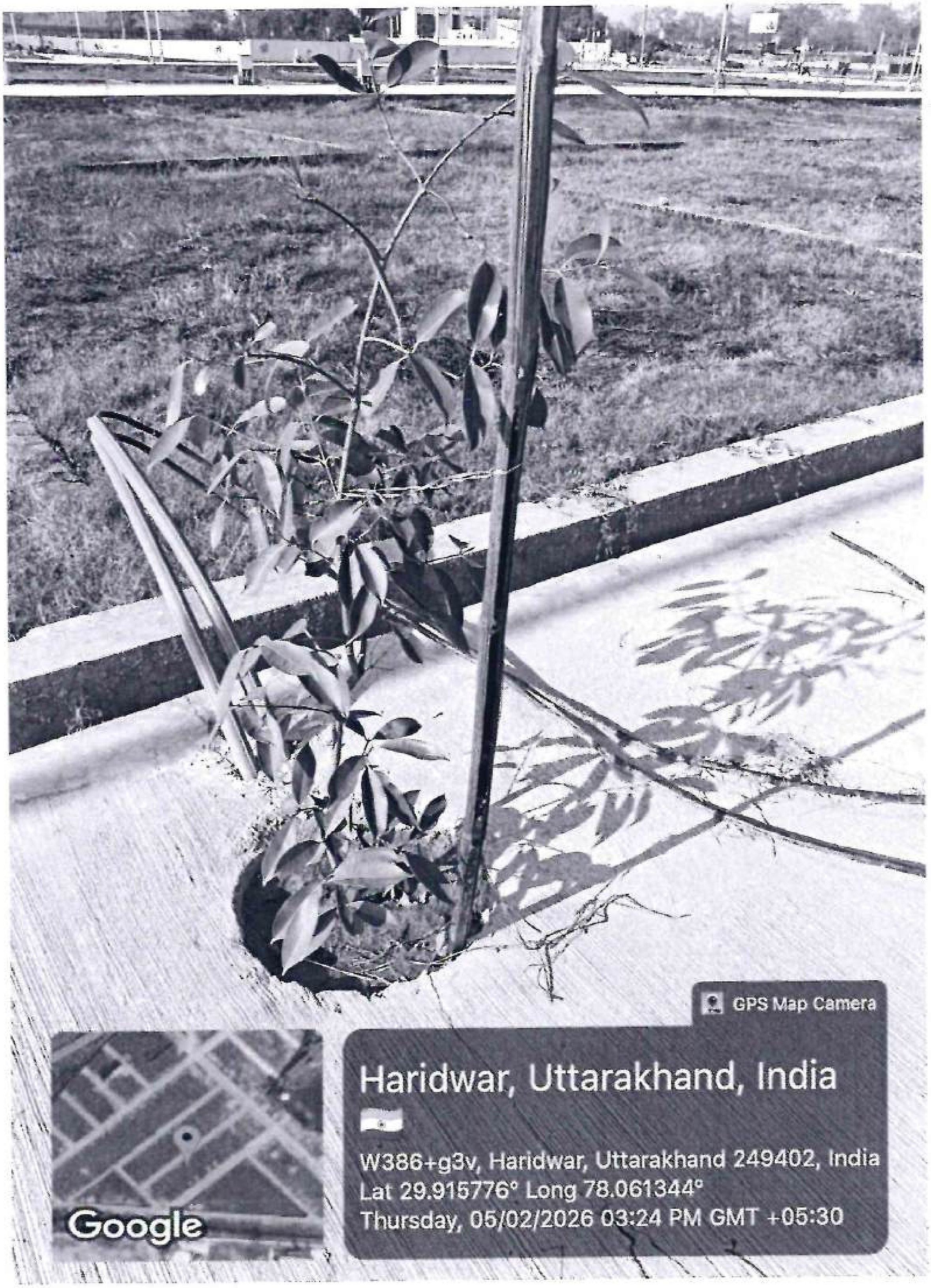

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

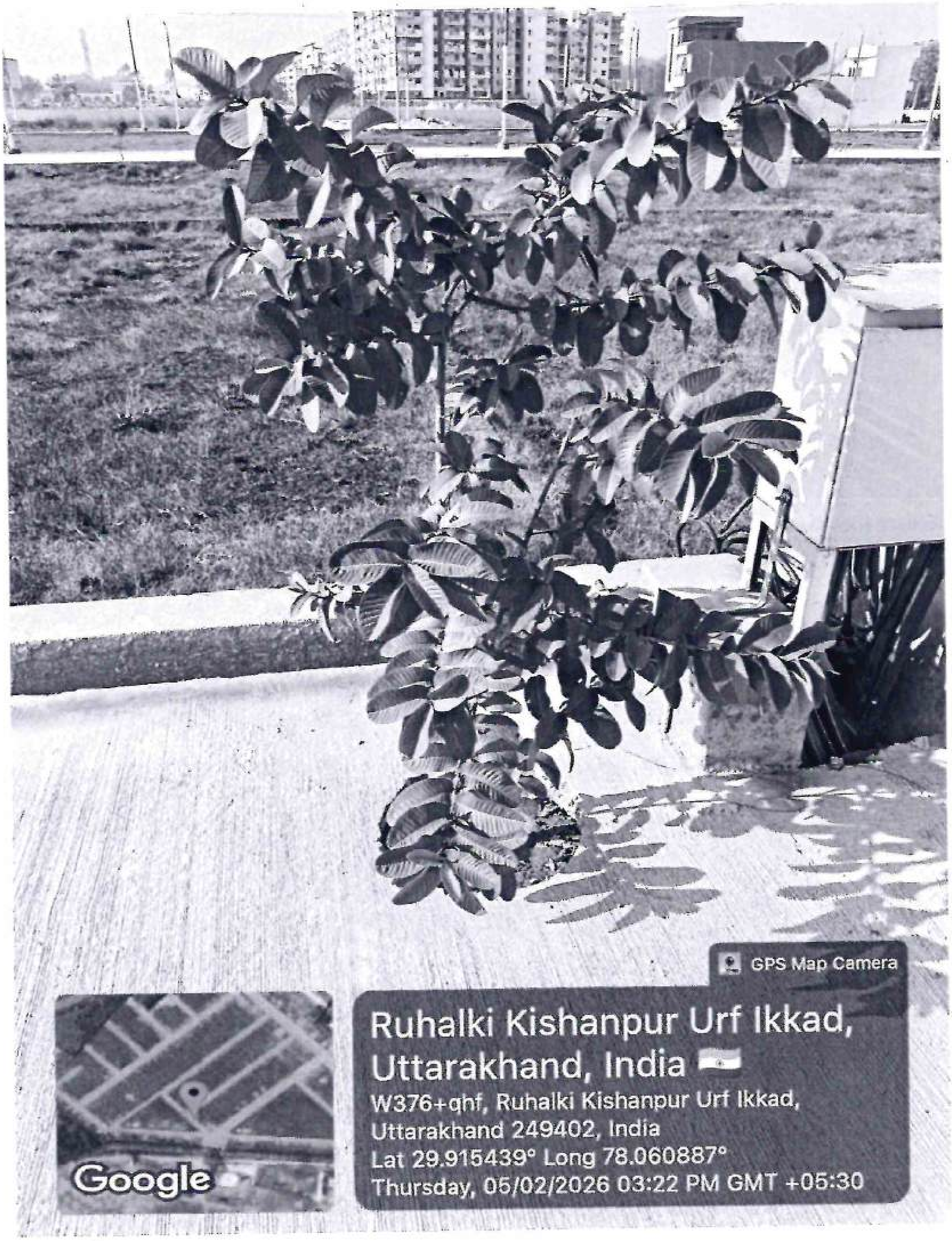

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

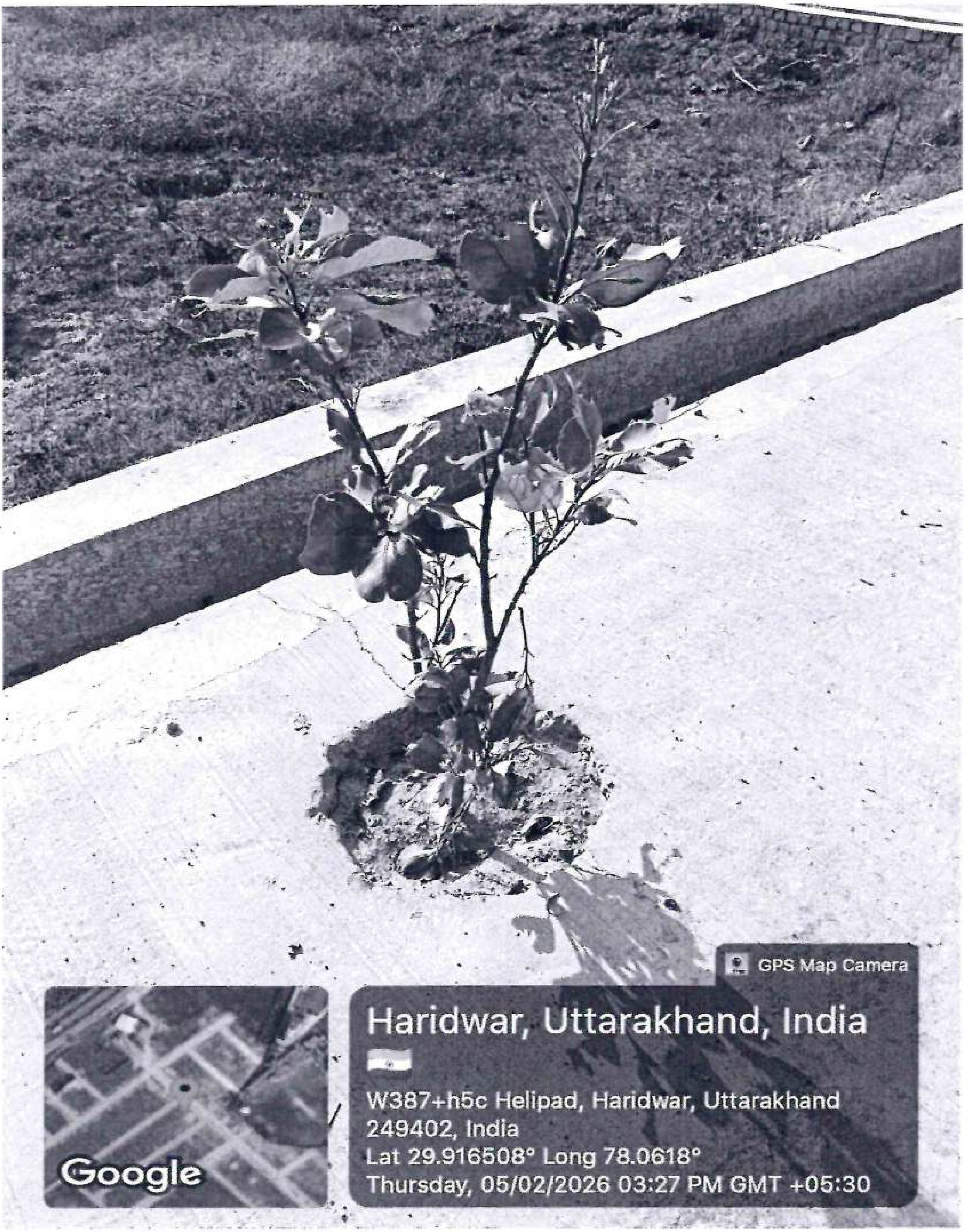
GPS Map Camera
Haridwar, Uttarakhand, India
W387+h5c Helipad, Haridwar, Uttarakhand
249402, India
Lat 29.916508° Long 78.0618°
Thursday, 05/02/2026 03:27 PM GMT +05:30
Google

हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

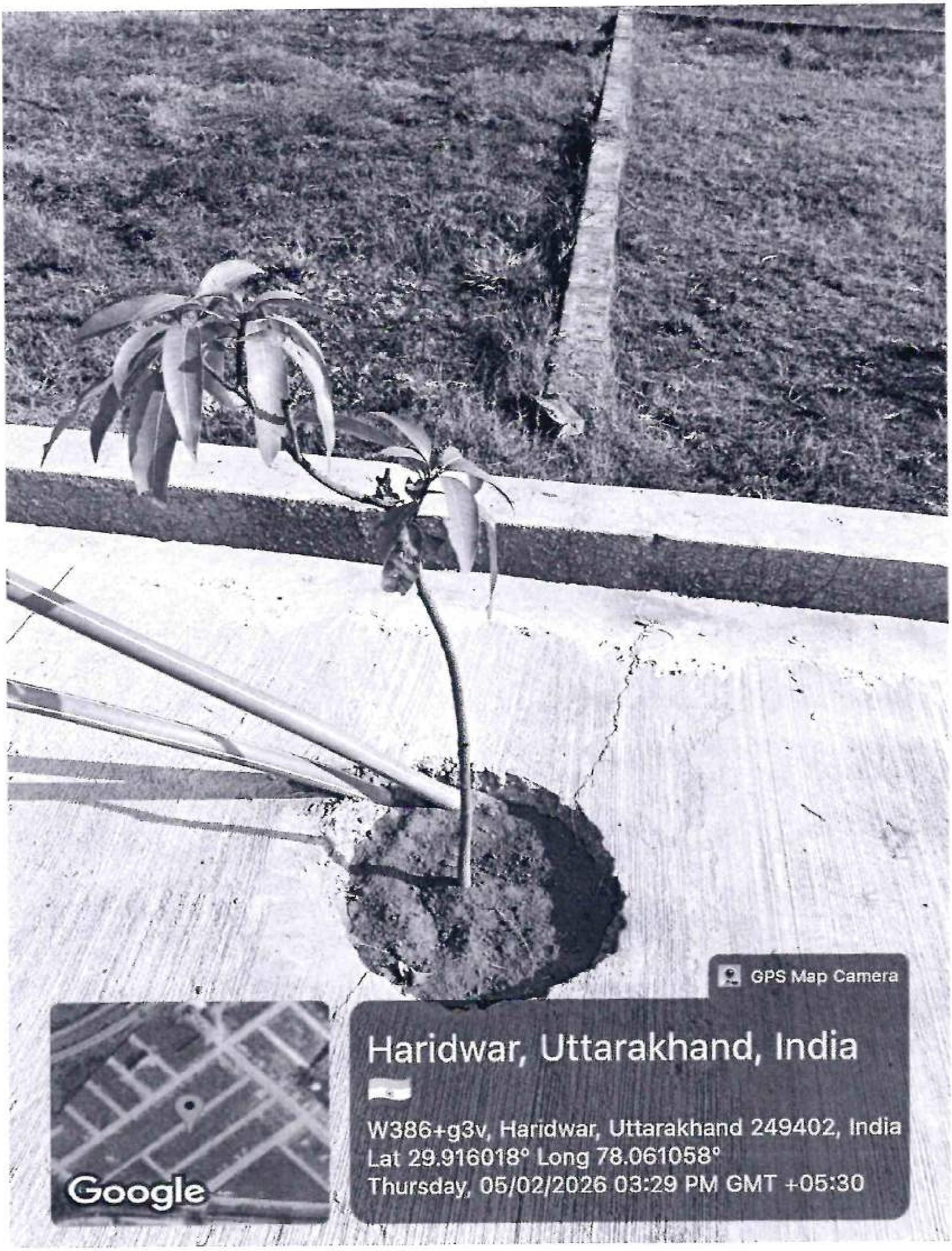

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

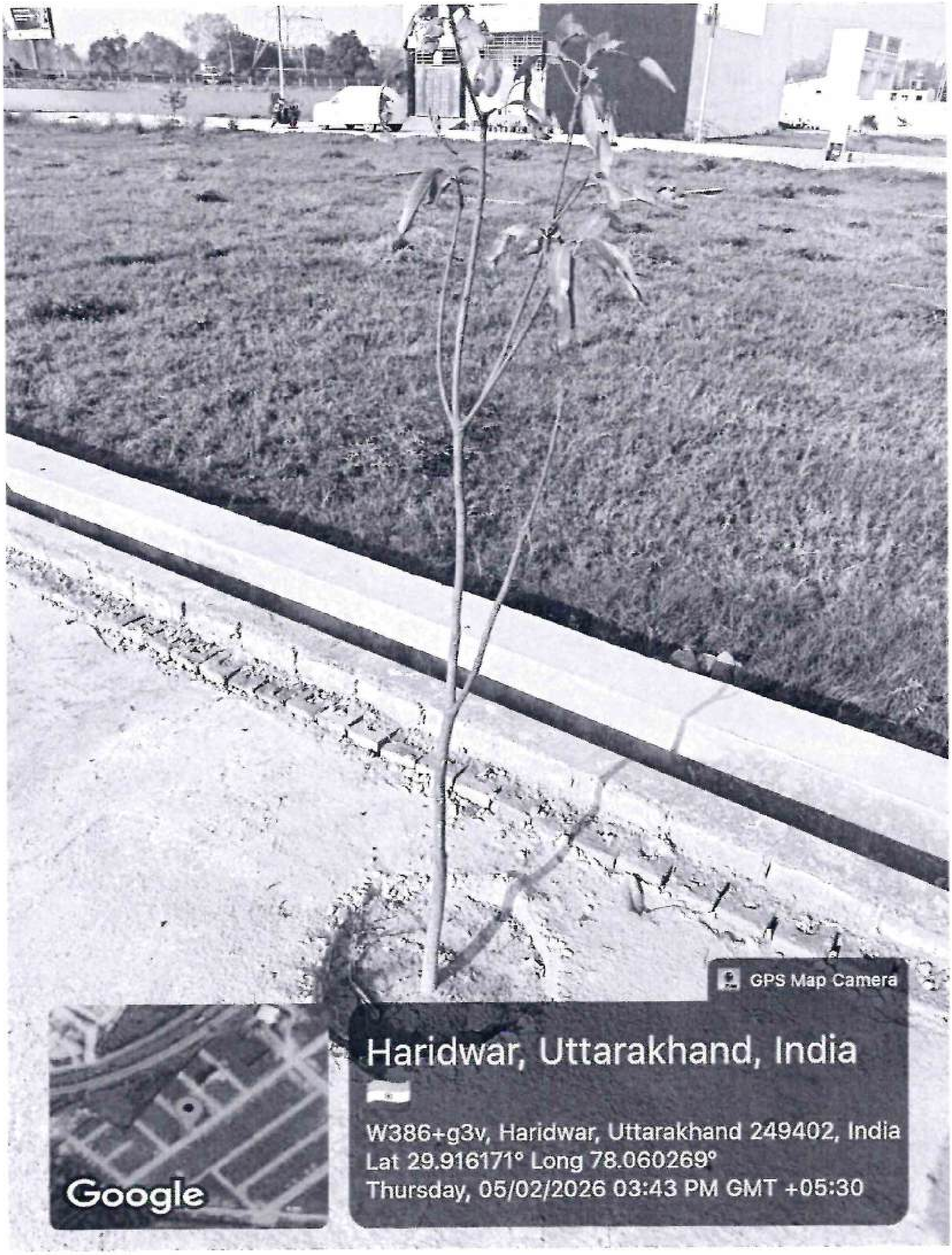

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

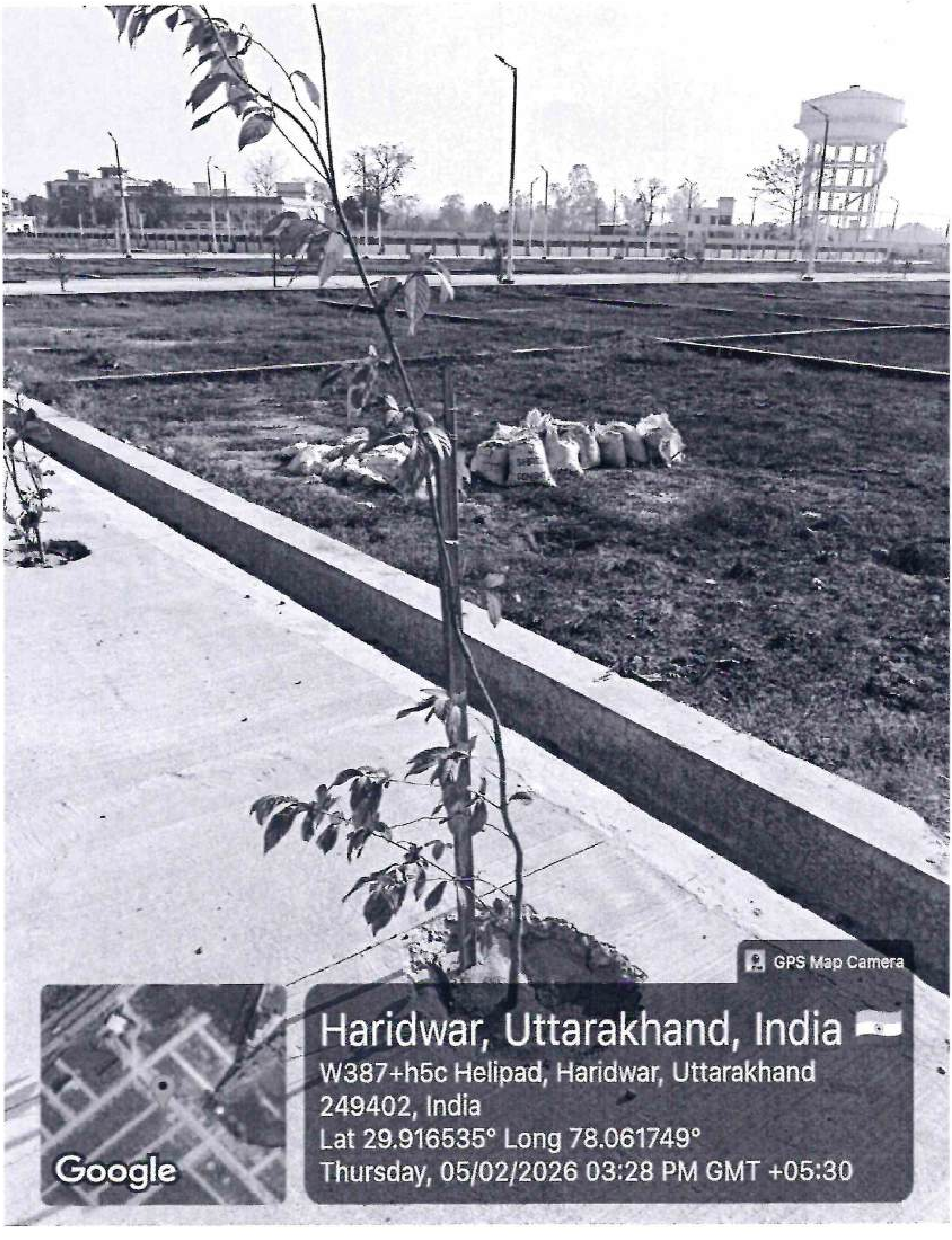

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

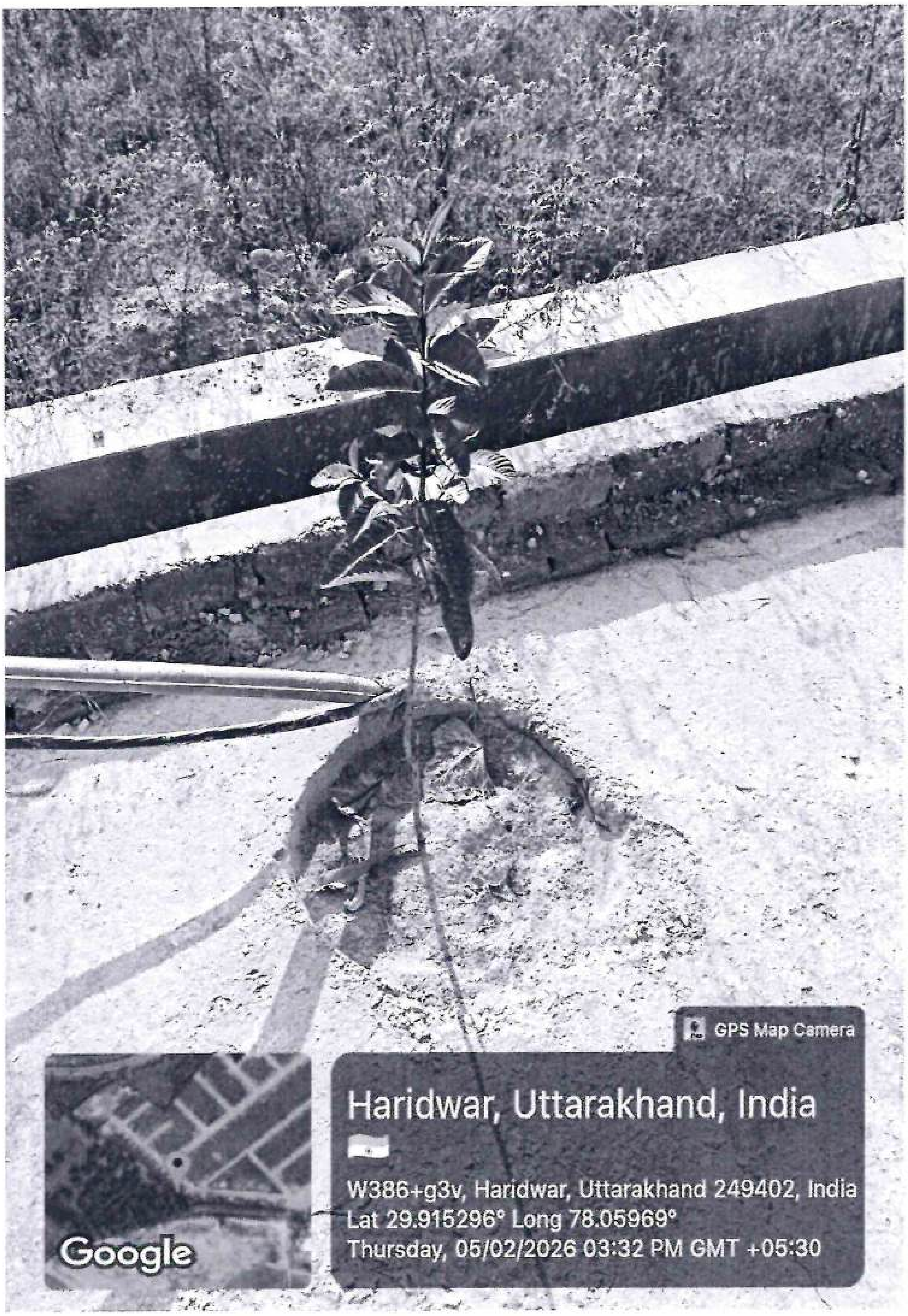

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

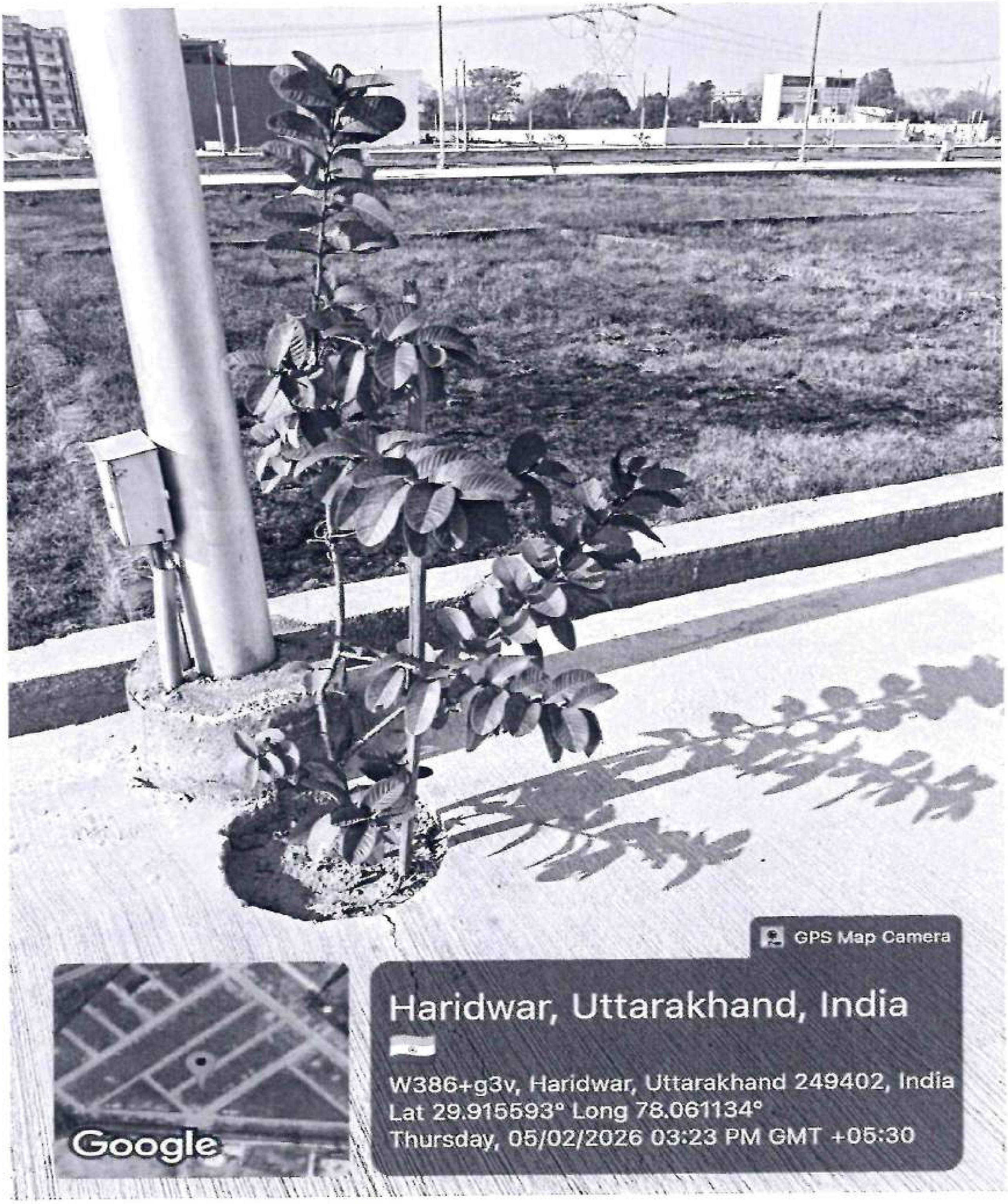
GPS Map Camera
Haridwar, Uttarakhand, India
W386+g3v, Haridwar, Uttarakhand 249402, India
Lat 29.915593° Long 78.061134°
Thursday, 05/02/2026 03:23 PM GMT +05:30
Google

हरिद्वार

GPS Map Camera
Haridwar, Uttarakhand, India
W386+g3v, Haridwar, Uttarakhand 249402, India
Lat 29.915163° Long 78.060282°
Thursday, 05/02/2026 03:18 PM GMT +05:30
Google

हरिद्वार

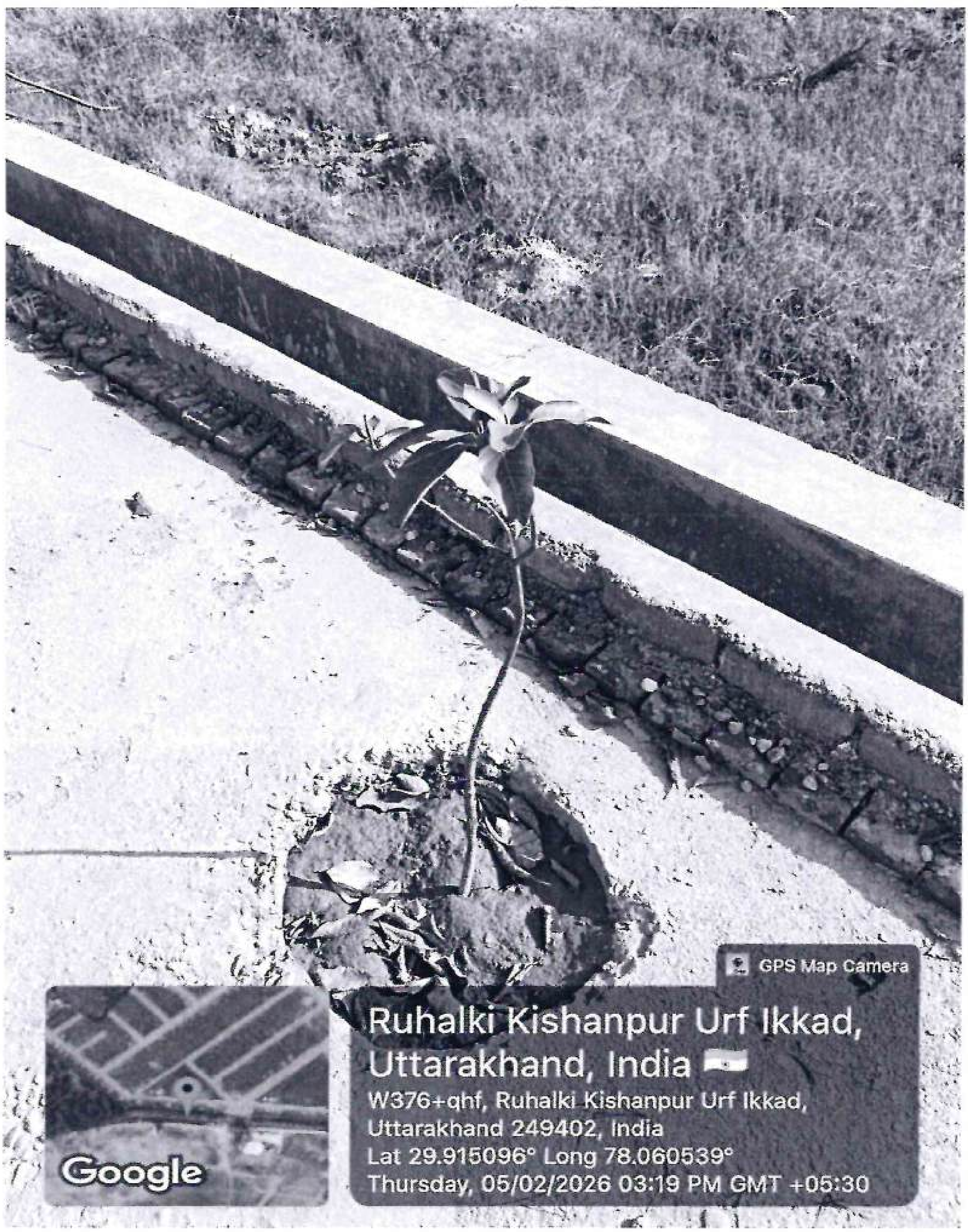

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

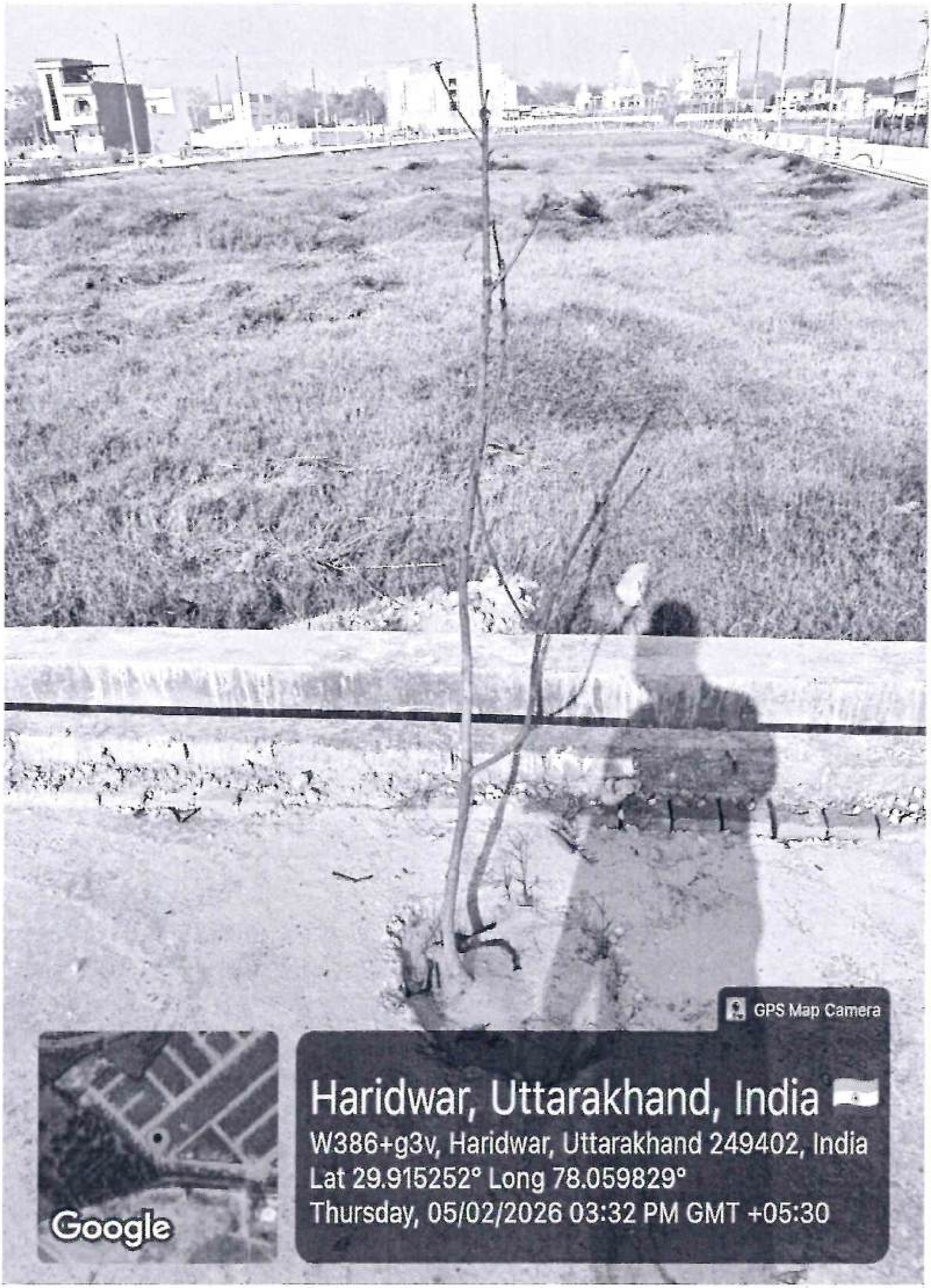

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

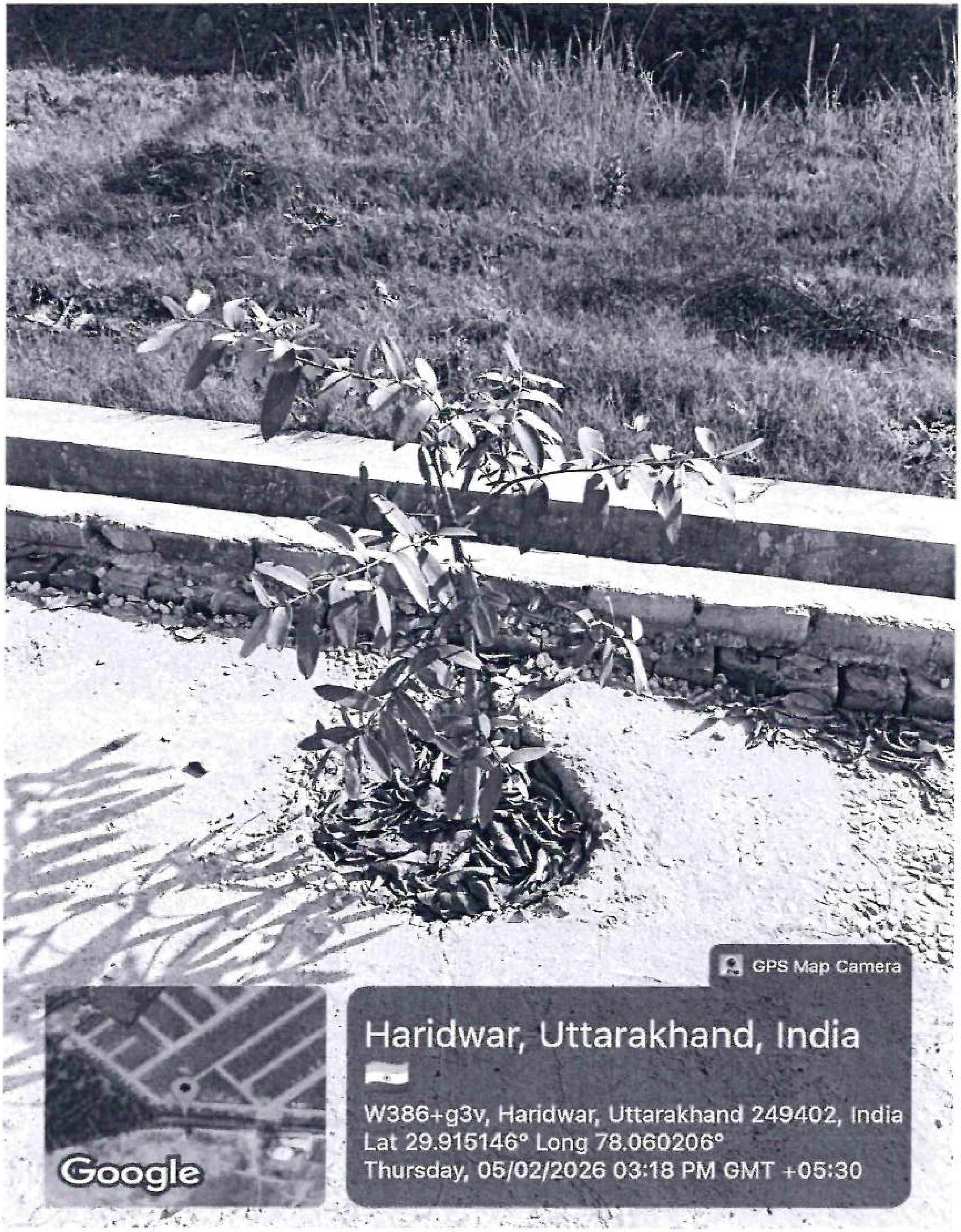

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

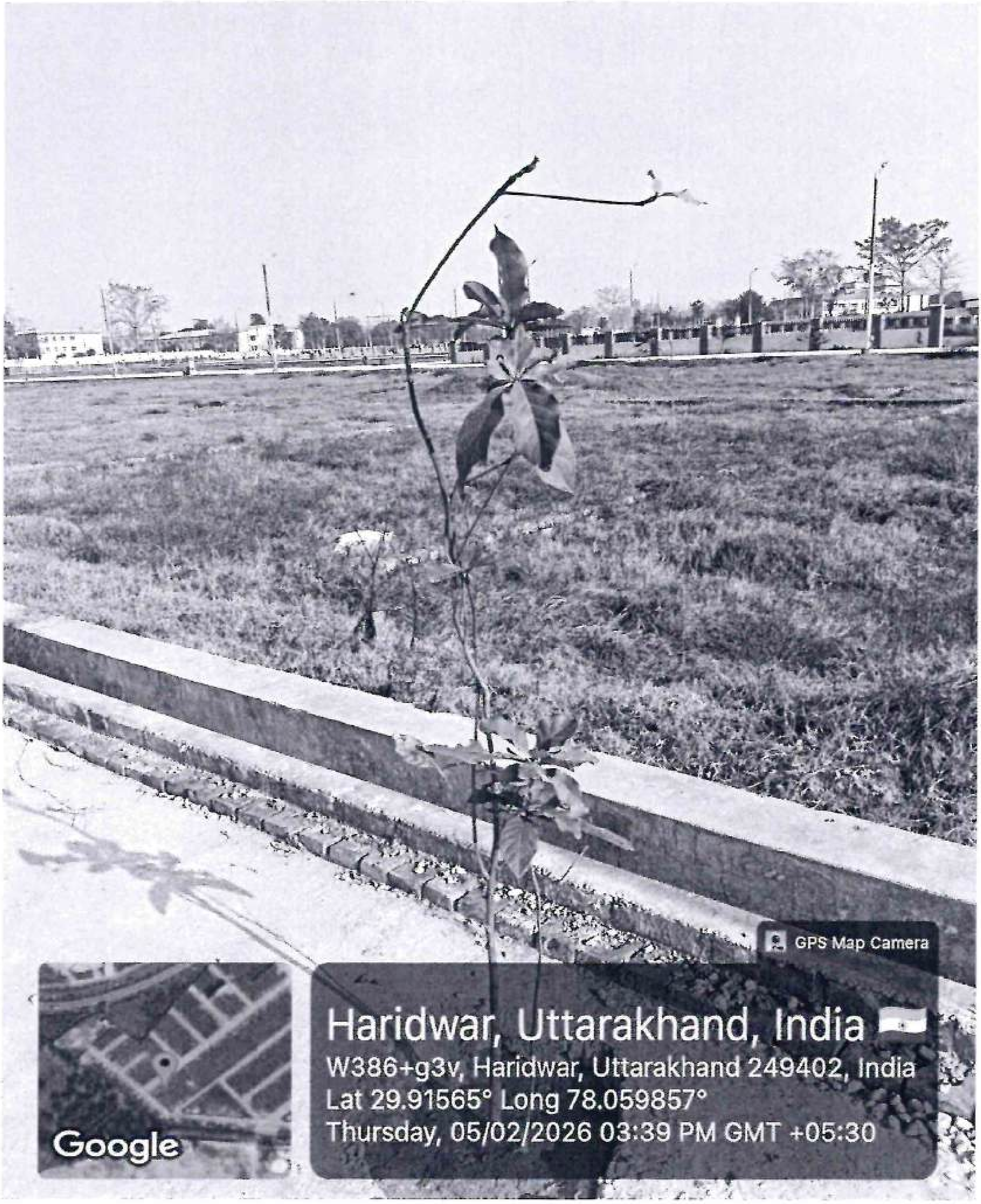

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

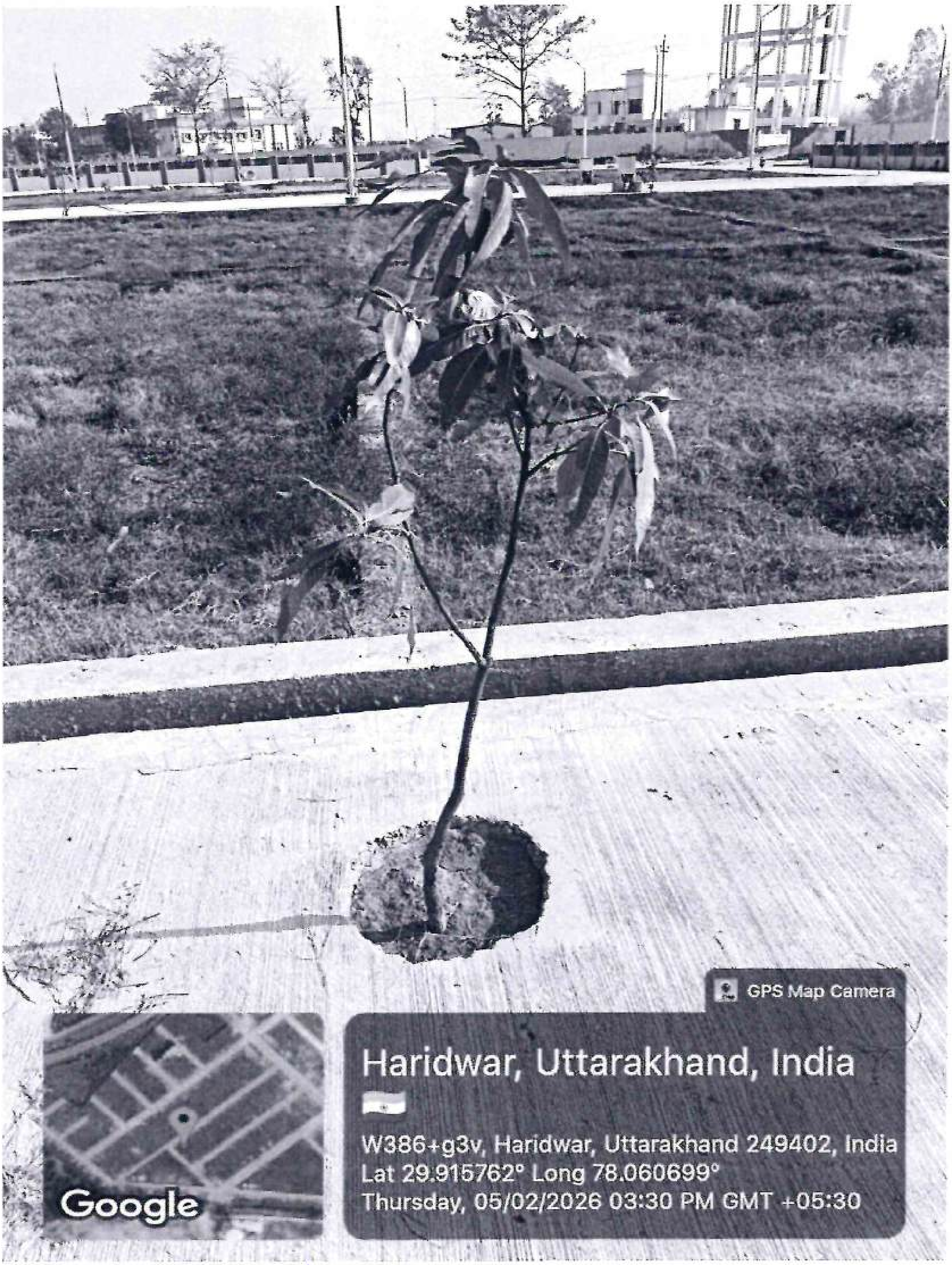
GPS Map Camera
Haridwar, Uttarakhand, India
W386+g3v, Haridwar, Uttarakhand 249402, India
Lat 29.915762° Long 78.060699°
Thursday, 05/02/2026 03:30 PM GMT +05:30
Google

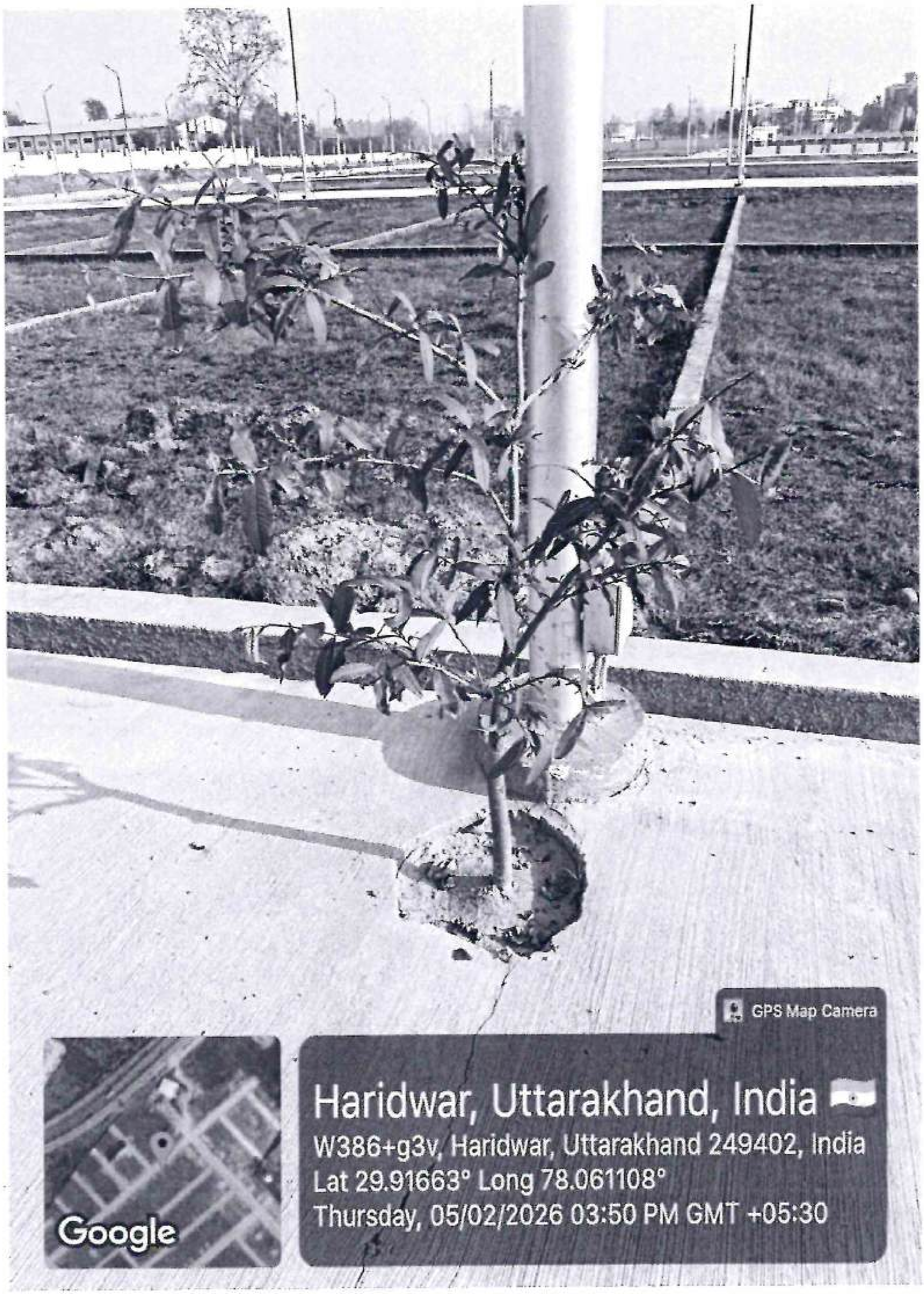
GPS Map Camera
Haridwar, Uttarakhand, India
W386+g3v, Haridwar, Uttarakhand 249402, India
Lat 29.91663° Long 78.061108°
Thursday, 05/02/2026 03:50 PM GMT +05:30
Google

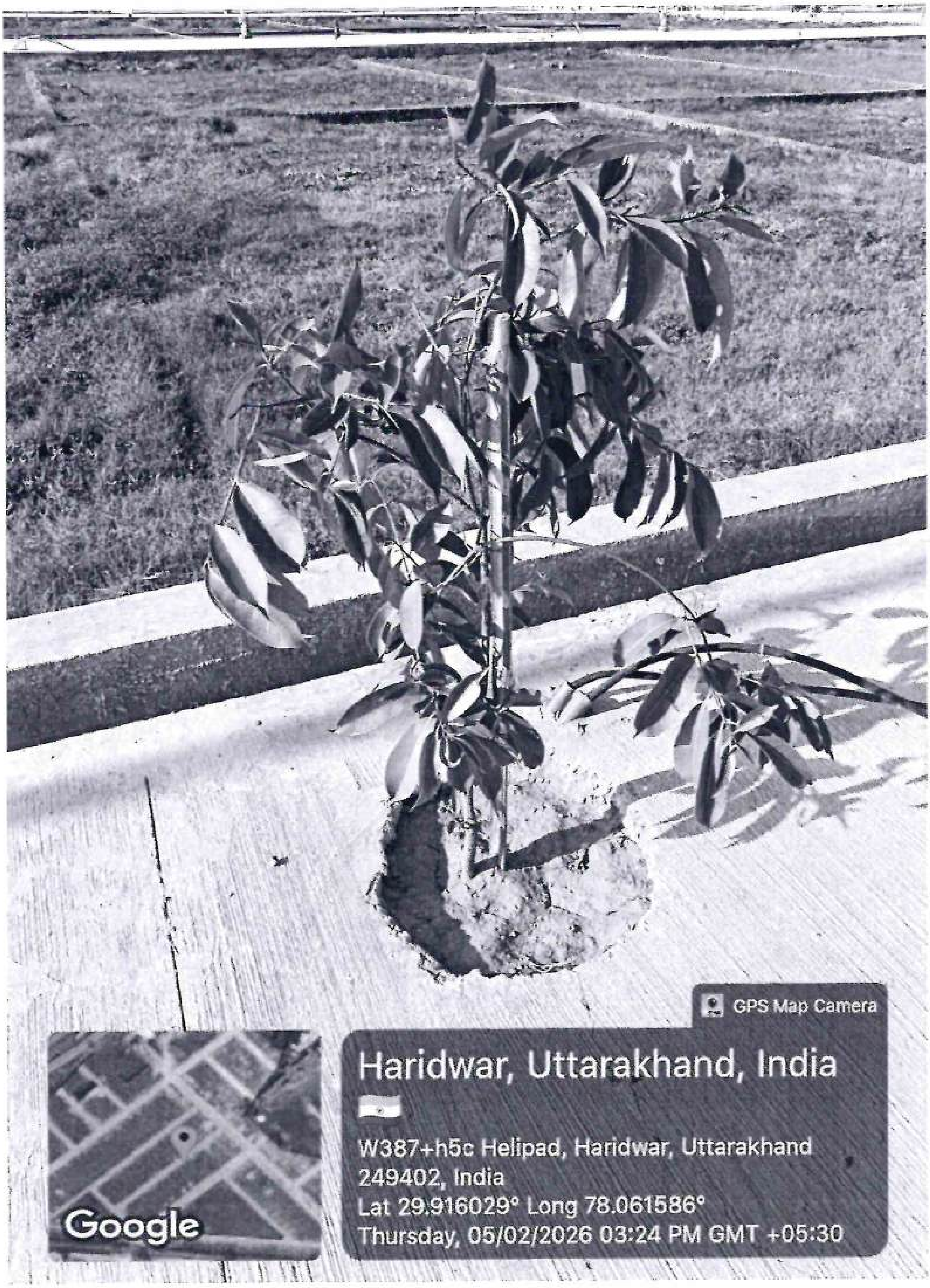

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

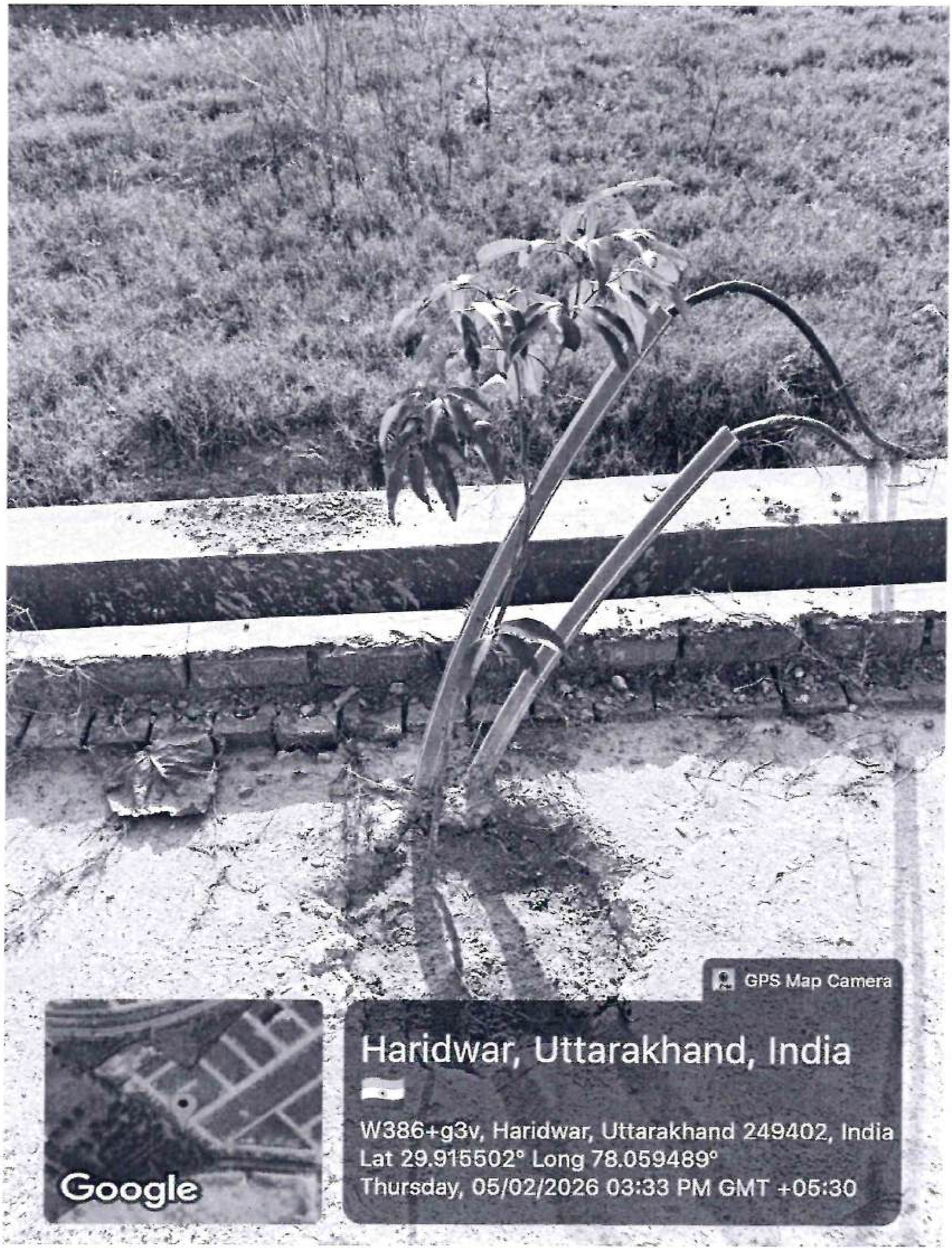

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

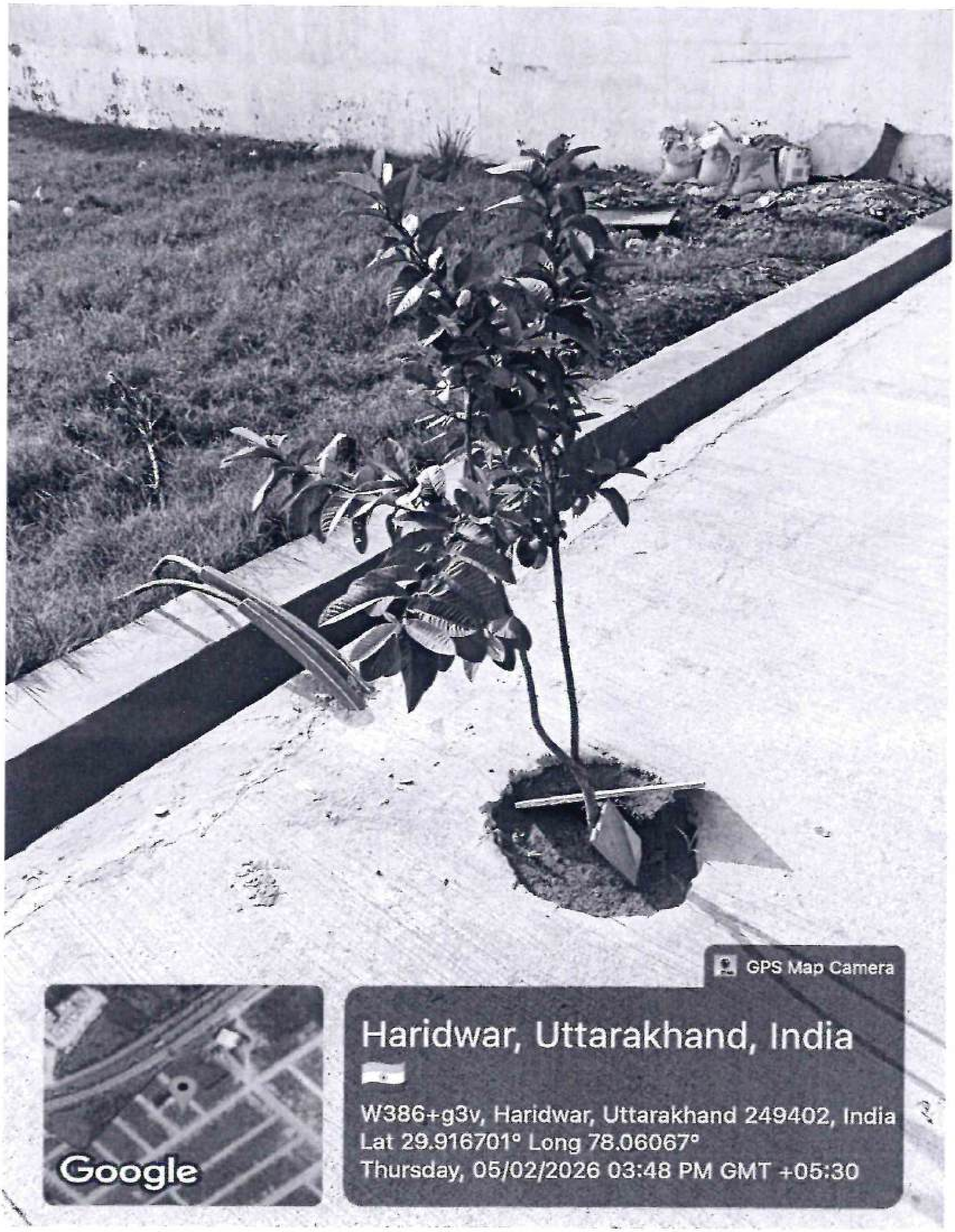

उप उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

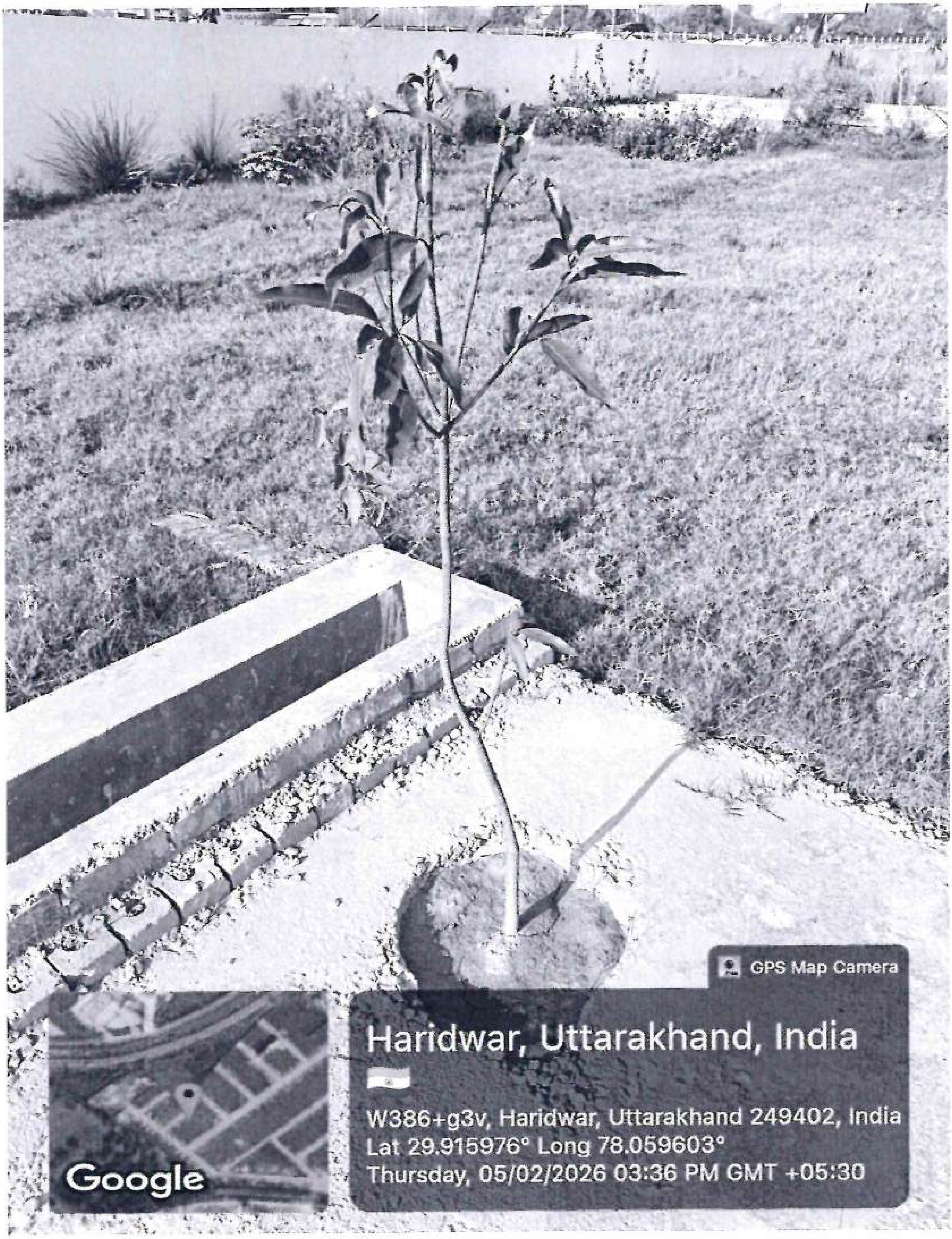
GPS Map Camera
Haridwar, Uttarakhand, India
W386+g3v, Haridwar, Uttarakhand 249402, India
Lat 29.915976° Long 78.059603°
Thursday, 05/02/2026 03:36 PM GMT +05:30
Google

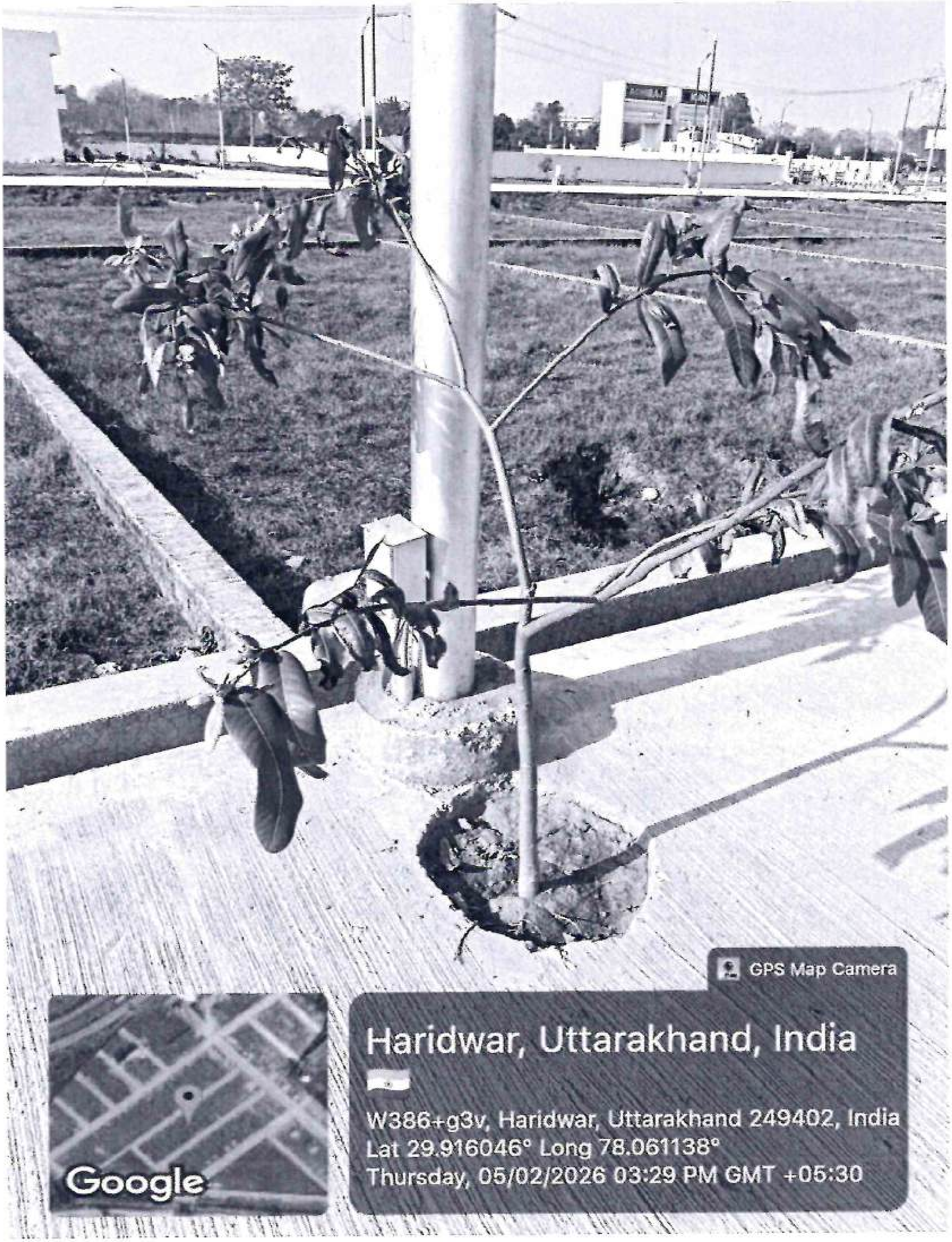

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

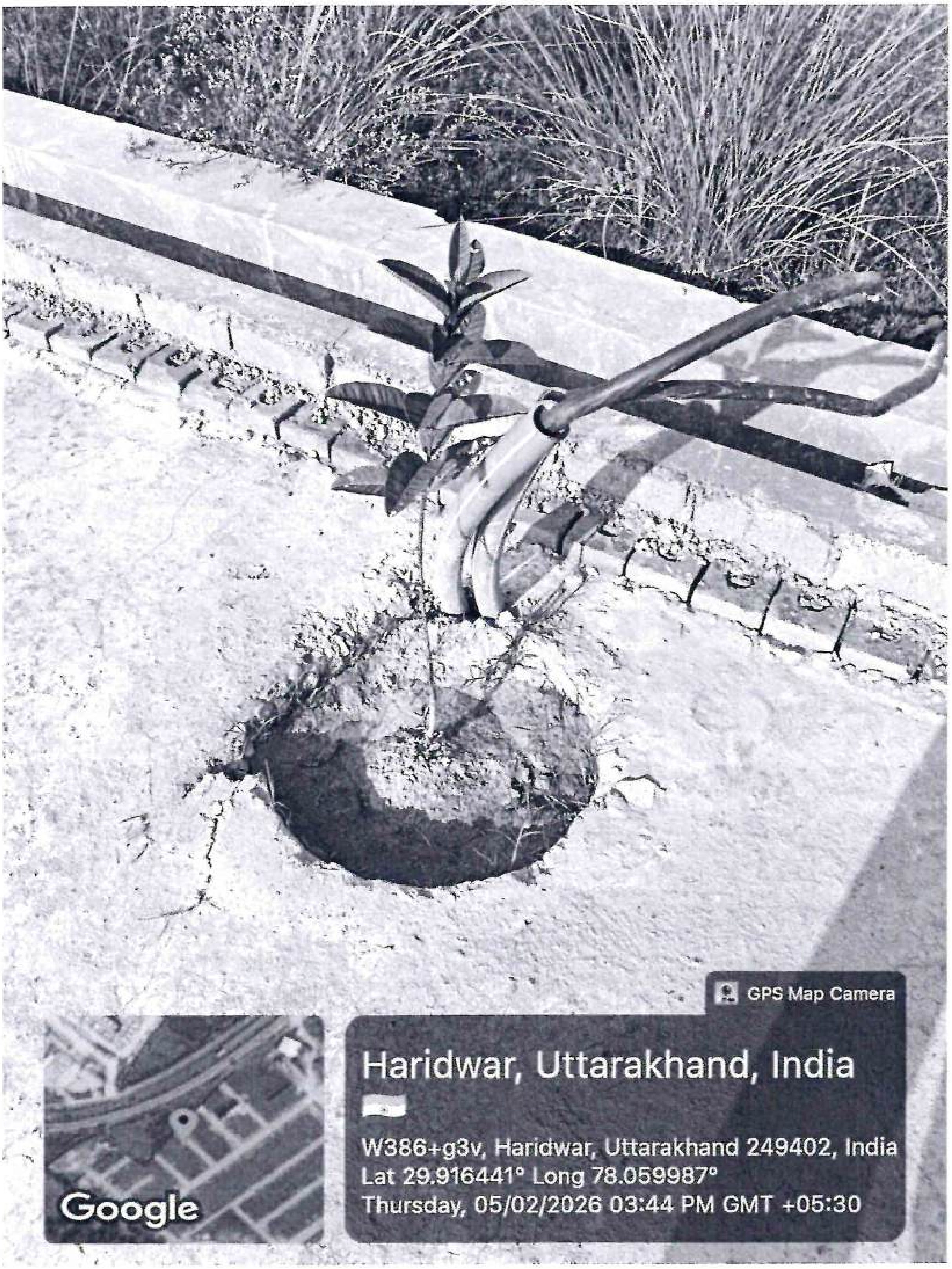

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

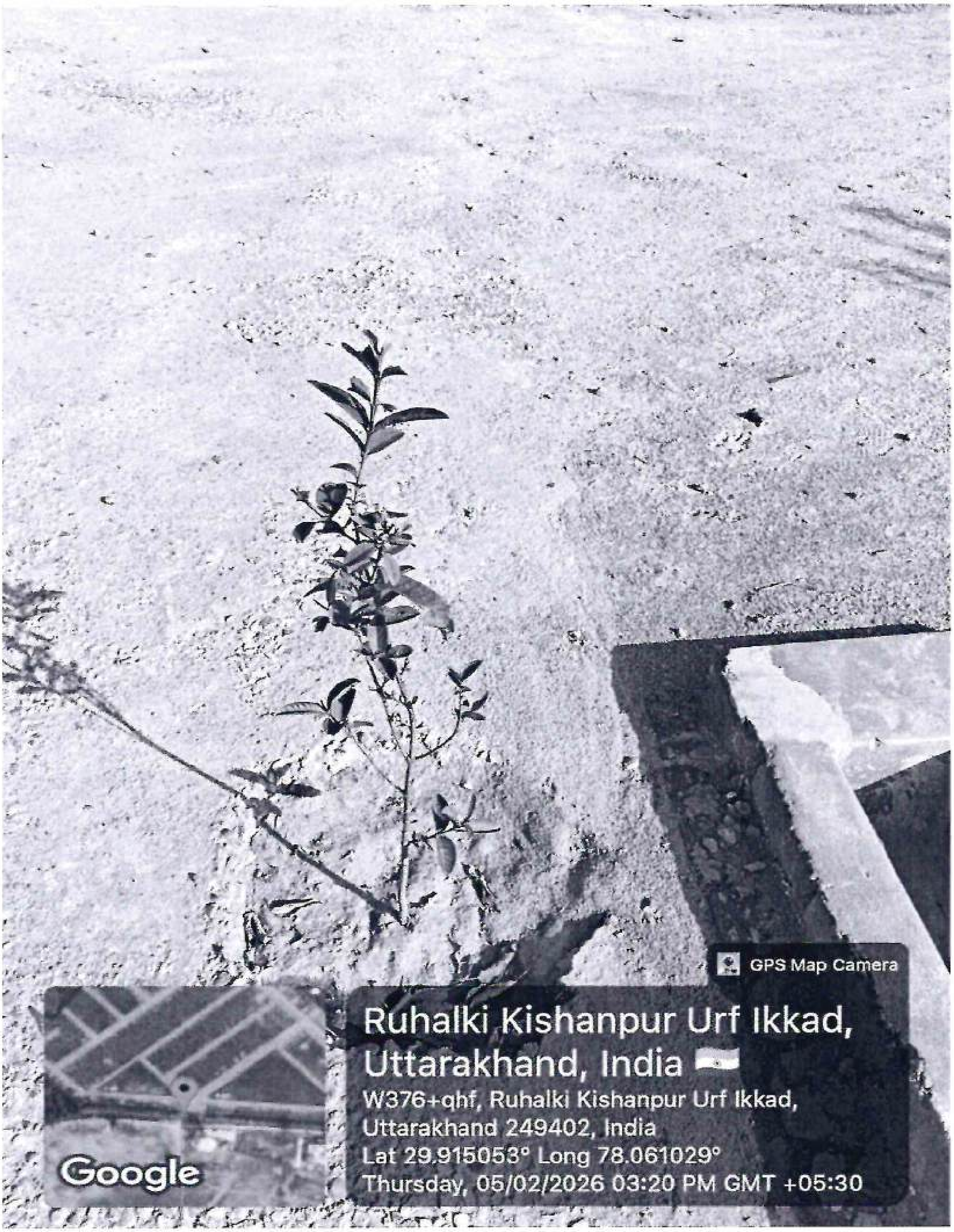

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

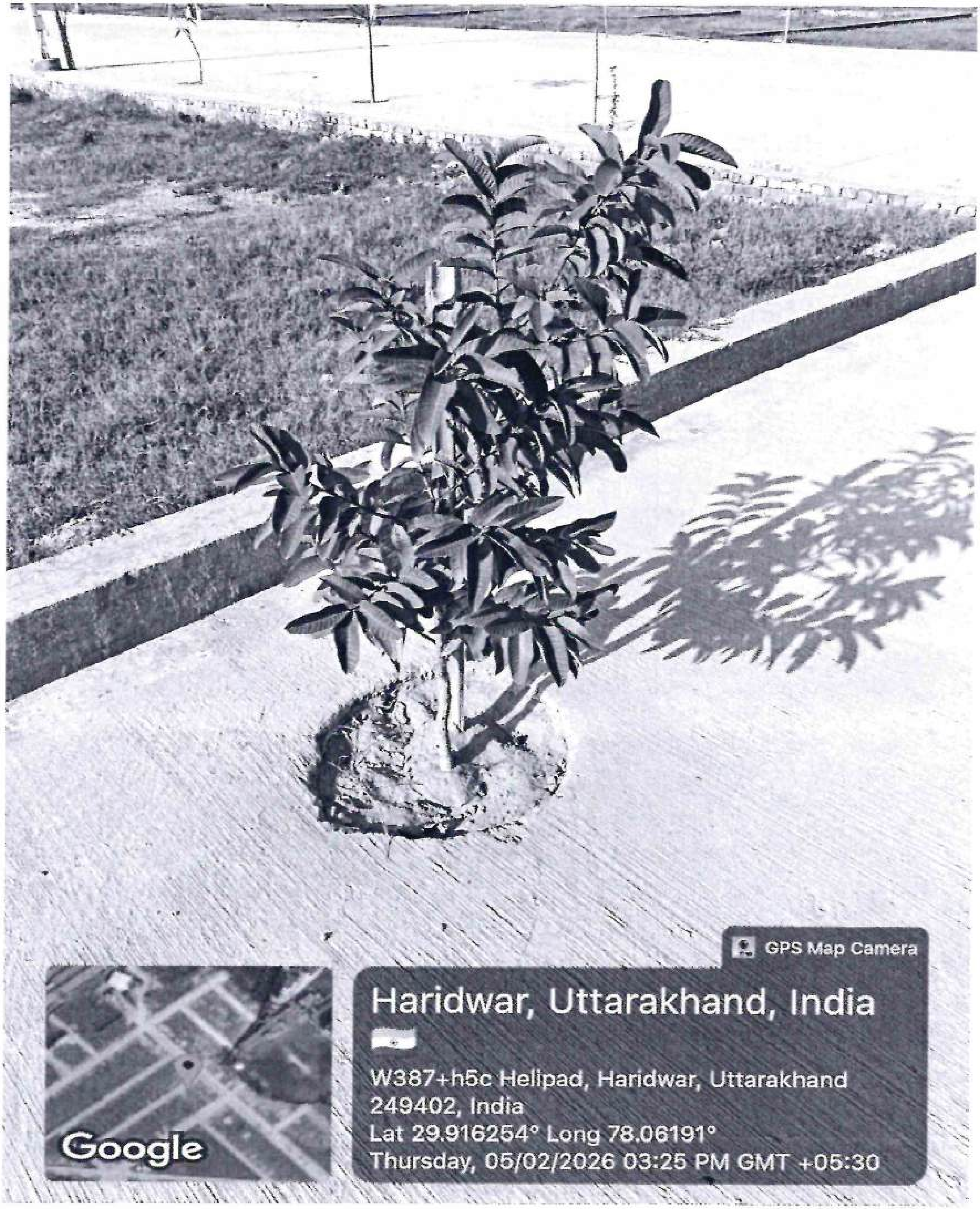

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

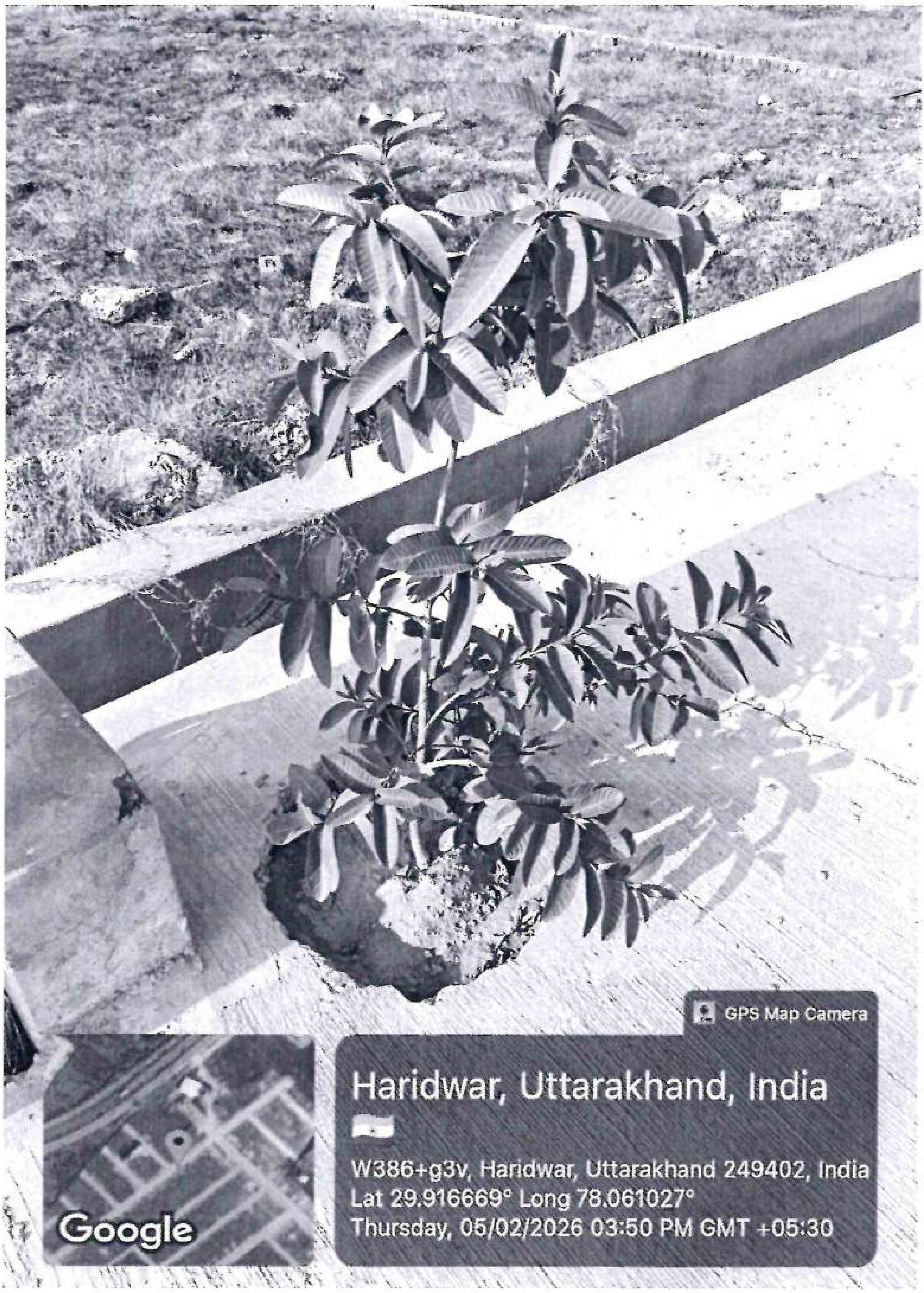

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

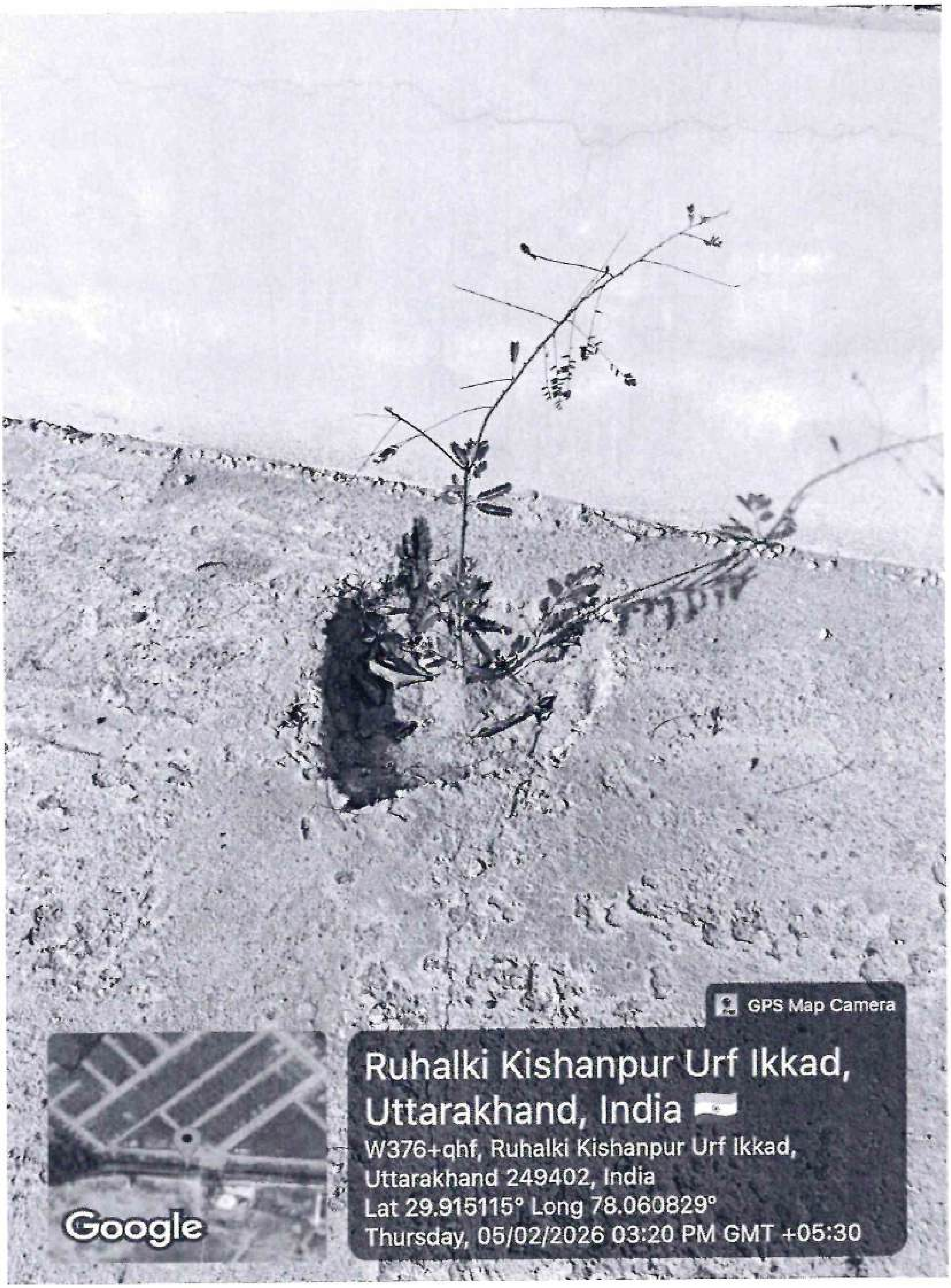
GPS Map Camera
Ruhalki Kishanpur Urf Ikkad, Uttarakhand, India
W376+qhf, Ruhalki Kishanpur Urf Ikkad, Uttarakhand 249402, India
Lat 29.915115° Long 78.060829°
Thursday, 05/02/2026 03:20 PM GMT +05:30
Google

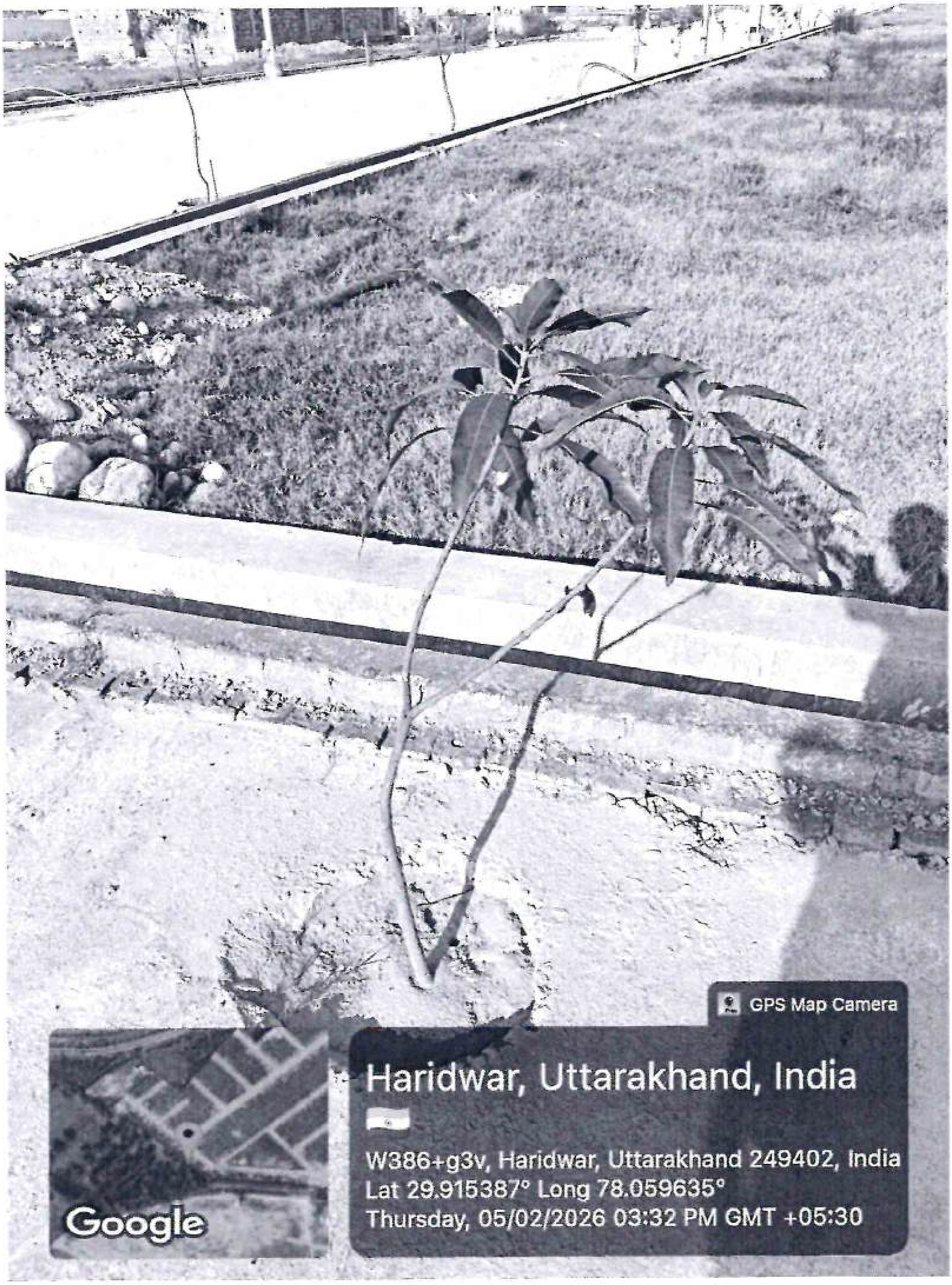
GPS Map Camera
Haridwar, Uttarakhand, India
W386+g3v, Haridwar, Uttarakhand 249402, India
Lat 29.915387° Long 78.059635°
Thursday, 05/02/2026 03:32 PM GMT +05:30
Google

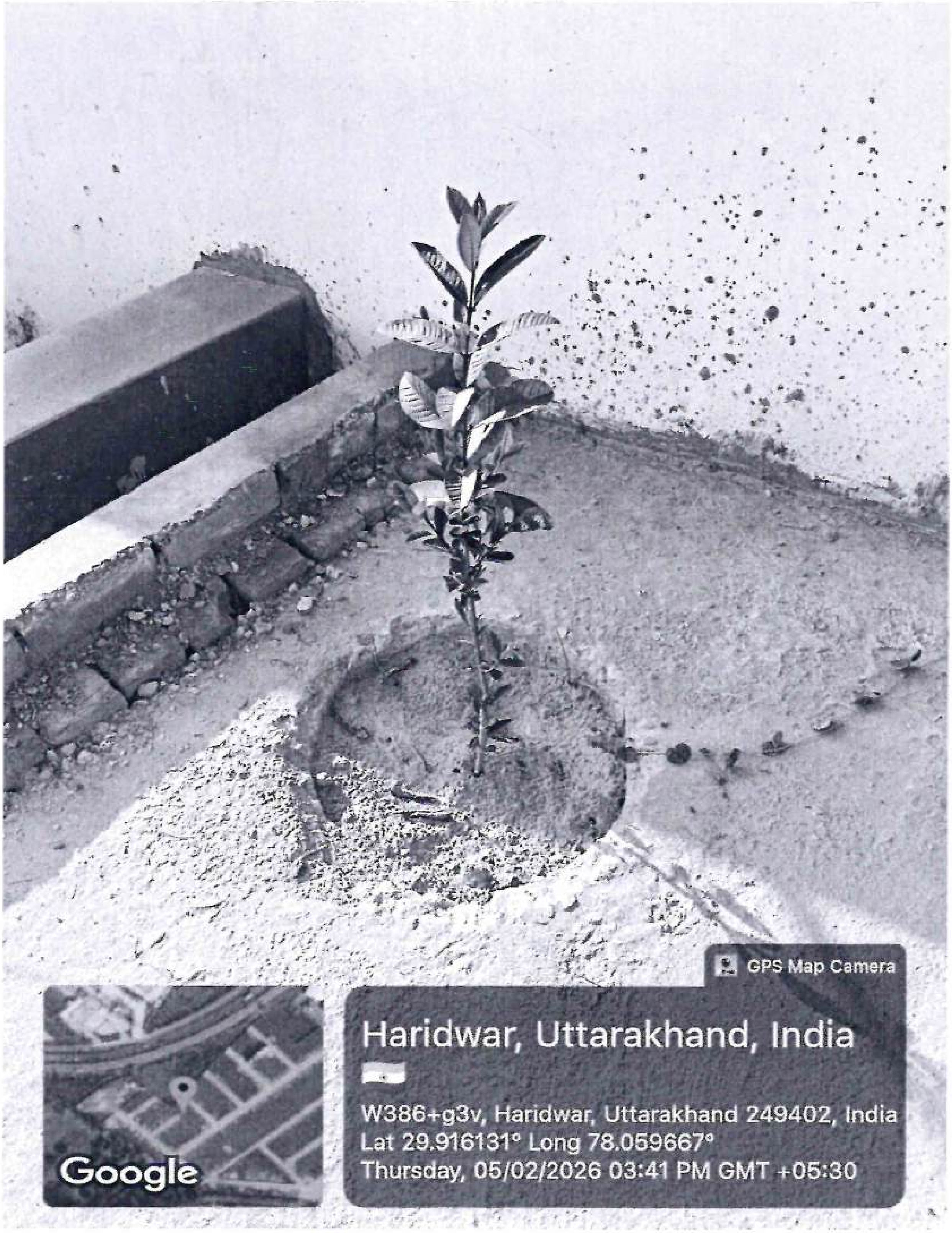

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

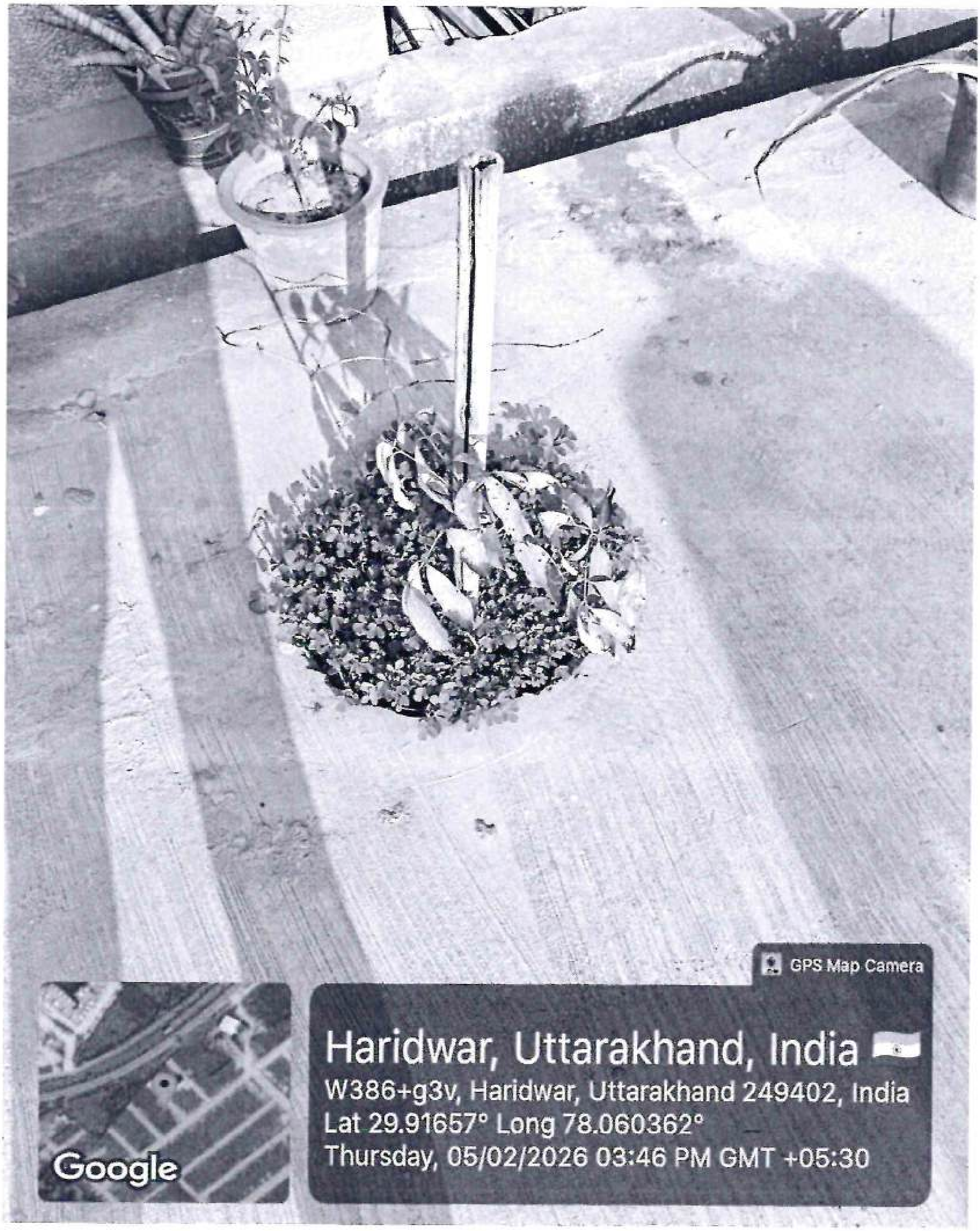

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

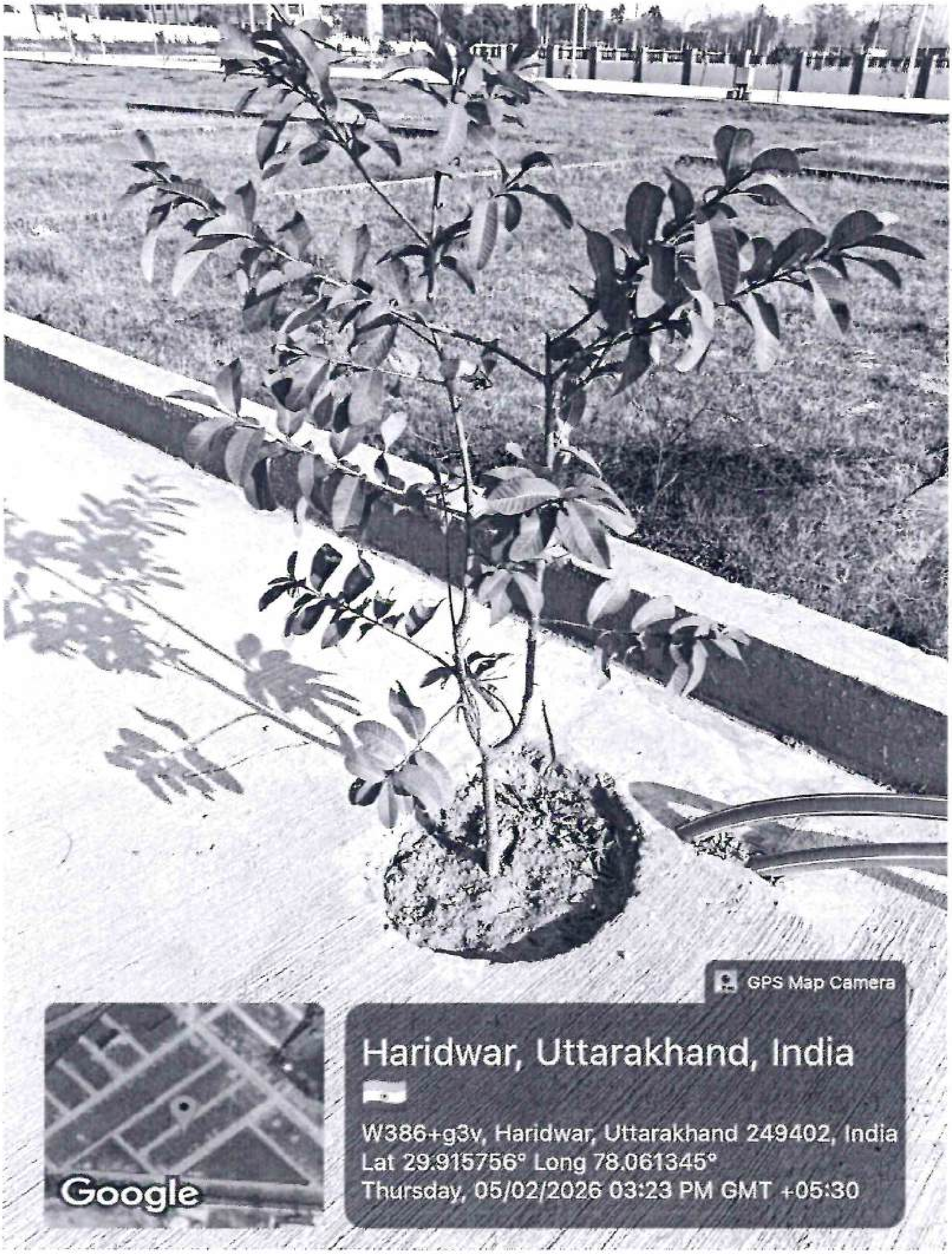

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार